Tuesday, 08 August, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol.VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 58 मंगलवार, 8 अगस्त, 1967 / 17 श्रावण, 1889 (शक)

No. 58 Tuesday, August 8, 1967 / Sravana 17, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1646 सहकारी समितियों का कार्य संचालन	Working of Co-operative Societies	1089-1093
1647 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	Hindustan Shipyard Ltd.	1093-1098
1648 राष्ट्रपति के निर्वाचनों में संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डलों के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Mambers of Legislatures of Union Territories in Presidential Elections	1098-1100
1649 दिल्ली में उप-मार्ग	Sub-Ways in Delhi ...	1101-1102
1650 कानूनी राशन व्यवस्था का विस्तार	Extension of Statutory Rationing ...	1103-1107

अल्प-सूचना प्रश्न/S. N Q.

42 बिहार के चीनी के कोटे कटौती	Cut in Sugar Quota of Bihar	1108-1110

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

तारांकित प्रश्न संख्या / S.Q.Nos.

1651 उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	1110
1652 एयर इन्डिया के विमानों का बेड़ा	Air-India Fleet	1110

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1653	राज्यों के चावल के कोटे में कटौती	Cut in Rice Supply to States ...	1110–1111
1654	माल भाड़े की दरें	Freight Rates ...	1111
1655	सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामान्य निर्वाचनों में भाग लिया जाना तथा कुछ मन्त्रियों द्वारा सरकारी शासनतंत्र का कथित दुरुपयोग किया जाना	Participation in Generai Elections by Government Employees and alleged misuse of Government Machinery by certain Ministers	1111-1112
1656	निर्वाचन सम्बन्धी पुस्तिका	Brochure of Elections ...	1112
1657	अमरीका से वापिस आने वाले भारतीय जहाजों को लदान का माल	Cargo for Indian Ships Returning from U. S. A. ..	1112–1113
1658	आटो–रिक्शा स्कूटरों के किराया बताने वाले मीटर	Fare Meters for Auto Rickshawa	1113
1659	राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Rajasthan ...	1113–1114
1660	खाद्यान्न की कमी	Food Shortage	1114
1661	केरल में छोटे पत्तन	Minor Ports in Kerala	1114–1115
1662	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by I. A, C. Pilots	1115–1116
1664	बिहार में ऊसरभूमि	Uncultivable Land in Bihar	1116
1665	कलिंगा एयरवेज के विमान चालक	Pilots of Kalinga Airways	1117
1666	दिल्ली में भू-राजस्व विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Land Revenue Unit in Delhi	1117–1118
1667	सामुदायिक विकास कार्य	Community Development Works	1118
1668	दिल्ली में मैदे और सूजी का वितरण	Distribution of Maida and Suji in Delhi ...	1118-1119

अतारांकित प्रश्न संख्या/ U S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1669 पंजाब में बीज फार्म	Seed Farms in Punjab	1119
1670 न्यायालयों का कार्य प्रादेशिक भाषाओं में करवाया जाना	Transaction of Judicial Work in Regional Languages ..	1119-1120
1671 एवरो विमान	Avros	1120–1121
1672 दिल्ली में मैदा का वितरण	Distribution of Maida in Delhi ..	1121–1122
1673 पंजाब खाद्य क्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर को सम्मिलित किया जाना	I clusion of Jammu and Kashmir in Punjab Food Zone	1122
1674 वाइकाउन्ट विमान	Viscounts ...	1122-1123
अतारांकित प्रश्न संख्या/U S.Q.Nos.		
8203 खाद्यान्नों का आयात तथा उत्पादन	Import and production of Foodgrains ..	1123
8204 भूमिहीन श्रमिक पुनर्वास योजना	Landless Labour Rehabilitation Scheme	1123
8205 महाराष्ट्र राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों का बसाया जाना	Re-settlement of landless Persons in Maharashtra State	1124
8206 सहकारी कृषि समितियाँ	Co-operative Farming Societies	1124
8207 राष्ट्रीय राज-पथ संख्या–9	National Highway No–9	1124–1125
8208 खाद्यान्न रखने के लिए केन्द्रीय गोदाम	Central Godowns for storing Foodgrains	1125–1126
8209 इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में भोजन व्यवस्था	Cat ring on I. A. C. Flights ...	1126–1127
8210 पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	1127–1128
8211 पटसन की फसलों पर कीटाणुनाशक दवाईयां छिड़की जाना	Spraying of Insecticides on Jute Crops	1128
8212 निजी विमान	Private Planes	1128–1129
8213 केन्द्रीय मंत्रियों के लिए विशेष विमान	Special Planes for Central Ministers	1129

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

8214 पटना जंकशन पर गेहूँ की क्षति	Damage to Wheat at Panta Junction	1129-30
8215 राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर पुल	Bridges on National Highway No. 34	1130
8216 मनीपुर के लिए चीनी का नियतन	Allotment of Sugar to Manipur ..	1131
8217 यूरिया उर्वरक का छिड़काव	Spraying of Urea Fertilizer ..	1131
8218 कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को धोखा दिये जाने के आरोप में कलकत्ता की मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल और मैसर्स देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Action against M/s Aminchand Pyarelal and M/s Devkaran Nanjee Banking Co. for cheating Calcutta Port Commissioners	1131-1132
8219 पटना–काठमांडू बस सेवाएं	Patna-Kathmandu Bus Service ..	1132
8220 लघु-सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया गया धन	Amount spent on Minor Irrigation Projects ..	1132
8221 दिल्ली में चोरी छिपे लाये गए अनाज का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Foodgrains to Delhi ...	1133
8222 दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के पाउडर की खरीद	Purchase of milk powder by D.M.S.	1133
8223 देशाभ्यन्तर जल नौवहन	Inland Water Transport	1133-1134
8224 भारत के संविधान का हिन्दी संस्करण	Hindi Version of Constitution of India	1134
8225 वनस्पति तेल का दाम	Vanaspati Prices ...	1134-1135
8226 रूस से ट्रेक्टरों का आयात	Import of U.S,S,R, Tractors	1136
8227 उत्तर प्रदेश में चीनी मिल	Sugar Mills in U,P, ...	1136

अता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
8228 बागवानी के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U.P. for Horticultural .	1136–1137
8229 उत्तर प्रदेश में भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks in U,P, ..	1137–1138
8230 उत्तर प्रदेश में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Uttar Pradesh ..	1138
8231 आंध्र प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन	Production of Foodgrains in Andhra Pradesh ...	1138
8232 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को विमान यात्रा के कारण हुई अव्यवस्थता के समय प्रयोग में लाये जाने वाले थैले	Supply of Air-Sickness Bags to I. A. C. ..	1139
8233 सहकारी कृषि समितियां	Co-operative Farming Societies	1139
8234 उत्तरी अन्दमान के वनों में आरा-मिल मालिकों से ली जाने वाली राय-ल्टी	Royalty Charged from Saw Millers in North Andaman Forests	1140
8235 सरधना (मेरठ) को पर्यटक केन्द्र बनाया जाना	Sardhana (Meerut) as a Tourist Resort ..	1140
8236 पोर्ट ब्येलर में वन क्षेत्रों का पट्टे पर दिया जाना	Lease of Forest Areas at Port Blair	1140–1141
8237 अन्दमान में चिरी हुई इमारती लड़की के दाम	Price of Sawn Timber in Andamans	1141
8238 ताइचुंग नेटिव 1 तथा 65 धान	Taichung Native I and 65 Paddy	1141–1142
8239 दिल्ली–बीकानेर सड़क	Delhi-Bikaner Road	1142
8240 नौवहन भाड़ा और निर्यात संवर्धन	Shipping freight and Export Promotion ...	1142
8241 बिहार के संथाल परगना जिले में खण्ड विकास समिति	Block Development Committee in Santhal Pargana District of Bihar	1143

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ, Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
8242	बिहार के सन्थाल परगना जिले में आदिमजातीय खण्ड को दी गई जीपें — Jeeps Supplied to Tribal Blocks in Santhal Pargana District of Bihar	1143
8243	औषध बनाने वाले कारखानों को चीनी की सप्लाई — Supply of Sugar to Pharmaceutical Units ...	1143-1144
8244	सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी — Scindia Steam Navigation Co.	1144
8245	पिछले आम चुनावों में किये गये व्यय वितरण — Returns of Expenditure Incurred in the Last General Elections	1144-1145
8246	हिन्दी में निर्वाचन आयोग का कार्य — Use of Hindi in correspondence by the Election Commission	1145-1146
8247	निर्वाचन संबंधी पुस्तिका — Brochure on Elections ...	1146
8248	मुख्य तथा उप निर्वाचन आयुक्त — Chief and Dy. Election Commissioner ...	1146
8249	निर्वाचन आयुक्त — Election Commissioner	1146-1147
8250	निर्वाचन ड्यूटी पर लगे अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण — Election Commission's Control over Officials on Election duty	1147
8251	निर्वाचन आयोग के प्रकाशन — Publications By Election Commission	1147
8252	हिन्दी में निर्वाचन आयोग का कार्य — Work of Election Commission in Hindi ...	1147-1148
8253	पिछले आम चुनावों संबंधी प्रतिवेदन — Report of Last General Elections	1148
8254	'जल जवाहर' जहाज के नाविकों को प्रतिकर — Compensation of Crew of Jal-Jawahar' ...	1148-1149
8255	उठाऊ सिंचाई योजनाएं — Lift Irrigation Schemes ...	1149
8256	दिल्ली दुग्ध योजना के टैंकर — Delhi Milk Scheme Tankers ...	1149-1150

प्रश्न प्र. संख्या. U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
8257	दिल्ली दुग्ध योजना में समयोपरि भत्ता — Overtime allowance in Delhi Milk Scheme	1150-1151
8258	दिल्ली-कलकत्ता राष्ट्रीय राजपथ पर झूंसी के निकट गंगा पर पुल — Bridge over Ganga near Jhusi on Delhi-Calcutta National Highway ...	1151
8259	दिल्ली परिवहन के लिए बसें — Buses for D. T. U.	1151
8260	रूस से कृषि उपकरण का आयात — Import of Agricultural Equipment from U. S. S. R.	1151
8261	गोवा में मंडावी पुल — Mandovi Bridge in Goa	1151–1152
8262	बिहार में भूमिगत जल का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वेक्षण — U. N. Survey for Underground water in Bihar ...	1152
8263	आटा मिलों के लिये अनाज का नियतन — Allocations of Foodgrains in Flour Mills ...	1152–1153
8264	राजस्थान में सीमा सड़कें — Border Roads in Rajastan ...	1153
8265	राजस्थान में सीमा सड़कें — Border Roads in Rajastan ...	1154
8266	हुगली नदी की देख-भाल — Maintenance of Hoogly River	1154
8267	पर्यटक होटल — Tourists Hotels	1154–1155
8268	विशाखापत्तनम में सूखी गोदी — Dry Dock at Vishakhapatnam	1155
8269	परिसीमन आयोग — Delimitation Commission	1156
8270	राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में दुर्भिक्ष की स्थिति — Famine Conditions in Dungarpur and Banswara District of Rajasthan	1156–1157
8271	फसलों का उत्पादन — Production of Crops	1157
8273	हिमाचल प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं — Minor Irrigation Schemes in Himachal Pradesh	1157–1158
8274	जापान से शक्ति चालित हलों का आयात — Import of Power tillers from Japan	1158
8275	कच्चे कूओं के लिए वित्तीय सहायता — Financial Assistance for Kuccha Wells	1158–1159

अता. प्र सं / U S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
8276	चावल और धान की वसूली — Procurement of Rice and Paddy ...	1159
8277	एटा तथा बनारस जिलों में गहन खेती योजना — Intensive Cultivation Scheme in Etah and Banaras Districts	1159–1160
8278	छोटी सिंचाई का नया तरीका — New Concepts of Minor Irrigation ...	1160–1161
8279	उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर पुल — Bridges over Ganges in Uttar Pradesh ...	1161
8280	हिन्दुस्तान शिपयार्ड — Hindustan Shipyard ..	1161–1162
8281	विशाखापत्तनम में सूखी गोदी परियोजना — Graving Dock Project at Vishakhapatnam...	1162
8282	दिल्ली में राशन व्यापारियों की गिरफ्तारी — Arrest of Ration Dealers in Delhi	1162–1163
8283	कोचीन नगर निगम में वैलिंगडन द्वीप समूह को शामिल करने का प्रस्ताव — Proposed inclusion of Wellingdon Islands in Cochin Municipal Corporation ...	1163
8284	वनस्पति तेल का मूल्य — Price of Vegetable Ghee	1163–1164
8285	चीनी, गुड़ और खांडसरी का उत्पादन — Production of Sugar, Gur and Khandsari ...	1164
8286	केरल खाद्य मिशन — Kerala Food Mission ...	1164–1165
8287	दिल्ली में राशन की दुकानों पर देशी गेहूं का मूल्य — Price of Indigenous wheat at Delhi Ration Shops	1165
8288	उत्तर प्रदेश के लिए कृषि विश्वविद्यालय — Agricultural University for U. P.	1165
8289	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भांडागार — Central Warehouses in U. P.	1166
8290	किसानों को दीर्घावधि ऋण — Long-term loans to Farmers	1166
8291	उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्र — Tourist Centres in U. P.	1166–1167
8292	उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए ऋण — Loans for Sinking Tube-wells in U. P. ..	1167

8293	उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां	Aerodromes and Airstrips in U.P. ...	1167–1168
8294	उत्तर प्रदेश को पम्पसैट दिया जाना	Supply of Pumping Sets in U. P. ...	1168
8295	उत्तर प्रदेश में चीनी की सहकारी मिलें	Co-operative Sugar Factories in U.P.	1168
8296	सीमावर्ती राज्यों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये विशेष ऋण	Special Loan for Construction of Roads and Bridges in Border States	1168–1169
8297	आयात किये गये अनाज का मूल्य	Price of Import Foodgrains ...	1169
8298	दिल्ली को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Delhi ..	1169–1170
8299	एच. एस.—748 विमान की परिक्षण उड़ान	Trial Flight of HS -748	1170
8300	दिल्ली में बीज वर्धन फार्म	Seed Multiplication Farm in Delhi ...	1170
8301	मूंगफली के न्यूनतम मूल्य	Floor Prices of Groundnut	1171
8302	भारतीय व्यापारी जहाजी बेडे के चालकगण	Crew Members of Indian Merchant Marine	1171
8303	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	1171–1172
8304	मत्स्य नोकाएं	Fishing Trawlers	1172–1173
8305	बिहार को कीटनाशक औषधियों की सप्लाई	Supply of Pesticides to Bihar ..	1173
8306	आसाम में पुलों का निर्माण	Construction of Bridges in Assam ...	1173–1174
8307	बंगलौर में होटल	Hotel at Bangalore ...	1174
8308	रोगों तथा कीड़ों से फसलों की क्षति	Losses due to Crop Diseases and Pests	1174–1176
8309	मध्य प्रदेश में नया सुपर बाजार	New Super Bazar in Madhya Pradesh ...	1176
8310	मध्यप्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार	Central Warehouses in Madhya Pradesh ...	1176

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

8312	दक्षिण भारत के राज्यों में वन-महोत्सव	Vana-Mahotsava in Southern States..	1176
8313	इमली के दाम	Price of Tamarind ..	1177
8314	बिहार विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थान	Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bihar Legislative Assembly ...	1177
8315	सामुदायिक विकास में अनुसन्धान	Research in Community Development ..	1178
8316	जोधपुर–उदयपुर–बम्बई विमान सेवाएं	Jodhpur-Udaipur-Bombay Air Services ..	1178–1179
8317	राजस्थान मे छोटी सिचाई योजना कार्यक्रम के लिए सहायता	Aid for Minor Irrigation Programme in Rajasthan	1179
8318	लोगों को दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तुओं की पूर्ति	Fulfillment of Daily Requirements of the People	1179
8319	आसाम की चीनी की आवश्यकता	Sugar Requirement of Assam ...	1179–1180
8320	भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा	Indian Merchant Navy	1180–1181
8321	बीज फार्म	Seed Farms	1181
8323	राष्ट्रीय राजपथ संख्या-26	National Highway No. 26 ...	1181–1182
8324	ट्रैक्टरों तथा शक्ति–चालित हलों का किसानों में वितरण	Distribution of Tractors and Power Tillers to Agriculturists	1182
8325	आस्ट्रेलिया से गहूं की सप्लाई	Wheat Supply from Australia ...	1182–1183
8326	गैर–सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा डकोटा विमान का उपयोग	Use of Dakota by Private Air Companies ...	1183

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
8327	सामुदायिक विकास योजनाओं का ग्रामीण जनता पर प्रभाव	Impact of Community Development Schemes on Rural People ..	1184
8328	पश्चिम बंगाल की खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता	Supplementing of food requirements of West Bengal	1184–1185
8329	पश्चिम बगाल में 'औस' धान का उत्पादन	Production of Aus Paddy in West Bengal ..	1185
8330	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	Orissa State Road Transport Corporation ...	1185
8331	राष्ट्रीय राजपथ संख्या–5	National Highway No.-5 — ..	1186
8332	परादीप पत्तन	Paradeep Port ...	1186–1187
8333	ऐस्कोर्टस लिमिटेड द्वारा बनाया गया हल	Plough Manufactured by Escorts Ltd. ...	1187–1188
8334	राजभाषा (विधायी) आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officials of the Official Language (Legislative) Commission ..	1188–1189
8335	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजर	D. M S. Depot Managers ..	1189–1190
8336	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome	1190
8337	केरल में खाद्य निगम के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against Food Corporation in Kerala	1191
8338	सिक्किम को खाद्य सहायता	Food aid to Sikkim ...	1191
8339	बहु प्रयोजनीय भण्डार	Co-operative Departmental Stores — ...	1192
8340	हिमाचल प्रदेश में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Himachal Pradesh	1192
8341	काश्मीर में पर्यटक	Tourists in Kashmir	1192–1193
8342	उड़ीसा में छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in Orissa .. —	1193

8343	संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Union Territories ...	1193–1194
8344	जम्मू–श्रीनगर राजपथ	Jammu-Srinagar Highway	1194
8345	संघ राज्य क्षेत्रों में सड़कें और पुल	Roads and Bridges in Union Territories ...	1194–1195
8346	हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड	Community Development Blocks in Himachal Pradesh ...	1195–1196
8347	हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation works in Himachal Pradesh ...	1196
8348	दिल्ली में बस सेवा	Bus Service in Delhi	1196–1197
8349	वर्षा कम होने पर सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities to Offset lack of rains ..	1197
8351	चीनी के विशेष कोटे	Special Sugar Quotas	1197–1198
8352	बिहार में पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in the Jute growing areas in Bihar	1198
8354	दिल्ली के रेस्तरा में खाद्य पदार्थों के मूल्य	Price of food-stuffs in eating Houses of Delhi	1198–1199
8355	आसाम को पाइपों की सप्लाई	Pipes Supplied to Assam ..	1199
8356	काजू का उत्पादन	Production of Cashewnuts	1199-1201
8357	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का यात्रियों के जल–पान पर व्यय	Expenditure on Refreshment of Passengers by I. A C.	1201
8358	आसाम को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Assam	1201
8359	रेस्तरां और होटलों का वर्गीकरण	Classification of Restaurants and Eating Houses	1202
8360	जापान की मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ डा. धर्म तेजा के व्यापारिक संबंध	Dr. Dharama Teja's Dealings with M/s Mitsubishi Heavy Industries Ltd. of Japan ..	1202–1203

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

8361	आन्ध्र प्रदेश में चावल का समाहार	Procurement of rice in Andhra Pradesh ...	1203
8362	चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन	Tourism during Fourth Plan ...	1203–1204
8363	1966–67 में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visited Andhra Pradesh and Madras in 1966–67 ...	1204
8364	राजस्थान के मरुस्थल का विकास	Development of Rajasthan Desert ...	1204–1205
8365	महाराष्ट्र की आयातित गेहूँ की मांग	Maharashtra's Demand for Imported Foodgrains ...	1205
8366	राजस्थान में विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists in Rajasthan	1205
8367	जापान से यूरिया उर्वरक का आयात	Urea Fertilizer from Japan ...	1206
8368	आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इंडिया	Automobile Association of Upper India ...	1206
8368–क	बिहार के पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in Jute growing areas of Bihar ...	1206–1207
8368–ख	आसाम में फल परिरक्षण कारखाने	Fruit Preservation Factories in Assam ..	1207
8368–ग	समाजवादी देशों के जहाजों द्वारा कमीशन का भुगतान	Payment of Commission by Ships belonging to Socialist Countries ...	1207
8368–घ	मध्य प्रदेश के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank assistance for M.P.	1208
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent Public Importance	1208–1210
	सिंगापुर से भारतीय राष्ट्रजनों के देश निकाले का समाचार	Reported deportation of Indian nationals from singapore	1208

तारा.प्र.संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर— जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
सदस्यों की सूचनाएं निपटाने के बारे में	Re. Disposal of notices from Members ..	1211
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ...	1211–1214
कार्य मंत्रणा समिति	Business advisory Committee ..	1214
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	1214
लोक–लेखा समिति	Public Accounts Committee	1214
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report ..	1214
पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ द्वारा बड़े पत्तनों पर हड़ताल की धमकी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Threatened strike by All India Port and Dock Workers Federation at Major Ports	1215
विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप(निवारण) विधेयक के बारे में	Re. unlawful activities (Prevention) Bill ..	1215
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for adjournment	1216
1965–66 के लिए भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में	Re. annual report of Indian Central Oilseeds Committee for 1965–66 ..	1216
सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तारण) संशोधन विधेयक–पुर:स्थापित	Public wakfs (Extension of Limitation) Amendment Bill-Introduced	1216
वर्ष 1964-65 तथा 1965–66 के लिए अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव (जारी)	Motion Re. Fouteenth and Fifteenth Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1964-65 and 1965–66	1217–1228
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	1217
श्री छ. म. केदरिया	Shri C. M. Kedaria	1218
श्री प. ला. बारूपाल	Shri P. L. Barupal	1219
श्री आत्मदास	Shri Atam Das	1219
श्री कथ्थम	Shri Katham	1220
श्री सिद्दय्या	Shri Siddayya	1221

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS -Contd-

श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad ..	1223
श्री तु राम	Shri T. Ram	1223
श्री चितिबाबू	Shri Chittybabu	1223
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Menta ..	1224
विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill	1228–1229
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
(चर्चा समाप्त नहीं हुई)	(Not concluded)	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ..	1228
चीन, पाकिस्तान तथा अन्य देशों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किये गये गैर-कानूनी कब्जे और शिक्षा मंत्री द्वारा भारत के क्षेत्रफल के बारे में वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion Re. Illegal Occupation of Indianterritory by China, Pakistan and other Countries and Statement on Area of India by Minister of Education ...	1229–1236
श्री कंवरलाल गुप्ता	Shri Kanwar lal Gupta — ...	1229
डा0 राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia — ..	1231
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gblam Mohammad Bakshi	1232
श्री रंगा	Shri Ranga	1233
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla — ..	1234

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 8 अगस्त, 1967/ 17 श्रावण, 1889 (शक)
Tuesday, August 8, 1967/*Sravana* 17, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Working of Co-operative Societies

+
*1646. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the working of the Co-operative Societies has proved to be a total failure by and large throughout the country, particularly in Bihar; and

(b) if so, whether Government propose to bring forth some legislative measure on an all-India basis to improve their working ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, it has been proved by experience that the Co-operative Societies are not working well in Bihar. May I know whether the Central Government propose to bring forth some legislative measure on an all-India basis so that the Cooperative Societies may work uniformaily throughout the country ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक बिहार के बारे में हैं। यह सच है कि बिहार में सहकारिता आन्दोलन सुचारु रूप से नहीं चल रहा है।

जहां तक अखिल भारतीय स्तर पर कानून बनाने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूँ कि कुछ समय पूर्व इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिये एक कानून का नमूना तैयार किया है। चार राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने इस समिति की सिफारिशों को मान लिया है। ये चार राज्य आसाम, बिहार, केरल और नागालैंड हैं। शेष सभी राज्यों ने पहले ही सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा अपने अधिनियमों में संशोधन कर लिया है अथवा नये अधिनियम प्रस्तुत किये हैं। अतः हमारा सुझाव है कि बिहार को भी यही व्यवस्था मान लेनी चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : Just now the hon. Minister has first replied in the negative and now he has said that the Cooperative movement is weak in Bihar and Bihar is one of those four States which did not adopt the model legislation. I would like to know whether in view of the fact that Central Government have repetedly stated that their aim is to establish Socialism based on Cooperative movement, the Central Government have forced the Bihar Government to accept the legislation and if not, the reasons therefor ? Whether it is also a fact that the members of the Cooperative Society monopolise the Cooperatives in villages and do not let the new members enter the Cooperative Societies and whether Government propose to being forth some legislation so as to do away with these practices and to conduct the movement properly throughout the country ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस मामले पर 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचार-विमर्श हुआ था। उस समय बिहार सरकार ने भी यह स्वीकार किया था इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु अभी उसने कानून में कोई संशोधन नहीं किया। किन्तु मैं कह सकता हूं कि पहले की अपेक्षा बिहार में भी अब कुछ अच्छी प्रगति हुई है। पिछले दस वर्षों में बिहार में प्रारंभिक कृषि ऋण संस्थाओं की सदस्यता चार गुनी बढ़ गई है तथा अल्पकालीन तथा मध्यम अवधि वाले ऋण भी बीस गुना बढ़ गये हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आन्दोलन तेज हो गया है। यह अभी भी बहुत धीमा है और मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कदम उठाये। वहां पर सहकारी नेतृत्व को भी इस दिशा में सहयोग करना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been answered. My point is that the members of the cooperatives do not let others also become members of the Cooperative. This can be enquired from the Minister from Bihar and if this is a fact, may I know what steps are proposed to be taken to remedy the situation ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है। हम उन्हें केवल सलाह दे सकते हैं और उनका मार्ग-दर्शन कर सकते हैं। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सहकारिता एक स्वयंसेवी और लोकप्रिय आन्दोलन है तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के मार्ग-दर्शन में इसे सहायता पहुँचानी चाहिये।

Shri K. N. Tiwary : How many Cooperative Societies are there in the country and what is the amount of their capital ? How many societies are there in Bihar and what is the amount of their capital ? How many Societies are active, how many are dormant ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : बिहार की समितियों की संख्या के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। किन्तु हमने सभी राज्यों के लिये इस आशय का निर्णय किया है कि जहां कहीं भी ये

समितियां कमजोर तथा निष्क्रिय हो गई हों वहां इन्हें या तो दूसरी संस्थाओं के साथ मिला लिया जाना चाहिये या सुदृढ़ बनावा जाना चाहिये ।

Shri K. N. Tiwary : My question regarding amount of capital of Cooperative Societies and their number in Bihar has not been answered.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि सहकारिता आन्दोलन प्रगति कर रहा है क्योंकि सदस्यों की तथा ऋणों की संख्या भी बढ़ गई है । मैं जानना चाहूँगा कि क्या बकाया राशियां बढ़ नहीं गई हैं, क्या निम्नतम वर्ग की अर्थात् 'डी क्लास' की संस्थाओं की संख्या नहीं बढ़ी है तथा क्या सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में खास कर उन सहकारी औद्योगिक समितियों जो कर अपवंचन करती है वृद्धि नहीं हुई है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : विलम्बित बकाया की स्थिति अब कुछ सुधर गई है तथा प्रतिशत भी गिर गया है ।

श्री लोबो प्रभु : क्या इसमें वृद्धि नहीं हुई है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : नहीं, मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । अब यह 32 प्रतिशत है जबकि कुछ समय पूर्व यह 49 प्रतिशत था । अतः इस मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । हम इस प्रश्न को ले रहे हैं...

श्री रंगा : कैसा परिवर्तन ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं बकाया सम्बन्धी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ । अब बिहार की स्थिति भी कुछ अच्छी है । औद्योगिक सहकारी समितियां हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है ।

श्री लोबो प्रभु : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है जो उन समितियों की संख्या में वृद्धि के बारे में है जिनका वर्गीकरण 'डी' के अन्तर्गत किया गया है और जो अब समाप्त भी होने वाली है । क्या लेखापरीक्षा वर्गीकरण 'डी' के अन्तर्गत आने वाली अर्थात् प्रायः समाप्त ही होने वाली समितियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं खण्डशः इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि इन सभी कमजोर और निष्क्रिय समितियों को या तो दूसरी समितियों के साथ मिला दिया जाना चाहिये अथवा इन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये या इन्हें समाप्त ही कर दिया जाना चाहिये । यही हमारा दृष्टिकोण है

Shri Achal Singh : May I know whether it is a fact that 90 percent of the cash or consumers' Cooperative Societies have become weak and dormant in Uttar Pradesh ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह कहना ठीक नहीं है कि 10 प्रतिशत समितियां सुचारु रूप से नहीं चल रही है । निस्सन्देह हर जगह ही कुछ निष्क्रिय समितियां होती हैं ।

हम चाहते हैं कि इन्हें या तो सुदृढ़ बनाया जाये अथवा दूसरी समितियों के साथ मिलाया जाये या समाप्त ही कर दिया जाये । यह हमारा नवीन दृष्टिकोण है ।

श्री सम्बन्धन : यद्यपि सरकार यह नहीं मानती है कि सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है तथापि यह देश भर में आंशिक रूप से असफल ही रहा है । यहां तक कि मद्रास राज्य में भी जो कि सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में बहुत आगे समझा जाता है सहकारी आन्दोलन को चलाने में त्रुटियां हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मद्रास विधान सभा में उठाई जानी चाहिये, यहां नहीं ।

श्री सम्बन्धन : कारण यह है कि इन संस्थाओं में, चाहे ये ग्रामीण स्तर पर अथवा जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर काम कर रही हों, कुछ ऐसे निहित स्वार्थों का बोलबाला है जो अपने हितों का ध्यान रखते हैं । क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह का कोई कानून बनायेगी जिससे इन समितियों में काम करने वाले लोगों का कार्यकाल दो बार से अधिक न बढ़ाया जा सके ? तभी स्थिति में सुधार हो सकता है ।

सहकारिता आन्दोलन का और अच्छे ढंग से संचालन करने के लिये मद्रास सरकार क्या कदम उठा रही है ? वर्तमान परिस्थितियों में निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के बीच सहकारिता आन्दोलन ही एक मात्र श्रेयस्कर हल है । क्या सरकार उदारता के साथ मद्रास सरकार की सहायता करेगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पहली बात तो यह है कि सहकारिता आन्दोलन असफल नहीं हुआ है । यदि यह असफल होता है तो यह भारत में ग्रामीण जनता के लिये बड़ा अशुभ होगा ।

मद्रास राज्य का मामला मद्रास सरकार पर ही निर्भर करता है । मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है और यदि वे सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हम उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सहायता देंगे ।

Shri M. A. Khan : Just now the hon. Minister has stated that 90 percent Societies were not weak. But I come from district rtah in U. P. and can say that 98 percent of the Cooperative Societies are plagued with embezzlement, thefts and corruption in my constitueney. No serious action is taken about these malpractices. Cooperative Banks are suffering from such malpractices and Government will lose lakhs of rupees in each district. What action is going to be taken in this regard ?

The Minister of Food & Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : There is no doubt that Cooperative Societies are working satisfactorily at some places where as there are lapses also in other places. The States Governments are primarily responsible for the working of these Societies They should check the cases of embezzlement and thefts and improve the position in respect of arrears We have all along been exporting on them the need of remedying the situation.

श्री क० लकप्पा : देश में सहकारिता आन्दोलन की सामान्य असफलता के अतिरिक्त धन के दुरुपयोग, जालसाजी तथा कदाचार के बहुत से मामलों के समाचार मिले हैं। खास कर मैसूर राज्य में 1074 सहकारी समितियों में करोड़ों रुपये दुरुपयोग के समाचार मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राज्य विधान सभा में उठाया जाना चाहिये।

श्री क० लकप्पा : बहुत से लोगों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये किन्तु सरकार ने कुछ मुकदमे वापस ले लिये हैं चूंकि संबन्धित पक्ष सत्ताधारी दल से सम्बद्ध है। क्या सरकार सहकारी समितियों में कुप्रशासन एवं कदाचार के इन मामलों की जांच करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यह मुख्यतया एक राज्य विषयक मामला है और इन प्रश्नों को विस्तारपूर्वक उठाये जाने का उचित स्थान राज्य विधानमंडल ही है। यदि कुछ सहकारी समितियों में कुछ बुराइयां हैं तो राज्य सरकार को जांच करवाकर या बिना जांच के भी इन समितियों के कार्य संचालन में सुधार करना चाहिये। यह पूर्णतया राज्य विषयक मामला है। सामान्य मार्गदर्शन आदि के अतिरिक्त केन्द्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या दिल्ली की सहकारी समितियों के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ? दिल्ली में जितनी गड़बड़ी है....

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। इसका उपयोग यहां पर नहीं किया जा सकता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने किसी सहकारी समिति से फायदा नहीं उठाया है। केवल कांग्रेसी नेताओं ने ही लाभ उठाया है।

Hindustan Shipyard Ltd

*1647. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 2 lakhs were paid by the Hindustan Shipyard Ltd. representing consultancy fees for 110 consultant weaks to Messrs Production Engineering Ltd. of U. K. for suggesting the overall reorganisation of the Shipyard for building of ships and manufacture of components;

(b) whether it is also a fact that the raw material needed for the purpose was not procured in time by the authorities of the said Company as a result of which it could not build any ship for seven years from 1956 onwards;

(c) whether it is further a fact that the machinery installed at the Shipyard is 20 years old whose turnout has gone down by 20 percent;

(d) whether Government propose to enquire into the matter; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in the Library. Please see no LT-1358/67]

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the machinery used in it is 20 years old ? To what extent the loss has been sustained on a result of fall in there out ? I want to know the loss suffered. Secondly I want to know whether the management is not being manned by proper personnel and as a result of it the shipyard is undergoing a loss.

डा० वी० के० आर० वी० राव : कुल हानि की गणना यार्ड में बनाये जाने वाले जहाजों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की कुल रकम से की जा सकती है। कुल राजसहायता के नवीनतम आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि यह रकम कोई 13 करोड़ रुपये है। एक जहाज के लिए औसतन 80-85 लाख सहायता दी जाती है जिसकी निर्माण लागत 2 करोड़ रुपये है।

जहां तक उपयुक्त अधिकारियों का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान शिपयार्ड सम्बन्धी सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में हमने कुछ परिवर्तन किये हैं हमने शिपयार्ड का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है—सचिव ने त्याग पत्र दे दिया है—श्री एम० पी० पाई जो शुल्क आयोग से सेवा-निवृत हो गये हैं। हमने नौवहन निर्माण के निदेशक से प्रबन्धक निदेशक का पद भी अलग कर दिया है। हमने एक प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति की है और एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ को नौवहन निर्माण का निदेशक नियुक्त किया है। हमने मंत्रालय में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी है जिसका एक काम शिपयार्ड में काम की प्रगति का ध्यान रखना है। मुझे आशा है कि शिपयार्ड का प्रबन्ध अब पहले से अच्छा हो जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister has admitted that two experts have been appointed. This means that there capable persons were not there prior to that. Whether it is a fact that we had to suffer a lot on this account ? Secondly, whether Minister attention has been drawn to the fact that in other countries of the world where ships are built, experts are appointed and under their direction and advice ships are built whereas in our country the ships that are built are so inferior that they cannot function properly.

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस देश के विशेषज्ञों के बारे में माननीय सदस्य की राय पर मुझे आपत्ति है। वास्तव में विश्व के हर देश में नौवहन आयोग एक घाटे का उद्योग है और लगभग हर जगह इसे राजसहायता दी जाती है। केवल हमारे देश में राजसहायता की हर एक को जानकारी है। कुछ अन्य देशों के बारे में हमें राजसहायता के आंकड़े नहीं मिल सके हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास केवल एक शिपयार्ड हिन्दुस्तान शिपयार्ड है। इसे हमने सिन्धिया बन्धुओं से अपने अधिकार में लिया था। इसकी मशीनरी बहुत पुरानी थी। वास्तव से इसका उद्देश्य 12,000 टन के जहाजों का निर्माण करना नहीं था। जसा कि मैंने वक्तव्य में बताया है 50 प्रतिशत से ज्यादा मशीनरी 20 साल से ज्यादा पुरानी है। शिपयार्ड को दोबारा बनाने और इसकी पुनः योजना बनाने की जरुरत है। इतना होते हुए भी हमने अब तक 4 से ज्यादा जहाज बनाये हैं। मुझे पूरी आशा है कि शिपयार्ड का रिकार्ड आगामी कुछ महीनों में पहले की अपेक्षा अवश्य ही अच्छा होगा।

Shri Yashwant Singh Kushwah : From the year 1956 to the year 1963 i.e. in seven years only 19 ships have been built. Will the hon. Minister be pleased to state whether this rate of progress is satisfactory ? Secondly, a proposal of 28 lakhs for replacement of outdated machinery has been received. Since how long this proposal is under the consideration of Government any by when the Government propose to take a decision in the matter ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण की वर्तमान गति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ लेकिन यह केवल बेहतर सामग्री की सप्लाई और बेहतर प्रबन्ध का प्रश्न नहीं है । यह ज्यादा अच्छा उपस्कर और अधिक नवीनतम उपस्कर प्राप्त करने का प्रश्न भी है जिसके लिए योजनायें बनाई गई हैं लेकिन वित्तीय कठिनाई को देखते हुए हमने वित्त की अभी व्यवस्था करनी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सात सालों में अठारह जहाज बनाना ज्यादा संतोषजनक काम नहीं है । क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि यद्यपि हिन्दुस्तान शिपयार्ड का स्पांकन तथा ड्राइंग कार्यालय जहाज तैयार करने के लिए उपयुक्त डिजाइन तथा ड्राइंग तैयार करने के समर्थ है फिर भी इस शिपयार्ड में जहाज विदेशी, आयातित डिजाइनों पर निर्भर करते हैं जिन्हें बहुत ऊंचे मूल्यों पर विदेशों से खरीदना पड़ता है और जिससे विलम्ब हो जाती है तथा विदेशी मुद्रा की अनावश्यक हानि होती है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस विषय पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारी संघ के साथ मैंने विचार-विमर्श किया है । मुझे आशा है कि बातचीत का कुछ परिणाम निकलेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई सचाई है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नोटिस चाहता हूँ । मैं नहीं जानता कि इन डिजाइनों के लिए कितनी रकम दी गई थी ।

Shri George Fernandes : Ministers' statement contains that the technical consultants recommended certain items of machinery and equipment to be acquired for the shipyard. Pending examination of the consultants' proposal, the shipyard has submitted proposals for certain items of machinery and equipment estimated to cost as 28 lakhs. These proposals are under the consideration of Government.

On one hand consultants were invited and on this account an amount of Rs. 2 lakhs was spent. Some new recommendations were sought from them. The recommended certain machinery to be acquired for shipyard. This is under the consideration of Government and pending examination of these recommendations, the shipyard has submitted to the Government a list of machinery estimated to cost Rs. 28 lakhs.

Here I want to say that sometime back a similar question arose in regard to Durgapur. Then the report of Pandey Committee was also brought forward. Then it was established that machinery and equipment of the value of lakhs of rupees was lying idle. In the present case also consultants have been invited and on their recommendations a list of machinery and equipment to be acquired has been prepared. Pending all this a list of machinery estimated to cost Rs. 28 lakhs has been submitted. This is not understood.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं समझता कि मशीनरी खरीद ली गई है । प्रतिवेदन की जांच के बीच हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो कि, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अभी विचाराधीन हैं । लेकिन माननीय सदस्य ने दुर्गापुर स्टील वर्क्स की फालतू मशीनरी शिपयार्ड के काम में लाने का जो सुझाव दिया है वह एक मूल्यवान सुझाव है

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने के बाद खरीदना ठीक नहीं है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : उन्होंने हमें सुझाव दिये हैं और वे अभी विचाराधीन हैं । दूसरी बात यह है कि मैं यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं करूंगा कि चालू अनुरक्षण और मरम्मत का सभी काम और तत्काल आवश्यकताओं को उस समय तक रोक दिया जाये जब तक कि सलाहकारों के प्रतिवेदन की पूरी जांच नहीं हो जाती है । सिफारिशों की प्रक्रिया में कितना समय लगता है यह सभी को मालूम है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि विवरण के भाग (क) में उल्लिखित फुटकर खर्चे की राशि क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है कि टनभार के रूप में इन सात वर्षों के दौरान कितने जहाजों के निर्माण की आशा थी जिनमें से केवल 19 जहाज बनाये गये हैं और इन 19 जहाजों का वास्तविक टनभार क्या है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इन लोगों को दिये गये फुटकर खर्चे की ठीक राशि की मुझे जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं यह जानकारी मंगवा सकता हूँ और उन्हें अथवा सभा को सप्लाई कर सकता हूँ ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May be laid on the table of the House.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी । जहां तक आशा सम्बन्धी दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सामान्य रूप से लगभग 3 जहाज प्रतिवर्ष बनाने की हमें आशा थी जो लगभग 30,000 टन होते । ये सभी 19 जहाज बड़े जहाज नहीं हैं । इनमें से 14 या 15 10,000 से 11,000 टनभार के है । इसलिए प्रत्याशा को देखते हुए निर्माण कम हुआ है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : टनभार को देखते हुए कितनी कमी हुई है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह गणितीय गणना का एक मामला है । मैं इसकी गणना कर सकता हूं और उन्हें बता सकता हूँ ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इन जहाजों का निर्माण तेजी से करने के लिए क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं दिलाया गया था कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में एक और जेटी की जरुरत है । क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हमने हाल ही में वहां पर जो काम शुरु किया है वह सभी मैं याद नहीं रख सकता। हमने एक बहुत बड़ी योजना के लिए सरकार से मंजूरी ले ली है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरा प्रश्न ठीक ढंग से नहीं समझा गया है।

अध्यक्ष महोदय : उसे समझाने के लिए आपको समय लगेगा।

Shri Madhu Limaye : When a question was raised about loss, the hon, Minister replied that there was no country in the world the shipping industry of which was not a losing industry. Some help in guise whereas others help openly. I want to know whether hon. Minister has studied the shipping industry of Japan. During the last eleven years Japan have produced greatest number of ships of all the countries of the world. Whether hon. Minister has tried to know that high wages prevail in Japan, all the raw material has to be imported from abroad and besides all this the shipping industry of Japan is advancing ? I want to know the outcome of this comparative study.

It has also been stated that 19 ships have been produced. In this context I want to know the quantity of material imported from abroad and the amount of foreign exchange involved in it ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : संसदीय उत्तरदायित्वों के कारण जापान के जहाज उद्योग का अध्ययन करने के लिए मुझे उपयुक्त समय नहीं मिल रहा है।

Shri Madhu Limaye : Even then you can make sweeping statements.

डा० वी० के० आर० वी० राव : विवरण उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है। जापान में राजसहायता दी जाती है। जहाजरानी पत्रिकाओं में यही सूचना मिलती है। वे यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि राजसहायता किसी रूप में दी जाती है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जापान का जहाज उद्योग विश्व के जहाज उद्योगों में सबसे ज्यादा कुशल है। यही बात कई अन्य उद्योगों के बारे में है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने विवरण के भाग (ख) में कहा है "जबकि यह ठीक है कि इस्पात, सामान और संघटक की प्राप्ति में तथा विदेशी मुद्रा देने में विलम्ब होने के कारण सामान सरलता से नहीं लाया जा सका।" मंत्री महोदय इस विशेष मंत्रालय में नये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आवश्यक विदेशी मुद्रा देने में बाधा का क्या कारण था ? उन्होंने बताया है कि 1956-57 से 1962-63 तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड में केवल 19 जहाज तैयार किये जा सके। कारण चाहे कुछ हो, क्या इस राष्ट्रीय उद्यम में इस असाधारण विलम्ब के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं क्योंकि इस मामले में मैंने अन्तर्विभागीय तथा सरकारी उत्तरदायित्व नियत करने का प्रयास नहीं किया है। मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त कहता हूं कि स्थिति में सुधार किया जा रहा है। मशीनों की सप्लाई के लिये पोलड और युगोस्लेविया में आर्डर भेजे गये हैं और मेरे विचार से कच्चे माल

की सप्लाई की स्थिति भी काफी सुधर गई है। कुछ माह पहले मैंने स्वयं जाकर देखा था और मेरा विचार है कि जहाज निर्माण कार्यक्रम में गतिरोध नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जबकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत के लिए उद्योगों को स्थापित करने में पूंजीवादी देशों का सहयोग अधिक लाभदायक नहीं रहा है तो क्या सरकार जहाज निर्माण के लिए समाजवादी देशों के साथ सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगायेगी ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि यदि अधिकांश रूप से देशी सामान से प्रति वर्ष हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 6 जहाजों का निर्माण नहीं किया गया तो संसार भर में हमारे जहाजों की लागत अधिकतम होगी ? यदि हां, तो इस शिपयार्ड में प्रतिवर्ष 6 जहाजों का निर्माण कर खर्चे को न्यूनतम रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम इसके लिए उत्सुक हैं कि इस शिपयार्ड में प्रतिवर्ष 6 जहाजों का निर्माण हो क्योंकि उन्हें कम से कम लागत पर बनाने का यही एक हल है परन्तु इसके लिए पुनः आयोजना बनाने की और कुछ अतिरिक्त खर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे प्रबन्धकों की ओर से आश्वासन मिला है कि दो या तीन जहाजों के बजाय अब 4 जहाज तक बनाये जा सकेंगे। यदि आर्थिक स्थिति सुधर गई, जैसी कि मुझे आशा है, तो मंत्रालय अवश्य ही प्रयत्न करेगा कि प्रतिवर्ष छः जहाजों का निर्माण कराने के लिए साज-सामान तथा परिव्यय आदि की दृष्टि से इस शिपयार्ड की क्षमता बढ़ाई जाये।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the number of ships constructed during 1963-64, 1964-65 and 1965-66, the time by which the shipyard would be able to manufacture big vessels and the extent to which the recommendations of the Committee on Public Undertakings have been implemented so far as this matter is concerned ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 1962 के बाद कैसे जहाज बनाये गये।

अध्यक्ष महोदय : वह इस रिपोर्ट को पढ़ लें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा।

श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में तैयार किये गये जहाज की लागत की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध समान जहाज की लागत से की जा सकती है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : तुलना में वे नहीं ठहरते। अवमूल्यन के फलस्वरूप लागत सम्बन्धी स्थिति में पिछले कुछ महीनों में सुधार हुआ है।

राष्ट्रपति के निर्वाचनों में संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना

+

*1648. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार भविष्य में राष्ट्रपति के निर्वाचनों में संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा भाग लिए जाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : Till what time these 95 lakhs of people would continue to be deprived of this right and Presidential elections would be held without seeking the participation of these people ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव में संघ राज्य-क्षेत्रों को भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। वस्तुतः, संघ राज्य-क्षेत्रों का संसद के दोनों सदनों-लोक-सभा और राज्य-सभा में प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रपति के निर्वाचक-गणों में इन संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं को सम्मिलित करने में कठिनाई यह है कि अनुच्छेद 54 को ध्यान में रखते हुए संघ राज्य-क्षेत्रों को राज्यों की तरह नहीं माना जा सकता है।

Shri Yashpal Singh : I am not able to understand as to why such step motherly treatment is given to Union Territories while the persons and M.L.As. of U.P. and Bihar like us, have the voting right and why they have note been given voting right even after 20 years and why this discrimination is being done within a State.

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्रीमान्, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध है :—

"राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकता के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे।"

इस प्रकार जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जायेगा, तब तक इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि इन संघ राज्य-क्षेत्रों से निर्वाचित लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उसी के अंगभूत संघ राज्य-क्षेत्रों के विधान मंडलों को, जो निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता है ? क्या यह संविधान में दिये गये सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार संविधान में अथवा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह मामला लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता परन्तु इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 54 रखा गया है। दस में से पांच संघ राज्य-क्षेत्रों में विधान सभाएं हैं और जब तक निर्वाचक गण के सम्बन्ध में संविधान में यह अनुच्छेद रहेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है।

Shri Rabi Ray : As stated by the hon- Minister, the Members of both the Houses of Parliament have the right to participate in the Presidential Election. In fact the Members of Rajya Sabha are elected indirectly and those of Assemblies of Union Territories are elected directly. But the Members of Assemblies of Union Territories do not have the right to participate in Presidential Election while those of Rajya Sabha have that right. In view of this whether the hon. Minister would take any action for amending the Constitution to this effect ?

श्री गोविन्द मेनन : यह संविधान है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न तो यह है कि क्या संविधान में संशोधन करने का कोई विचार है ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रा० ढो० भंडारे : क्या विधि मंत्री बतायेंगे कि क्या असंगत बात नहीं है कि अनुसूची 4 के अन्तर्गत राज्य सभा में राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और अनुच्छेद 54 के अन्तर्गत उन्हें निर्वाचक-गण ने सम्मिलित नहीं किया गया है ? इस असंगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पर विचार करना आरम्भ किया है कि संघ राज्य-क्षेत्रों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह असंगत स्थिति समाप्त हो जाए ?

श्री गोविन्द मेनन : यह तो सुझाव है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह देखते हुए कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर उनका मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है, किस कारण से संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ यह भेदभाव किया जाता है ? क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है ताकि यह असमानता दूर हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : प्रत्येक राज्य के मत के मूल्य में असमानता दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब दूसरा प्रश्न आरम्भ हो।

दिल्ली में उप मार्ग

+

*1649. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने और दुर्घटनाओं को घटाने के उद्देश्य से राजधानी में उप मार्ग बनाने की किसी योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) राजधानी में उप मार्ग बनाने की कोई विशिष्ट योजना अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गई है। परन्तु नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन अनेक प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों में से, पैदल आने जाने के लिए निगम द्वारा इर्विन अस्पताल के सामने उप-मार्ग बनाया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में उसका निर्माण पूरा हो जाने की आशा है।

Shri Ram Krishan Gupta : Sir, please let me know the detials of the suggestions received from Delhi Municipal Committee, the number of sub-ways suggested and the amount of financial aid asked for ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, the three suggestions are under consideration of the new Delhi Municipal Committee, one for the construction of sub-way at the junction of Cannaught Circus and Parliament Street and the other near the junction of Vinay Marg and 'M' Avenue and are near the Railway Crossing at Safdarganj Airport. Besides this Delhi Municipal Corporation is already constructing a sub-way near Irwin Hospital. Another proposal for the construction of a sub-way near the crossing of Bahadur Shah zafar Marg and Indraprastha Marg is under consideration.

Shri Ram Krishna Gupta : I want to know the estimated cost of sub-way being constructed opposite Irwin Hospital and the time by which it would be completed ?

Shri Bhakt Darshan : I do not have the figures about the cost, but the Corporation has informed us that it would be completed by the end of this year.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister himself is aware of the fact that a number of traffic accidents and bottlenecks take place in Delhi and the roads cannot be widened while the number of vehicles on the roads is going up. In view of this whether Government would take up a sideway to find the number of such sub-ways required in Delhi. Whether after conducting the survey any major scheme would be drawn up specialy for removing the traffic bottle-necks in Delhi ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, there are two bodies in Delhi who are working in this direction. The New Delhi Municipal Committee, which I have already referred to, is considering three proposals. As regards Delhi Corporation there are two schemes withthem for the construction of sub ways. One of them is inprogress and estimates are being prepared for the second one. Besides these, there are five other sub-ways or foot bridge to be constructed, one at Patel Road near Delhi Milk Scheme, the second one

at Kashmiri Gate, the third one at Shyama Prasad Mukherji crossing near Subhash Marg, the forth one at Lahori Gate and the fifth one at the junction of Kutub Road and Sadar Bazar.

Shri Kanwar Lal Gupta : What assistance Government propose to extend ?

Shri Bhakt Darshan : As you already know, all the finance to the New Delhi Municipal Committee is provided by the Central Covernment. Whatever is constructed by this body, it will be financed wholly by the Union Government.

Shri Kanwar Lal Gupta : Please also state about the Corporation.

Shri Bhakt Darshan : As the hon. Member already know, almost all the expenditure of the Corporations met by the Central Government. I want to communicate another information on behalf of the Ministry of Home Affairs and other Departments that a sum of Rs. 60 lakhs has been sanctioned for Delhi Corporation in response to the proposals sent by the Corporation to us or to the Ministry of Home Affairs during this year for three over bridges out of them.

श्री म० ला० सौंधी : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि विशेषरूप से बूढ़ी महिला अथवा छोटे बच्चों को नई दिल्ली क्षेत्र में सड़क पार करना बहुत कठिन होता है और क्या सड़क के इन खतरों को दूर करने के लिए जेबरा क्रासिंग बनाये जाने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव आया है ? देश के बाकी भागों के लिए आदर्श बताने की दृष्टि से नई दिल्ली शेत्र में एक पायलट योजना बनाई जानी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : यह बहुत ही आकर्षक सुझाव है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में मुझे एक टिप्पणी भेजें ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that there is no specific scheme for Delhi with the Central Government, but he has also made a reference of many schemes. He has also stated that all the finance to Delhi Municipal Committee is provided by the Central Government. I want to know whether there in any other Union Territory where the Central Government provide the whole finance of such Municipal Committee or Corporation ?

Shri Bhakt Darshan : This question relates to Delhi area and at present I do not have information relating to other places.

Shri Prakash Vir Shastri : The main reason for heavy traffic on the roads of Delhi during office hours is that the employees do not find much space on Jamuna bridge to cross it. What is the difficulty in the completion of the two bridges being constructed there and much time would be taken to complete them so that rush on the roads may be reduced.

Shri Bhakt Darshan : Government is fully aware of the difficulty being faced by the users of Jamuna bridge. Two bridges have been completed and two more bridges are under construction and it is expected that they would be completed by the next Summer Season.

कानूनी राशन व्यवस्था का विस्तार

+

*1650. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई नगरीय बस्तियों में भी कानूनी राशन व्यवस्था आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन किन बस्तियों में;

(ग) विभिन्न राज्यों में राशन व्यवस्था कैसी चल रही है; और

(घ) समूचे देश में अनाज का समान वितरण करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्यों से क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है ।

(घ) सामान्य रूप में, कानूनी तथा अनौपचारिक राशन अव्यवस्था के अन्तर्गत अनाज के सार्वजनिक वितरण के प्रबन्ध के लिए कदम उठाये गये हैं । इस समय 24.2 करोड़ व्यक्ति, जो कुल जनसंख्या 48 प्रतिशत भाग है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत है ।

Shri Madhu Limaye : In view of your statement that rationing position is satisfactory. I want to know the quantity of foodgrains which is being distributed at present amongst the citizens at various centres of those cities where statutory and informal rationing have been introduced.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं नगस्वार आंकड़े भी बता सकता हूँ परन्तु विवरण बहुत बड़ा हो जायेगा । यद्यपि विभिन्न राशनिंग क्षेत्रों को चावल की सप्लाई में थोड़ी कमी रही है परन्तु महाराष्ट्र के कुछ नगरों में चाहे गेहूं की हो अथवा मोटे अनाज की हो कुल मात्रा एकसी रही है । मैं कुछ महत्वपूर्ण नगरों का उदाहरण देता हूँ । कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति के लिए, जो भारी शारीरिक परिश्रम करने वाला न हो, 1750 ग्राम, ऐसे अधेड़ व्यक्ति के लिए, जो शारीरिक परिश्रम करने वाला हो, 1950 ग्राम और एक बच्चे के लिए 875 ग्राम कटा चावल तथा गेहूं का भूसी युक्त आटा, मैंदा, सूजी दी जाती है । कटे चावल या भूसी का प्रति व्यक्ति अधिकतम मात्रा 420 ग्राम है । कानपुर में चावल और गेहूँ दोनों की यह मात्रा 8 किलोग्राम है परन्तु इस समय कानपुर में केवल गेहूँ दिया जा रहा है । ग्रेटर बम्बई में प्रति मास प्रति अधेड़ व्यक्ति 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम

गेहूं दिया जाता है और 6 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए इसकी आधी मात्रा दी जाती है। भारी शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूरों को प्रतिमास गेहूं का 3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अतिरिक्त राशन दिया जाता है। राशन की स्थानीय मात्रा, चाहे वह 420 ग्राम हो अथवा और कुछ, राज्य सरकार उपलब्धि की आधार पर निर्धारित करती है।

Sbri Madhu Limaye : I want to know whether Government have found out that at present the retail prices of foodgrains in small towns and villages gone up too much. Whether Government have made any arrangement to check these prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत दो वर्षों में उत्पादन बहुत घट जाने के कारण और सूखा पड़ने के कारण देश के उन शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक राशन व्यवस्था नहीं है मूल्य बढ़ गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं है परन्तु जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कमी अधिक है वहां, देश भर में, अनौपचारिक राशन व्यवस्था की गई है। इस समय इस व्यवस्था से लगभग 2100 लाख लोग लाभ उठा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह बात मंत्री महोदय, के ध्यान में लाई गई है कि कानपुर जैसे स्थान में, जहां कानूनी राशन व्यवस्था है, गंगा की इस ओर राशन व्यवस्था है और गंगा की दूसरी ओर राशन व्यवस्था नहीं है, जिस का परिणाम यह है कि गंगा पार करके कुछ लोग गेहूं या चावल लेने जाते हैं और यदि वह एक किलो पुलिस कर्मचारी को नहीं देते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था की जायेगी ताकि कानपुर में कानूनी राशन व्यवस्था सफल हो सके अथवा क्या औपचारिक राशन की व्यवस्था की बजाय अनौपचारिक राशन व्यवस्था की जायेगी ताकि अनाज खुले बाजार में प्राप्त किया जा सके ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस समय औपचारिक राशन व्यवस्था लगभग 14,50,000 लोगों के लिए की गई है। जिस क्षेत्र का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वहां पर अनाज की उपलब्धता और राज्य सरकारों के स्वविवेक के अनुसार कार्य हो सकता है। अनाज की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारें ही फैसला कर सकती है कि औपचारिक राशन व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में की जाये या नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Have the Government ever thought over any scheme to cover the entire population of the country under Statutory Rationing System and to supply ration in uniform basis ? If not, the reasons therefor and if of, the time by which that would be implemented ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का सुझाव तो बहुत अच्छा है परन्तु हमें देश में विद्यमान स्थिति के अनुसार फैसला करना होता है। इस समय औपचारिक एवं अनौपचारिक राशन व्यवस्था मुख्यतः आयात किये जाने वाले अनाज पर चलती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तभी सम्भाली जा सकती है यदि देश में उपलब्ध सभी फालतू अनाज का समाहार कर लिया जाये। यह तभी सम्भव है यदि राज्य सरकारें फालतू अनाज का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समाहार करने का प्रयत्न करें।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question was whether such a scheme had been formulated, if not, the reasons therefor and if so, its details.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने स्थिति की व्याख्या कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे ।

Shri George Fernandes : On the one hand, people of some of the States are being given more food while others are given less, by forming food zones in the country, and on the other hand people of urban areas are given more food as compared to people of rural areas and of small towns. Will the Government arrange to supply food in uniform quantity in all the areas covered by statutory rationing system ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : औपचारिक राशन व्यवस्था बड़े बड़े नगरों में इसलिए की गई है कि वहां पर क्रय शक्ति अपेक्षतया अधिक होती है । यदि ऐसा न किया जाये तो अधिकांश अनाज शहरों में खप जायगा और ग्रामीण जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । बड़े-बड़े नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था इसी दृष्टि से की गई हैं । जहां तक गांवों में और शहरों में समान मात्रा में अनाज देने का प्रश्न है यह मंडियों में पहुंचने वाले अनाज की मात्रा अनाज के उत्पादन और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले अनाज के समाहर पर निर्भर करता है । उस विषय में स्थित मैंने बयान कर दी है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is the hon. Minister aware of the fact that in the urban areas covered by statutory rationing system, policemen, P. A. C. and armed policemen are given ration more in quantity than the other prople ? Secondly, is the hon. Minister also aware of the fact that distribution system has broken down at the fair price shops in villages of U. P. where course grain is supplied, because coarse grain is not being sent there ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पहले प्रश्न के बारे में मैं बता चुका हूँ कि शारीरिक काम करने वाले श्रमिकों को राशन अतिरिक्त मात्रा में देना पड़ता है । इसी श्रेणी में कौन से लोग आते हैं, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन करते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल भी इस श्रेणी में आती है ?

Shri Ram Sewak Yadav : Then are given more ration because they charge lathis ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में कठिनाई तो देश के बहुत से भागों में है । परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अनाज समाहार कर के प्राप्त किया हुआ है उससे अस्थायी कठिनाई दूर की जा सकती है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में जहां राशन व्यवस्था नहीं है, और जहां लोगों की क्रय शक्ति कम है वहां चावल बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है और जनता को तकलीफ होती है ? और क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि जहां राशन व्यवस्था है वहां कभी कभी ऐसा चावल और गेहूँ मिलता है जो खाने योग्य नहीं होता ?

इसके अतिरिक्त राशन वाले क्षेत्रों में कुछ अन्य अनियमितताये है जिनके कारण श्रमिक वर्ग में बहुत असन्तोष पाया जाता है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक न खाने लायक अनाज का सम्बन्ध है, स्थानीय प्रशासन को ऐसा अनाज देना नहीं चाहिये। माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के विषय में तथ्य यह है कि पिछले दो या तीन महीनों में देश के विभिन्न भागों में मूल्य स्पष्टतया बढ़े हैं परन्तु हाल ही में मूल्य कम हुए हैं पश्चिम बंगाल के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है यद्यपि मूल्य पर्याप्त रूप से कम नहीं हुए। यह कमी देश में मानसून की स्थिति अच्छी रहने के कारण हुई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आयात की स्थिति अनिश्चित होने के कारण और देश में समाहार कम होने के कारण क्या सरकार आने वाले तीन महीनों में कानूनी राशन व्यवस्था कायम रख सकेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आगामी दो या तीन महीनों में अनाज उपलब्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी यद्यपि चावल की मात्रा के विषय में कठिनाई अवश्य आयेगी। परन्तु मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि आगामी तीन महीनों में औपचारिक एवं अनौपचारिक वितरण व्यवस्था संतोषजनक ढंग से चलती रहेगी।

श्री कुण्डु : फसल काटने के मौसम के बाद भूमिहीन मजदूर बेकार हो जाते हैं। अनाज के मूल्य बढ़ जाने पर वे अनाज खरीद नहीं सकते। अतः क्या माननीय मन्त्री किसी ऐसे सुझाव पर विचार कर रहे हैं कि कमी प्रधान राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था की जाये ताकि वे लोग फसल कटने के मौसम के बाद धान या चावल उचित मूल्य पर खरीद सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सही है कि जब मूल्य बढ़ते हैं तो उससे अत्याधिक कठिनाई भूमिहीन मजदूरों को होती है। परन्तु जहां तक किसी क्षेत्र विशेष में आन्तरिक वितरण का सम्बन्ध है इस बात ध्यान रखना राज्य सरकार का काम है कि ऐसे लोगों की जरुरतें पूरी हो और यदि आवश्यक हो तो अनौपचारिक राशन व्यवस्था भी की जाये।

श्री कुण्डु : क्या इस महत्वपूर्ण विषय में मन्त्री महोदय राज्य सरकारों की एक नोट भेजने के लिये तैयार हैं। और इस विषय में एक सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : जिन क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था की गई है वहां इस आशय से कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता कि जिन लोगों को उस का लाभ मिलाना चाहिये वे वास्तव में लाभान्वित होते हैं या नहीं। क्योंकि दुकानदार वहां लाभ उठाते हैं और भ्रष्टाचार पैदा होता है। क्या सरकार इस उद्देश्य से नियंत्रण लागू करेगी अथवा अनौपचारिक राशन व्यवस्था को नियमित करेगी ताकि जिन लोगों की ऐसी व्यवस्था का लाभ पहुँचाना चाहिये उन्हीं को फायदा पहुँच सके ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कार्डों के साथ सुसंगठित वितरण व्यवस्था की जाती है तो अधिकांश कुरीतियां टल सकती है। यदि एक नियमित कार्ड द्वारा वितरण व्यवस्था नहीं की गई है तो वितरण गलत तरीके से होने की गुंजाइश है। इस समस्या की ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

Shri O. P. Tyagi : Will the Government consider the proposal to stop giving ration to those who are rich and who have capacity to purchase grain in the open market and to give ration to maximum number of poor people ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अनौपचारिक राशन व्यवस्था द्वारा किन लोगों को कितना कितना राशन दिया जाये इस का फैसला करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : केन्द्रीय सरकार ने जितना चावल देने का वायदा किया था उतनी मात्रा में न दिये जाने के कारण केरल राज्य में राशन व्यवस्था पूर्ण रूप में भंग हो रही है। इसके फलस्वरूप वहां विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस स्थिति का निवारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या निश्चित उपाय कर रही है ? इस अति कठिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार केरल को तबाही से बचाने के लिए उसे चावल भेजने के लिये एक राज्य के क्षेत्र समाप्त करने और कई कई राज्यों को मिलाकर क्षेत्र जैसे दक्षिण क्षेत्र बनाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि केरल में समूची विवरण व्यवस्था के भंग हो जा जाने का अभी कोई खतरा है·····(**अन्तर्बाधायें**)। मैं केरल के माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूँ। हाल ही में केरल के मुख्य मन्त्री यहां आये थे और खाद्य तथा कृषि मन्त्री से विस्तृत बातचीत हुई थी। मैं यह कह सकता हूँ कि चावल के मामले में तो कुछ कठिनाई होगी परन्तु गेहूँ आदि मिला कर अनाज की कुल मात्रा की दृष्टि से केरल की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : चावल की सप्लाई में कमी रही है। जब मुख्य मन्त्री यहां आये थे तो हम ने प्रबन्ध किया था और 33,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने का आश्वासन दिया था।

एक माननीय सदस्य : वह 75,000 मीटरी टन लेना चाहते हैं।

श्री जगजीवन राम : हम प्रयत्न कर कर रहे हैं कि क्या आयात करके अथवा देश में समाहार कर के कम से कम 40,000 मीटरी टन चावल सप्लाई नहीं किया जा सकता। इस समय कुछ चावल आन्ध्र प्रदेश से और कुछ मद्रास से वहां गया है। एक जहाज से चावल उतरना वहां शुरु हो गया है जिसमें 10,000 मीटरी टन चावल है। एक अन्य जहाज जिसमें 7,000 मीटरी टन चावल है दो दिन के अन्दर वहां पहुंच जायेगा। इसके बाद वहां चावल उपलब्ध हो जायेगा। गेहूं भी सप्लाई किया गया हैं। अतः अस्थायी तौर पर कठिनाई निसन्देह रही है परन्तु हमने वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए उपाय किये हैं।

———

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Cut in Sugar Quota

+

*42. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attenion of Government has been drawn to the news item under the caption "Cut in the Sugar Quota of Bihar" appearing in the daily Searchlight of the 29th published from Patna ;

(b) if so, whether the Minister of Supply, Government of Bihar has stated that heavy reduction has been made in the sugar quota of Bihar ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) whether it is also a fact that sugar has not been sanctioned to the people this year on marriage ceremonies ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Newspapers reported such a statement.

(c) Due to limited availabilty, the quotas of all the States including Bihar have been reduced.

(d) No such complaint has been received. However, distribution of allotted sugar within the State is arranged by the state Government.

Shri Bibhuti Mishra : Have the Central Government written to the Government of Bihar in connection with the statement given by the Bihar Minister intimating that the quota of sugar would be reduced and have that Government agreed to that ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्थिति इस प्रकार है । सभी राज्यों का कोटा मई में कम किया गया था । देश भर में अनुपाती कटौती की गई थी । सभी राज्यों के फरवरी के कोटे में से लगभग 40 प्रतिशत कटौती की गई थी परन्तु बिहार के कोटे में से 38--39 प्रतिशत कटौती की गई थी । इस प्रकार बिहार के कोटे में अन्य राज्यों के लगभग बराबर कमी की गई । इसके पश्चात बिहार की सरकार ने अभ्यावेदन किया कि यह विवाहोत्सवों के दिन हैं । यद्यपि केन्द्रीय सरकार भविष्य के कोटे के सम्बन्ध में समायोजन नहीं करती, बिहार सरकार यह चाहती थी कि एक विशेष मास में चीनी अधिक दी जाये जिसकी बाद के मासों के कोटे में से कटौती कर ली जाये । उन्होंने कहा था कि अप्रैल के लिए 11,000 मीटरी टन की बजाय 12,000 मीटरी टन अलाट किया जाये और मई मास के लिए 9,192 मीटरी टन की बजाय 12,000 मीटरी टन चीनी अलाट की जाये, जून के लिए 9192 मीटरी टन की बजाये 8,000 मीटरी टन दिया जाये, जुलाई के लिए 9192 मीटरी टन की बजाय 7,000 मीटरी टन दिया जाये, अगस्त के लिए 9,192 मीटरी टन की बजाय 7,000 मीटरी टन दिया जाय, सितम्बर के लिए 9,192 मीटरी टन की बजाय 10,000 मीटरी टन दिया जाये और अक्तूबर के लिए 9,192 मीटरी टन की बजाय उन्हें 9,000 मीटरी टन दिया जाये ।

इस प्रकार बिहार सरकार को 66,152 मीटरी टन चीनी मिलती थी और उनका कोटा भी इतना ही नियुक्त था। अतः बिहार सरकार के कुल कोटे में से कटौती शून्य हुई। परन्तु यह समायोजन उन्हीं के कहने पर किया गया था। यह व्यवस्था केवल बिहार के सिलसिले में ही की गई थी, अन्य राज्यों के सिलसिले में हम ऐसा नहीं करते।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that while fixing quota for each State, Bihar is allotted per capita less sugar than the other States ? Do the people of Bihar consume lees sugar and if so, on what basis Government can say that ? Do the Government allot sugar quota to all the States on unfiorm basis ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : चीनी का कोटा, 1961 में जब नियन्त्रण था उस समय की स्थिति के आधार पर नियत किया जाता है। छः मास की अवधि में प्रत्येक राज्य को अपनी इच्छानुसार चीनी लेने की अनुमति दी गई थी, परन्तु इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध था। 1963 के पश्चात कोटा नियत करने के लिए उसी अवधि के आधार माना गया था।

Shri K. N. Tiwari : Was Centre's approval sought in respect of the statement given by the Food Minister of Bihar in respect of sugar quota ? Secondly, is the sugar which is given to Badhera Factory for manufacturing Lemon juice and other commodities included in this quota or some extra sugar is given to them ? If extra sugar is given for that purpose, the quantity thereof ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है बिहार सरकार के प्रतिनिधि, खाद्य आयुक्त, के सुझाव पर जो व्यवस्था की गई थी उसकी सूचना माननीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने बिहार के खाद्य मन्त्री, श्री कपिल देव सिंह को दे दी थी और बिहार सरकार की तथ्यों की पूरी जानकारी है। दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे सूचना की आवश्यकता है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The hon. Member just now said that sugar quota of Bihar State has been reduced. Has the sugar quota been reduced in all the States preportionately; and what the percentage of the quota reduced ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : चीनी का कोटा सभी राज्यों में अनुपात से ही कम किया गया है और यह कटौती उत्पादन की कमी से सम्बद्ध है। चूंकि हमारा उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत कम हुआ था अतः चीनी का कोटा देश में उपलब्ध चीनी के आधार पर नियत किया जाना था।

श्री सम्बन्धन : क्या यह सही है कि गैर-सरकारी विक्रेताओं को केन्द्रीय सरकार ने सीधे केन्द्रीय कोटे में से चीनी दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कुछ बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को, जो देश के किसी एक भाग में माल तैयार करते हैं और उसे देश भर में बेचते हैं, चीनी बहुत कम मात्रा में सीधे दी जाती है। प्रतिरक्षा वालों, सीमा सुरक्षा वालों आदि के समेत बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को मुश्किल से पांच से सात हजार मीटरी टन चीनी प्रति मास दी जाती है।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या सरकार नियन्त्रण की आवश्यकता समाप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

उर्वरकों का आयात

***1651. श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किस-किस किस्म के उर्वरक का आयात किया गया और कितनी-कितनी मात्रा में; और

(ख) प्रत्येक किस्म की आयातित उर्वरक भारत में आकर किस भाव में पड़ा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1359/67]**

एयर इण्डिया के विमानों का बेड़ा

***1652. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का विचार अपने विमानों के बेड़े को मजबूत करने के लिये नये विमान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन किस्मों के और कितने-कितने विमान खरीदे जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एक बोइङ्ग–707–320 सी का क्रय आदेश पहले ही दिया हुआ है। दो बोइङ्ग–747 (जुम्बो जेट) विमानों की खरीद के बारे में बातचीत चल रही है।

राज्यों के चावल के कोटे में कटौती

***1653. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री म० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले चावल के कोटे में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) किसी भी निर्धारित कोटे में प्रतिशत के आधार पर कटौती नहीं की गई है । हर मास चावल की सप्लाई केन्द्र के पास उपलब्ध चावल तथा राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है । चूंकि नई फसल आने से पहले अगस्त और सितम्बर में चावल कम मात्रा में उपलब्ध होगा अतः इन मासों में सप्लाई की स्थिति भी कठिन रहेगी ।

(ग) राज्य सरकारें स्वभावतः सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार चावल नहीं मिल सकेगा ।

माल भाड़े की दरें

***1654. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री पार्थसारथी :
श्री गां० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री 20 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ी हुई भाड़ा दरों में संशोधन करने और उन्हें कम करने के लिये यू० एस० शिपर्स कांफ्रेंस के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : सम्बद्ध यू० एस० शिपर्स कांफ्रेंसेस के साथ अग्रेतर पत्र-व्यवहार के पश्चात् और वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया है कि इस विषय पर कांफ्रेंस के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि मण्डल को न्यूयार्क भेजा जाये । न्यूयार्क में आगामी सप्ताह बातचीत हो जाने के पश्चात् ही परिणाम का पता चलेगा ।

Participation in General Elections by Government Employees and alleged misuse of Government Machiner by certain Ministers.

***1655. Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint to the effect that the Government employees worked for certain parties and candidates in the last General Elections;

(b) whether Government have also received some complaints to the effect that certain Ministers had misused Government machinery and their office for election purposes; and

(c) if so, the action taken by Government on the said complaints ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan): (a) and (b)Yes, Sir.

(a) The information is being compiled and will be laid on the Table of the House in due course.

Brochure of Elections

*1656. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission did not bring out any brochure for the guidance of candidates contesting the last General Elections; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) **Yes, Sir.**

(b) As the amendments to the Representation of the People Act and the Rules were made very late in December, 1966 and the Delimitation work also kept the commission and its office busy during this period, it was found possible to bring out only the more important Hand-books for Returing Officers and for Presiding Officers. These were however made available to the general public and a separate Hand book for Candidates was not considred necessary.

अमरीका से वापिस आने वाले भारतीय जहाजों को लदान का माल

*1657. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा यूरोप महाद्वीप से वापिस आते समय भारतीय जहाजों को लादने के लिये पर्याप्त माल नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख) अमरीका से भारत को जहाजों द्वारा व्यापार दो भागों में होता है अर्थात् (1) अमरीका से भारत का एटलांटिक तट और (2) अमरीका से भारत का पैसिफिक तट। पहले मामले में भारतीय जहाजों को प्रत्येक बार पूरी क्षमता के अनुसार लदान का माल मिलता रहा है। दूसरे मामले में, भारतीय जहाजों को क्षमता के अनुसार माल नहीं मिलता रहा है। इस स्थिति के निवारण के लिए, इस व्यापार में भारतीय लाइनों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं के वैज्ञानिकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

कान्टीनेंट और यू० के० से लौटने वाले भारतीय लाइनर जहाजों के मामले में भी क्षमता का कुछ कम उपयोग होता है जिसका कारण यह है कि (एक) व्यापार की मात्रा का कम हो जाना, विशेषकर यू० के० से और (दो) कुछ गैर-कार्फेस लाइनों से प्रतियोगिता।

ट्रम्प जहाजों के मामले में क्षमता का कम उपयोग होने का प्रश्न नहीं उठता चूंकि वे अधिकांश लदान का माल पूरे जहाज भरकर ढोते हैं।

ऑटो-रिक्शा स्कूटरों के किराया बताने वाले मीटर

*1658. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मोटर–गाड़ी नियमों में ऑटो-रिक्शा स्कूटरों में लगाये जाने वाला किराया बताने के मीटरों के लिये ढांचे, यांत्रिक तथा संचालन सम्बन्धी कुछ विशिष्ट मान निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऑटो-रिक्शा स्कूटरों के लिए किराया बताने के मीटर मंजूर करते समय इन विनियमों और शर्तों का पालन करवाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऑटो-रिक्शा स्कूटरों में मानक से घटिया किस्म के मीटर लगाये जाने के बारे में जांच कराने और इनके स्थान पर मानकीकृत मीटर लगवाने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, सिवाय "यंके" मीटर के जिसमें "किराये के लिए", "किराये पर" आदि शब्द दिखाने वाला फ्लैग आर्म नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने परिवहन विभाग, दिल्ली प्रशासन, की ओर से "यंके" मीटर टैस्ट किया था और उसे सही और काम के लिये पक्का घोषित किया था। इस निष्कर्ष की दृष्टि से और इस मीटर की तुलनात्मक दृष्टि से कम लागत होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इसे स्कूटर–रिक्शाओं में लगाये जाने के लिए मंजूरी दे दी थी।

Border Roads in Rajasthan

*1659. **Shri O. P. Tyagi :** **Shri S. K. Tapuriah :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri P. N. Solanki :**
Shri Onkar Lal Bohra :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government has approached the Central Government for the grant of financial assistance for the construction of Border roads in the State;

(b) if so, the amount involved; and

(c) Government's reaction thereto in view of the fact that Pakistan has already built a network of roads all along the borders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The Government of Rajasthan had come up with a proposal for

for financial assistance for the construction of border roads in Rajasthan. The proposal was examined and in the light of the requirements, hundred per cent financial assistance was accepted for the approved schemes in September, 1965. The total cost of the approved schemes is Rs. 23 crores, out of which works, costing Rs. 17.66 crores, have now been assigned Top Priority. A sum of Rs. 6.87 crores has been spent till March, 1967; and a sum of Rs. 5.80 crores is being proposed to be set apart for 1967-68 to meet, in full, the requirements of Top Priority Works of the strategic roads in Rajasthan.

खाद्यान्न की कमी

*1660. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में किन-किन राज्यों ने अपनी खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की है और किन-किन राज्यों ने कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) कार्यवाही करने वाले राज्यों ने क्या-क्या कार्यवाही की है तथा कार्यवाही न करने वाले राज्यों में कितनी कमी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत दो वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों ने उपाय किये हैं। भौगोलिक आबोहवा तथा अन्य स्थितियों की दृष्टि से, जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं, कुछ राज्यों के लिए न तो यह सम्भव है और न व्यावहार्य ही कि वे अनाज के उत्पादन की अपनी आवश्यकताओं से समता लायें। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें ये शामिल है, अधिक उत्पादन वाली किस्मों की अधिक से अधिक जमीन पर खेती करने के लिए कार्यक्रम बनाना, कई प्रकार की खेती करना, लघु सिंचाई में वृद्धि करना, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना और पौधा संरक्षण उपाय करना, इत्यादि।

(ग) तथा (घ) कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर बराबर नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में केन्द्रीय दल राज्यों का दौरा करते हैं और यह फैसला करते हैं कि कौन सा कार्य किया जाये और विभिन्न कार्यों के करने के लिए समय-सूचियां क्या-क्या हों। अधिक उत्पादन वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम की क्रियान्विति के दौरान पैदा होने वाले क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तथा उनको शीघ्र हल करने के लिए दस राज्यों में क्षेत्र समस्याओं सम्बन्धी एकक स्थापित किये गये हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा कृषि-आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्र समय-समय पर सर्वेक्षण करते हैं और आई०ए०डी०पी०, एच०वी०पी० इत्यादि जैसे विशेष कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं के जरिये भी यह काम किया जाता है।

केरल में छोटे पत्तन

*1661. **श्री नायनार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री केरल में छोटे पत्तनों के बारे में 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केरल के छोटे पत्तनों के विकास के लिए अपेक्षित धन नहीं दिया गया था जिससे इन पत्तनों का पूरी तरह विकास नहीं हो सका;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आर्थिक तथा व्यापारिक दोनों, दृष्टियों से केरल के छोटे पत्तनों के विकास की बहुत गुंजाइश और आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन पत्तनों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा इस कार्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने धन की व्यवस्था की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बड़े पत्तनों को छोड़कर, अन्य पत्तनों के विकास के लिए कार्यपालिक दायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का है। पहली तीन पांच वर्षीय योजनाओं में वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर, केरल में छोटे पत्तनों के विकास के लिए क्रमश: 27.95 लाख रुपये, 46.66 लाख रुपये और 180.65 लाख रुपये नियत किये गये थे। राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च के आधार पर, योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहली तीन योजनाओं की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने क्रमश: 2.16 लाख रुपये, 7.65 लाख रुपये और 70.64 लाख रुपये ऋण सहायता के रूप में दिये। योजनायें राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप में कार्यान्वित न किये जा सकने के कारण बाद की योजना की अवधियों में विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

(ख) सरकार यह बात मानती है कि केरल में छोटे पत्तनों के विकास के लिए काफी गुंजाइश है और कि वे राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

(ग) राज्य सरकार ने हाल ही में बताया है कि वे अपने छोटे पत्तनों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का विचार रखती है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

केरल में छोटे पत्तनों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में 185.21 लाख रुपये अस्थाई तौर पर नियत किये गये हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने अपनी चौथी योजना सम्बन्धी योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों द्वारा हड़ताल का नोटिस

***1662. श्री मरंडी :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री ओ० प्र० त्यागी
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री मेघ चन्द्र :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हड़ताल का नोटिस दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन विमान-चालकों की मुख्य मांगें क्या है; और

(ग) इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। उन्होंने 16-7-1967 को हड़ताल का नोटिस दिया था।

(ख) विमान-चालकों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:—

(i) महंगाई भत्ते का उसी दर से दिया जाना जिस दर से एयर इण्डिया के विमान-चालकों को दिया जाता है।

(ii) विदेश परिचालन भत्ते (ओवरसीज़ आपरेशंस एलाउन्स) का दिया जाना।

(ग) विमान-चालकों के साथ एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार महंगाई भत्ते का प्रश्न एक ऐसे विवाचक को सौंप दिया जायेगा जिसके बारे में आई० ए० सी० और उसके विमान चालकों—दोनों की सहमति होगी, और अन्य मामले अदालती फैसले के लिए भेज दिये जायेंगे। हड़ताल का नोटिस 31-7-1967 को वापिस ले लिया गया।

बिहार में ऊसर भूमि

*1664. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे की अवधि में मृत्यु और अपोषण से हुई पशु-धन की कमी से बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि के बहुत बड़े भाग में खेती नहीं की जा सकी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) ऐसे किसानों को पशु खरीदने के हेतु सहायता देने तथा सारी भूमि में खेती कराने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी बिहार सरकार से मांगी गई है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

कलिंगा एयरवेज़ के विमान चालक

*1665. **श्री रा० रा० सिंह देव**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री न० कु० सांधी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंगा एयरवेज़ बन्द हो जाने के कारण बहुत से अनुभवी विमान चालक बेरोज़गार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलिंग एयरलाइन्स के पास एक अन-अनुसूचित परमिट है जो 31 मार्च, 1968 तक वैध है। उनके नेफा में रसद गिराने के लिये किये जाने वाले परिचालनों के ठेके का 30 जून, 1967 से आगे नवीनकरण नहीं किया गया है। सरकार को कोई सूचना नहीं है कि इसके किसी विमान-चालक की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

(ख) और (ग) भविष्य में नेफा में रसद गिराने की व्यवस्था के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अभी इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि सरकारी एजेंसियों तथा व्यवसायों के लिये "कलिंग" विमान-चालकों की सेवाओं का किस हद तक उपयोग करना सम्भव होगा।

दिल्ली में भूराजस्व विभाग का पुनर्गठन

*1666. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रणधीर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकाया काम का निपटारा करने और राजस्व सम्बन्धी अभिलेख को अद्यतन बनाने के लिए क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि राजस्व विभाग का पुनर्गठन करने का विचार है ?

(ख) क्या यह सच है कि गत 15 वर्षों से दिल्ली के 357 गांवों से लगान वसूल नहीं किया गया है; और

(ग) कितनी राशि वसूल करनी बकाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। इस विषय पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

(ख) जी नहीं, । 4 लाख रुपये (अनुमानित) के वार्षिक लगान की तुलना में पिछले 2 वर्षों में चालू तथा बकाया राजस्व के रूप में 21,59,874 रुपये की वसूली की गई । पिछले 7 वर्षों में 31,91,182 लाख रुपये की वसूली की गई । 1960 से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 1 जुलाई, 1967 को 18,89,652 रुपये के राजस्व की वसूली बकाया है ।

Community Development Works

*1667. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the causes of retardation in Community Development works in most of the States;

(b) the steps being taken to remedy the situation; and

(c) the States in which steps have been taken to improve the administration of block offices and the nature of steps taken and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadswamy) : (a) The set-back in the Community Development Programme may be attributed, in the main, to shifts in programme priorties, paucity of resources and the relative inadequacy of extension services having the requisite levels of skills and knowledge.

(b) In the new lines of policy on Community Development, which have been formu lated and forwarded to the State Governments for their views, the programme content has been realigned to be better in tune with current priorities, having regard, at the same local needs and resources. Efforts continue to secure maximum outlays on Community time, to Development programme, within the limitations of the overall resources, The State Governments have also been urged to strengthen the block programmes by maximum devolution of other departmental schemes, together with the resources, upon the block agency. Programmes of training and education to improve the functional competence of the extension workers have also been instituted.

(c) States such as Maharasbtra, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh and Madras have already taken steps to devolve substantial programmes, together with resources, on the block agency. Upgradation of Gram Sevak Training Centres and organisation of special courses for extension officers and district and higher level personnel have been taken up by all the States- Broadly, the measures appear to have had beneficial impact.

Distribution of Maida and Suji in Delhi

*1668, **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India has entrusted the distribution of "maida" and "Suji" in Delhi to the Delhi Administration with effect from the 12th July, 1967;

(b) whether it is also a fact that the Food Corporation had allotted these commodities directly to the bulk consumers in Delhi during the period between the 12th and 12th July, 1967; without consulting the Delhi Administration; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture Community Development and Cocperation (Shri Annasahib Shinde) (a) : No, Sir. Maida and Suji were declared as rationed articles in the Delhi rationed area w.e.f. the 12th July 1967. The distribution of these articles therefore, became the responsibiltity of the Delhi Administration only on and after that date. The question of the F. C. I. entrusting the distribution to the Delhi Administration does not arise.

(b) No, Sir. However, some bulk consumers obtained Maida and Suji from the roller flour mills after the 12th July, 1967 against release orders issued by the F. C. I. prior to the 12th July, 1967.

(c) Does not arise.

पंजाब में बीज फार्म

***1669. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से पंजाब में 10,000 एकड़ बेकार पड़ी भूमि में एक बीज फार्म बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह फार्म सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा बिड़ला संस्थान के फार्म को पट्टे पर दिया जायेगा;

(ग) क्या केन्द्र की सहायता से पंजाब में सरकारी क्षेत्र में एक बीज फार्म स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) सूरतगढ़ के तरीकों पर पंजाब में केन्द्रीय राज्य फार्म की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

Transaction of Judicial Work in Regional Languages

***1670. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while leaving for Kerala on the 14th April, 1966, he stated at Coimbatore aerodrome that all judicial work should be transacted in the regional languages of the States; and

(b) if so, the manner in which Government propose to encourage the use of regional languages in the Courts in the various States ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Code of Civil Procedure 1908 and the Criminal Procedure Code 1898 already contain provisions to enable the use of regional languages in the transaction of business in the Subordinate Courts. So far as the High Courts are concerned, article 348 of the Constitution provides for the language to be used in the High Courts and clause (2) thereof enables the State Governments to take initiative in the matter of the use of regional languages in relation to their proceedings. Section 7 of the Official Languages Act, 1963 also provides that the Governer of a State may, with the previous consent of the president, authorize the use of Hindi or the Official language of the State, in addition to the English language, for the purposes on any judgment, decree or order passed or made by the High Court for that state. It may thus, be seen that the State Governments are concerned with the use of regional languages in the tranaction of business in the Subordinate Courts and that the initiative in the use of regional languages for the purses of any judgment, decree or Order passed or made by the High Court of a State also rests with the State Governments.

In order to encourage the use of regional languages in the various Courts in the various States, Central Acts are being translated by the Official Language (Legislative) Commission in the respective Official language of the States.

एवरो विमान

*1671. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एवरो विमान और डकोटा विमान को प्रति घंटा चलाने पर कितना व्यय होता है और दोनों के मामले में "ब्रेक-इवन लोड फैक्टर" क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिस्टल सिडले कम्पनी द्वारा निर्मित एवरो विमानों की लागत भारत में उसी कम्पनी द्वारा निर्मित विमानों की निर्माण लागत से बहुत कम है;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि ब्रिटिश कम्पनी द्वारा निर्मित एवरो विमानों को चलाने का खर्च हमारे विमानों को चलाने के खर्च से 50 प्रतिशत कम बताया जाता है;

(घ) एवरो विमान बनाने के खर्च के बारे में प्रारम्भ में क्या अनुमान लगाया गया था और उसकी नवीनतम उत्पादन लागत कितनी है;

(ङ) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एक बार एवरो विमानों का पूरा बेड़ा प्राप्त कर लिये जाने के बाद इसका संचालन व्यय बहुत बढ़ जायेगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस अलाभप्रद सिद्ध विमान को क्यों बना और चला रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क)	परिचालन व्यय प्रति घंटा	यात्री-संख्या का लाभ हानि रहित अनुपात (ब्रेक-ईवन लोड फैक्टर)
एवरो (एच एस--748)	2660.00 रुपये	वायुयान के कुछ काल तक उड़ लेने के बाद ही हिसाब लगाया जा सकता है।
डकोटा	1533.60 रुपये	127.3%

(ख) यू० के० में एवरो वायुयान के निर्माता, मेसर्स होकर सिडली एविएशन लिमिटेड, ने मानचेस्टर स्थित कारखाने से बाहर आते समय विमान की कीमत 94.50 लाख रुपये बतलाई है, जबकि मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का एस एस--748 वायुयान का उत्पादन व्यय 84.67 लाख रुपये हैं।

(ग) मूल उत्पादक ब्रिटिश फर्म द्वारा बनाये गये एवरो विमानों का परिचालन व्यय इस समय तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) एवरो 748 (एच एस--748) सीरीज़ II वायुयान की मूल अनुमानित लागत	1,95,000 पाउण्ड (अथवा, अवमूल्यन-पूर्व दरों पर 26 लाख रुपये)
1966 में अनुमानित लागत	84.67 लाख रुपये, जिसमें ऐच्छिक उपस्कर, सीमा-शुल्क तथा बिक्री कर सम्मिलित है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Distribution of Maida in Delhi

***1672. Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India has authorised the Delhi Administration to distribute maida;

(b) whether it is a fact that the only 900 bags of maida were supplied at the time of authorising the distribution in Delhi while Delhi's daily requirment is for one thousand bags of mida; and

(c) if so, the reasons for the short supply ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. Since maida has been declared rationed article with effect from 12th July, 1967 the Delhi Administrations is responsible for its distribution from that date.

(b) and (c) The stock of maida available for distribution on 12th July, was 911 bags. Normal production of maida was affected by interruption in the supply of improted wheat to the mills.

पंजाब खाद्य क्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर को सम्मिलित किया जाना

*1673. **श्री मंरडी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अपने खाद्य क्षेत्र में जम्मू तया काश्मीर को सम्मिलित किये जाने के बारे में केन्द्र से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वाइकाउन्ट विमान

*1674. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स्वैल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वाइकाउन्ट विमानों के ढांचे में दरारें पड़ गई हैं और उनमें खराबियां आ गई हैं तथा वाइकाउन्ट विमान निर्माताओं द्वारा बताई गई सुरक्षित प्रयोग की अवधि पूरी कर चुके हैं और विमान चालक संघ ने उन्हें चलाने से इन्कार करने की सूचना सरकार को दी है अथवा उनका विचार ऐसा नोटिस देने का है;

(ख) यदि हां, तो वाइकाउन्ट विमानों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या वाइकाउन्ट विमानों का प्रयोग बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर प्रयोग किये जाने के लिये अन्य विमान खरीदने का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। वाइकाउन्ट विमानों के ढांचे में न कोई दरारें पड़ी हैं और न उनमें कोई खराबी आई है। अलीक पार्श्वों

(फॉल्स रिब्स) पर कुछ दरारें मालूम पड़ी हैं जिन पर कि उड़ान के दौरन में भी भार नहीं पड़ता। ऐसी दरारें कुछ अन्य देशों में भी इस्तेमाल किये जाने वाले वाइकाउन्टों पर दिखाई दी हैं। उन्होंने विमान निर्माताओं द्वारा बतायी गयी सुरक्षित प्रयोग की अवधि पूरी नहीं की है। संसार के कई भागों में बहुत से वाइकाउन्ट अभी भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं। यह भी सच नहीं है कि विमान-चालकों ने सरकार को वाइकाउन्ट विमान चलाने से इन्कार करने की सूचना दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सुरक्षा की अपेक्षा वाणिज्यिक दृष्टि से वाइकाउन्टों को बदलने का प्रश्न अभी विचाराधीन हैं।

खाद्यान्नों का आयात तथा उत्पादन

8203. **श्री कर्ण सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 के बाद वर्षवार कुल कितना अनप्त आयात किया गया; और

(ख) 1951 के बाद वर्षवार कुल कितना अनाज देश में पैदा हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये विवरण संख्या एल० टी० 1360/67]**

(ख) कृषि वर्ष (जुलाई-जून) से सम्बद्ध मांगी गई सूचना देने वाला एक अन्य विवरण भी संलग्न है।

Landless Labour Rehabilitation Scheme

8204. **Shri D. S. Patil :**
Shri Baswant :
Shri T. A. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names of States which were given financial assistance from the Centre during 1956-67 under Landless Labour Rehabilitation Scheme for (i) making land cultivable with the acreage thereof; (ii) initial expenditure on rehabilitation and the number of persons who would be benefited therefrom; and (iii) the scheme to set up colonies and the number of families which would be benefited therefrom and the extent thereof ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See LT-No. 1361-67]**

Resettlement of Landless Persons in Maharashtra State

8205. **Shri D. S. Patil :**
Shri S. D. Patil :
Shri Baswant :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount of financial assistance given by the Central Government so far in the form of grant-in-aid and loans for meeting preliminary expenses on the programme for resettling landless labourers in Maharashtra under the Resettlement Scheme and the number of familites resettled with the help of this assistance;

(b) whether goldsmiths to whom lands have been allotted have also been included amongst the landless labourers in Maharashtra for the purpose of this scheme and have also been given such financial aid;

(c) if so the reasons therefor; and

(d) the amount of financial aid given to goldsmith ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During 1966-67 the Central Government has given financial assistance to the Government of Maharatra to the extent of Rs.1,25,47,150/- of which Rs. 97,38,300/- was in the form of grant-in-aid and Rs. 28,08,850/- in the form of loan. 16,124 families of landless agricultural workers are reported to have been resettled in Maharashtra under the Centrally sponsored scheme.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

सहकारी कृषि समितियां

8206. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी कृषि समितियां संगठित करने में प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1967 तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या—1362-67]**

National Highway No. 9

8207. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the narrowness of the Highway, accidents have become a daily feature on National Highway No. 9 that pass through Maharashtra, Mysore, Andhra Pradesh and Madras;

(b) if so, the number of accidents from 1962 to December, 1966;

(c) whether Government propose to widen the road in order to prevent accidents; and

(d) if so, when ?

Deppty Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The necessary information is being obtained from the State Governments concerned and will be laid on the table of the House on receipt. National Highway No, 9 does not pass through Madras State.

(c) and (d) In the draft Fourth Five Year Plan, a tentative provision of Rs. 80 lakhs has been made for widening of 80 miles of the Vijayawada-Hyderabad section of the road to a two-lane carriageway.

खाद्यान्न रखने के लिये केन्द्रीय गोदाम

8208. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न रखने के लिये देश में कितने और कहां कहां गोदाम हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय कितने गोदाम वास्तव में प्रयोग किये जा रहे हैं और कितने बेकार पड़े हैं तथा वे देश के किस भाग में हैं;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में और अधिक गोदाम बनाने का सरकार का विचार है;

(घ) इन गोदामों के प्रयोग के लिये किसानों से सरकार को कितना किराया अथवा प्रशुल्क प्राप्त होता है;

(ङ) खाद्यान्न रखने की इस सुविधा से कितने किसान लाभ उठाते हैं;

(च) खाद्यान्नों को खराब होने तथा सड़ने से बचाने के लिये कौन कौन से विभिन्न रसायन तथा कितनी मात्रा में छिड़के जाते हैं;

(छ) इस प्रयोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले रसायनों और उपकरणों पर कितनी वार्षिक लागत आती है; और

(ज) ये रसायन, कीटनाशक दवाइयां किन कम्पनियों अथवा निर्माताओं से खरीदे जाते हैं और प्रति वर्ष प्रत्येक से कितनी मात्रा खरीदी जाती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा एफ० सी० आई के गोदामों की संख्या, स्थान तथा उनकी क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1363/67]**

(ख) यद्यपि अनाज की वर्तमान कमी के कारण इनमें से कुछ गोदामों में कभी कभी स्टाक कम रहता है परन्तु इन सबका प्रयोग हो रहा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) तथा (ङ) चूंकि केन्द्रीय और एफ० सी० आई० के गोदामों का प्रयोग इन्हीं के स्टाक के लिये किया जाता है अतः ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

(च) 1966-67 में इन गोदामों में छिड़कने के लिये इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है :–

(1) मालथियन एमल्शन	5,243 लिटर
(2) पाइरेथ्रम	282 किलोग्राम
(3) बी. एच. सी वेट्टेबल पाउडर	6.37 मीटरी टन

स्टोर किये जाने वाले अनाज की मात्रा और इसे कितने समय के लिये स्टोर किया जाता है इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी मात्राओं में रसायनों का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अलावा अनाज के परीक्षण के लिये बी. एच. सी. पाउडर, ई. डी. सी. टी. मिक्सचर, फोस्टोक्सिन, मेथिल ब्रोमाइड, इथीलेनेडी-ब्रोमाइड, जिंक फोस्फाइड और सीभाग जैसे कुछ कीटनाशी रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है।

(छ) 1966-67 में 9.82 लाख रुपये के रसायनों तथा कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग किया गया। छिड़कने के लिये पांव से चलने वाले स्प्रेयरों और फौग जेनरेटरों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण एक बार खरीद किये जाने के पश्चात् कई वर्षों तक काम में लाये जाते हैं। 1966-67 में 63,400 रुपये के छिड़कने के उपकरण खरीदे गये।

(ज) 1966-67 में रसायनों/कीटनाशी पदार्थों की खरीद निम्नलिखित फर्मों से की गई :–

रसायन/कीटनाशी पदार्थ	फर्म का नाम	मात्रा
(1) मालाथियन एमल्शन	(1) मैसर्स आल इंडिया मेडिकल कारपोरेशन, बम्बई–2	2,250 लिटर
	(2) मैसर्स डेस्को इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	2,250 लिटर
	(3) मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	500 लिटर
(2) जिंक फोस्फाइड	(1) मैसर्स कामर्शियल इण्डिया, कलकत्ता	400 किलोग्राम

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में भोजन व्यवस्था

8209. श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों के विमान में भोजन की सप्लाई करने वाले विभिन्न व्यवस्थापकों अथवा ठेकेदारों के नाम क्या हैं;

(ख) 1966–67 को समाप्त होने वाले वर्ष में उस भोजन पर कितना खर्च आया;

(ग) क्या ये ठेके निविदाएं मंगाने के बाद दिये जाते हैं और यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं;

(घ) पिछली बार कितने ठेकेदारों ने टेण्डर दिये थे;

(ङ) इस कार्य के लिये किसी ठेकेदार का अन्तिम रूप से चयन किस आधार पर किया जाता है; और

(च) इस कारपोरेशन को प्रत्येक भोजन, नाश्ता, मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन का दाम क्या पड़ता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) आई० एस० सी० की उड़ानों पर विमान में भोजन की सप्लाई करने वाले खान-पान व्यवस्थापकों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1364/67]**

(ख) 14,60,126-00 रुपये।

(ग) (घ) से (ङ) हवाई अड्डों पर ठेके नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा टेण्डर मंगाकर बातचीत करके दिये जाते हैं।

आई० ए० सी० द्वारा कोचीन पर ठेका चार फर्मों से टेण्डर मंगाकर दिया गया। ठेका मैसर्स सीलार्डस, एक 4-स्टार होटल को, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बढ़िया किस्म के भोजन और दी गई अधिक अच्छी सुविधाओं के कारण दिया गया।

(च) खानों की कीमतें स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती हैं जैसे कि नीचे दिखाई गई हैं :-

नाश्ता	3-30 रुपये से 3-50 रुपये तक
मध्याहन भोजन	4-50 रुपये से 6-75 रुपये तक
रात्रि भोजन	5-00 रुपये से 7-50 रुपये तक

पालम हवाई अड्डा

8210. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पालम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सम्बन्धित विकास कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय होगा, उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा तथा उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ख) कौन-कौन से विदेशी वास्तुशास्त्री इस परियोजना के प्रभारी हैं और उन्हें कुल मिला कर कितना वेतन मिलता है;

(ग) कौन-कौन से भारतीय वास्तुशास्त्री इस परियोजना में काम कर रहे हैं और उन्हें कितना वेतन मिलता है;

(घ) इस परियोजना का काम कितने और किन-किन ठेकेदारों को दिया गया है तथा प्रत्येक को कितने-कितने मूल्य का और किस-किस प्रकार के काम के ठेके दिये गये हैं;

(ङ) क्या ये सब ठेके जनता से टेण्डर मांग कर दिये गये थे और यदि हां, तो किस-तारीख को और किस-किस समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में विज्ञापन दिये गये थे;

(च) क्या भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नमूने तैयार करने और उनका निर्माण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय वास्तुशास्त्रियों को विदेशों में भेजने की एक योजना प्रायोजित करने का सरकार का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ङ) पालम हवाई अड्डे पर एक नये टरमीनल काम्प्लेक्स के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। नेशनल डिजाइन इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद को एक व्यवहार्यता (फीजिबिलिटी) रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है और इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इन्स्टीट्यूट ने हमें सूचित किया है कि वे एक जर्मन वास्तुविद के परामर्श से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

(च) और (छ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Spraying of Insecticides on Jute Crops

8211. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have made arrangements for free spraying of insecticides by helicopter on jute crops in District Lakhimpur Kheri, U. P.; and

(b) the names of other places in the country where this facility would be provided under this programme ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) No such progamme is envisaged by the Government of India at present anywhere in the country.

निजी विमान

8212. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने निजी विमान हैं तथा उनके मालिक कौन हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन निजी विमानों को किसी आपातकाल के लिये लिया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कितने तथा किस किस के विमानों को कितने समय तक प्रयोग किया; और

(घ) उन विमानों का प्रयोग करने के लिये सरकार ने कितना धन दिया ?

पर्यटन तथा उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) देश में 90 निजी (प्राइवेट) विमान हैं। उनके मालिकों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1365/67]**

(ख) सूखे, बाढ़ों, रेल दुर्घटनाओं इत्यादि जैसे संकट के समयों में ऐसे अवसर आये हैं जब केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने 'निजी' विमानों का प्रयोग किया है।

(ग) और (घ) इनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिये विशेष विमान

8213. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रियों के लिये देश में और विदेशों में दौरा करने के लिये विशेष विमानों की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयनमंत्री (डा० कर्णसिंह): (क) और (ख) मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) नियमों, 1957, में दिये गये उपबन्धों के अनुसार यदि कोई मंत्री चार्टर विमान द्वारा यात्रा को लोकहित के आवश्यक समझता है तो उसे सरकारी कार्य पर यात्रा के लिये किसी विमान को अपने प्राधिकार से चार्टर करने का अधिकार है।

इस मंत्रालय को किसी भी अवसर पर अपने मंत्रियों के लिये विमान चार्टर नहीं करना पड़ा।

पिछले तीन वर्षों में एयर इण्डिया द्वारा केन्द्रीय मन्त्रियों के लिये कोई भी विशेष विमानों की व्यवस्था नहीं की गयी। इसी अवधि में आई० ए० सी० ने विदेश मन्त्री की दिल्ली से रावलपिण्डी एवं वापिस यात्रा के लिये एक चार्टर विमान परिचालित किया, तथा एक चार्टर विमान प्रधान मन्त्री के लिये दिल्ली से पैरिस के लिये परिचालित किया। ये दोनों मार्च, 1966 में परिचालित किये गये

Damage to Wheat at Patna Junction

8214. Shri Ramavtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a week ago, 18 thousand maunds of wheat stored at Patna Junction was drenched in rain and consequently decayed;

(b) if so, the authorities responsible for it and whether Government propose to take any action against them; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. 10,670 bags of imported wheat were received from Madras Harbour on Central Government account in 17 Box wagons at Patna on the 16th July, 1967. Of these, 2160 bags were partly affected by rain during rail transit. Immediate salvage of foodgrains affected was taken up. It is estimated that

about 30 bags of wheat weighing about 68 maunds may have been rendered unfit for human consumption.

(b) and (c) Since damage to the grain occurred during rail transit, the matter has been taken up with the Railway authorities.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर पुल

8215. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर माल्दा में महानन्दा नदी पर पुल बरहामपुर में भागीरथी नदी पर पुल का निर्माण नियत समय में पूरा कराने के लिये ठेकेदारों को क्रमश: 6 लाख रुपये और 2 लाख 80 हजार रुपये का विशेष भुगतान किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुलों का निर्माण कार्य नियत समय में पूरा नहीं हुआ और क्या इन ठेकेदारों पर जिम्मेदारी थी नियत समय पर काम पूरा न होने पर इनको 1,000 रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना देना होगा; और

(ग) क्या इन दोनों ठेकेदारों द्वारा प्राप्त विशेष भुगतान की राशि वापस कर दी गई है और जुर्माने का भुगतान भी कर दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। मालदा में महानन्द के अमर और बरहामपुर में भगीरथी पर राष्ट्रीय राजपथ 34 के अपर पुलों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिये क्रमश: 6 लाख रुपये और 3.5 लाख रुपये विशेष अदायगी के रूप में दिये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) अभी तक नहीं; चूंकि जुर्माने का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा जांचाधीन है।

मनीपुर के लिये चीनी का नियतन

8216. श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिये कितनी चीनी का नियतन किया गया;

(ख) 1967–68 के लिये कितनी चीनी का नियतन किया गया है; और

(ग) क्या वर्ष 1967–68 के लिये मनीपुर के चीनी के कोटे में कटौती की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आगामी वर्ष के लिये चीनी का नियतन नवम्बर से अक्तूबर तक के चीनी वर्ष के आधार पर किया जाता है। 1966–67 के चीनी वर्ष में, मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिये जुलाई 1967 तक 1429 मीटर टन चीनी अलाट की गई।

(ख) तथा (ग) चीनी वर्ष 1967–68 के लिये चीनी अलाट करना नवम्बर, 1967 से आरम्भ किया जायेगा।

Spraying of Urea Fertiliser

8217. **Shri Madhu Limaye :** Shri Balraj Madhok :
Shri A. B. Vajpayee : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, New Delhi undertakes the work in regard to spraying of urea fertiliser on jute and other crops with the help of helicopters or aeroplanes;

(b) if so, the acreage of cultivated land sprayed in this manner this year;

(c) whether, it is also a fact that excessive spraying of urea fertiliser was made by the helicopter of the Helicopter Services in the middle of June on about 5,000 acres of jute cultivation in Darjeeling District (West Bengal) which caused damage to the crop;

(d) whether any enquiry has been conducted by Government in this regard; and

(e) if so, the result there of ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Coop. Shri Annasahib Shinde) : (a) so far this year, spraying of urea on jute crop alone has been undertaken with helicopters and fixed wing aircraft.

(b) Acreages so far sprayed with urea are indicated below :

(i) Assam —500 acres in Nowgong district (Nowgong)

(ii) Bihar —1,500 acres in Purnea district (Kishenganj)

(iii) U. P. —1,050 acres in Lakhimpur-Kheri district (Nighasan)

(iv) Orissa —650 acres in Cuttak district (Balasore)

Reports received from the State Governments show that the crop has benefited from operations spraying. No report about and adverse effect has been received.

(c) No aenial spraying with urea by Helicopter was done in Darjeeling district in West Bengal.

(d) and (e) Do not arise.

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को धोखा दिये जाने के आरोप में कलकत्ता की मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल और मैसर्स देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

8218. **श्री मधु लिमये :** श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स०मो० बनर्जी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 24 नवम्बर, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को धोखा दिये जाने के आरोप में मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल और मैसर्स देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी कलकत्ता तथा अन्य कम्पनियों के विरुद्ध की जा रही कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना अर्थ दण्ड दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है और यह फैसला किया गया है कि मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के मैनेजिंग पार्टनर और कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमा दायर किया जाये ।

पटना-काठमंडू बस सेवाएं

8219. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले पत्र 'सर्च लाइट' में 18 अप्रैल, 1967 को 'पटना और काठमंडू के बीच बस सेवा आरम्भ होने की सम्भावना' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है; और

(ग) क्या बस सेवा सरकारी क्षेत्र में होगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) यह मामला विचाराधीन है ।

लघु सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया गया धन

8220. श्री ह० प० चटर्जी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : लघु सिंचाई कार्यक्रम पर तीन पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च की गई राशि और चौथी योजना में किया जाने वाला खर्च निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

	पृथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना
1. जी० एस० एफ० क्षेत्र	60	95	263	535
2. सी० डी० क्षेत्र	–	45	55	25
3. सहकारी क्षेत्र (लैण्ड मार्टगेज बैंक)	–	–	50	200
कुल :–	60	140	368	760

Seizure of Smuggled Foodgrains in Delhi

8221. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and other coarse foodgrains seized while being smuggled into Delhi from the neighbouring States since the 1st January, 1967;

(b) the action taken against the persons concerned; and

(c) the value of foodgrains seized ?

The Minister of State in the Ministry of F. A. C. D. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) 22.53 Qtls of wheat and wheat products 346.82 Qtls of Coarse foodgrains.

(b) Out of 101 persons arrested for smuggling foodgrains into Delhi 66 have been convicted, 12 are facing trial and cases against 23 are under investigation.

(c) Rs. 49,212.65.

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के पाऊडर की खरीद

8222 **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने और अधिक दूध का पाउडर खरीदने का निर्णय किया है ताकि राजधानी में दूध की बढ़ती हुई कमी को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उनके समाहार के लिये अब तक किये गये प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गर्मियों में दूध की सामान्य कमी की पूर्ति के लिये आयातित दुग्ध चूर्ण को काफी मात्रा में प्राप्त करने विषय में व्यवस्था की गई है । 31-7-1967 को योजना के पास 128 मीटरी टन का स्टाक था । डेन्मार्क से 200 मीटरी टन की मात्रा अभी प्राप्त हुई है जिसमें से 70 मीटरी टन योजना द्वारा ऋण के रूप में ली गई मात्रा वापस कर दी गई है । डेन्मार्क से 200 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण की मात्रा शीघ्र ही कलकत्ता पहुंच जायेगी । पोलैंड से भी 60 मीटरी टन की मात्रा का पोत लदान कर दिया गया है । सितम्बर/अक्तूबर 1967 में डेन्मार्क से 225 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण की और मात्रा प्राप्त हो जाएगी । इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई 250 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण की मात्रा अभी बम्बई बन्दरगाह पहुंच गई है ।

देशाभ्यन्तर जल नौवहन

8223. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में देशाभ्यन्तर जल नौवहन का विकास करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और उनके विचारार्थ विषय क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) तथा (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास समेत उसकी समस्याओं के लिये अध्ययन समिति स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के संविधान का हिन्दी संस्करण

8224. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान का कोई प्राधिकृत एवं अधिप्रमाणीकृत हिन्दी संस्करण उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत के संविधान का प्रामाणिक और अधिप्रमाणीकृत हिन्दी संस्करण तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) भारत के संविधान का एक प्राधिकृत और अधिप्रमाणीकृत हिन्दी रूपान्तर 26 नवम्बर, 1949 को संविधान के अंगीकृत किए जाने के पश्चात् शीघ्र ही तैयार किया गया था, किन्तु संविधान के इस हिन्दी रूपान्तर को, संविधान के प्रारम्भ से लेकर उसमें किये गये इक्कीस संशोधनों के हिन्दी रूपान्तरों का उसमें समावेश करके, अद्यतन नहीं रखा गया है । विधि मंत्रालय ने संविधान का 1 दिसम्बर, 1957 तक यथा-उपान्तरित द्विभाषीय संस्करण निकाला था जिसमें अंग्रेजी और हिन्दी पाठ साथ-साथ दिये हुए हैं । इस द्विभाषीय संस्करण में अन्तर्विष्ट हिन्दी रूपान्तर, संविधान का वही प्राधिकृत और अधिप्रमानीकृत रूपान्तर है जो संविधान के अंगीकृत किये जाने के पश्चात् तैयार किया गया था । यह द्विभाषीय संस्करण प्रकाशक, दिल्ली के पास विक्रयार्थ उपलभ्य है । प्रस्थापना है कि शीघ्र ही संविधान कां एक अद्यतन हिन्दी रूपान्तर निकाला जाए । इसके अलावा, भारत के संविधान कां प्राधिकृत और अधिप्रमाणीकृत रूपान्तर निकालने का कोई भी प्रयास अवेक्षाधीन नहीं है ।

वनस्पति तेल का दाम

8225. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में वनस्पति तेल के दाम बहुत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में कितने दाम बढ़े हैं; और

(ग) वनस्पति तेल के दाम वास्तव में कम हों इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत पांच वर्षों में निम्नलिखित स्थानों पर वनस्पति के औसत फुटकर मूल्य (कर समेत) और इस अवधि में हुई वृद्धि के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	दिल्ली	मद्रास	कलकत्ता	बम्बई
1963	2.79	2.77	2.87	2.72
1964	3.28	3.22	3.45	3.16
1965	3.55	3.48	3.59	3.46
1966	4.95	4.73	4.97	4.90
1967 (अगस्त तक)	5.13	5.01	5 26	5.23
1963 के बाद हुई वृद्धि	83.9 प्रतिशत	80.9 प्रतिशत	83.3 प्रतिशत	92.3 प्रतिशत

(ग) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :

(एक) वनस्पति के मूल्यों का अनौपचारिक रूप से सरकार विनियमन करती है ताकि कच्चे तेलों के मूल्यों की दृष्टि से कारखानों द्वारा अधिक मूल्य न लिये जायें।

(दो) खाद्य वनस्पति तेलों और वनस्पति के निर्यात पर और इन वस्तुओं में वादे का व्यापार करने पर जो प्रतिबन्ध पहले लगाया गया था वह बराबर लगा हुआ है।

(तीन) वनस्पति तेलों के स्टाक पर बैंक अग्रिम कुछ प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए बराबर लगाये गये हैं।

(चार) कुछ विनियमों के अधीन रहते हुये वनस्पति के निर्माण में साल्वेंट-एक्स-ट्रेक्टेड तेलों के प्रयोग की अनुमति दी गई है

(पांच) पी० एल० 480 के शीर्षक I के अन्तर्गत अमरीका से सोयबीन तेल काफी मात्रा में आयात करने का प्रबन्ध किया गया है और इसे वनस्पति उद्योग को इस प्रकार दिया जा रहा हैं कि आयातित तेल के सस्ते मूल्य का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।

रूस से ट्रेक्टरों का आयात

8226. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रूस से शेष 8,000 ट्रेक्टरों का आयात करने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) तथा (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल

8227. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मिल हैं और उनमें से इस समय कुल कितनी मिल चल रही हैं;

(ख) इन मिलों में 1966-67 में चीनी का कितना उत्पादन हुआ और इन मिलों द्वारा तैयार की गई चीनी किन किन राज्यों को सप्लाई की गई; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में तैयार की गई चीनी का निर्यात भी किया गया था और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और उससे सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश में 72 चीनी मिलें हैं जिनमें से 1966-67 के गन्ना पेरने के चालू मौसम में 71 मिलें चली हैं ।

(ख) 1966-67 में इन में 7,10,618 मीटरी टन चीनी तैयार हुई है । यह गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों को दी जा रही है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में 1966-67 में तैयार हुई चीनी में से निर्यात नहीं की गई है ।

बागबानी के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

8228. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री विद्याधर वाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उत्तर प्रदेश को (एक) बागबानी; (दो) पशुपालन; (तीन) डेरी फार्मिग; (चार) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन तथा (पांच) मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिये कोई सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के लिये कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (ग) योजना आयोग ने 1967–68 की अवधि में उत्तर प्रदेश के कृषि कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित योजना व्यय स्वीकार किया है :—

विकास शीर्षक	रुपये (लाखों में) स्वीकृत व्यय
1. कृषि उत्पादन	910
2. लघु सिंचाई	2800
3. भूमि संरक्षण	303
4. आयाकट विकास कार्यक्रम	2
5. पशुपालन	121+
6. डेरी तथा दुग्ध संभरण	65
7. वन उद्योग	160
8. मत्स्यापालन	25
9. बेयर हाउसिंग व विपणन	1
	4387

+मत्स्यापालन के उत्तर खण्ड शामिल हैं

बागवानी योजनाएं वृहत शीर्षक 'कृषि उत्पादन' तथा 'अधिक अन्न उपजाओ अभियान' 'कृषि उत्पादन' तथा 'लघु सिंचाई शीर्षकों के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त योजना व्यय की तुलना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता की मात्रा के विषय में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में भूमि बन्धक बैंक

8229. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि बन्धक बैंकों का वर्ग 1967-68 के लिये ऋण और ऋणपत्र जारी करने का क्या कार्यक्रम है;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में बैंकों को कुछ केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) वर्ष 1967-68 में उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक का 6.6 करोड़ रुपये का साहायियत ऋण-पत्र कार्यक्रम है । इसके अतिरिक्त, बैंक ने 50 लाख रुपए का एक ग्रामीण ऋण-पत्र कार्यक्रम भी सूचित किया है ।

(ख) व (ग) 1966-67 में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक के ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिये राज्य सरकार को 115 लाख रुपए का ऋण दिया, जो किसानों को लघु सिंचाई कार्यों के लिये ऋण देने हेतु उपयोग में लाये जाने है

उत्तर प्रदेश में भूसंरक्षण

8230. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उत्तर प्रदेश को भू-संरक्षण के लिए कितनी रकम दी गई थी; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) 1966-67 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत भू-संरक्षण योजनाओं के लिये 256 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी। इसके अतिरिक्त रामगंगा की नदी-घाटी परियोजना के जलग्रह में भू-संरक्षण की केन्द्रीय चालित योजनाओं के लिये 1500 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्टेट प्लान योजनाओं की क्रियान्विति में 1,84,10,900 रुपये और केन्द्रीय चालित योजना में 16,97,984 रुपये का वास्तविक उपयोग किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन

8231. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में फसली वर्ष 1966-67 में पिछले दो वर्षों की तुलना में अनाज तथा अन्य व्यापारिक फसलों का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान था; और

(ख) वर्ष 1967-68 में उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) 1964–65, 1965–66 तथा 1966–67 की अवधि में खाद्यानों तथा नकदी की फसलों के वास्तविक उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1967-68 की अवधि में उत्पादन बढ़ाने के प्रस्तावों के विषय में एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1366/67]

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को विमान यात्रा के कारण हुई अस्वस्थता के समय प्रयोग में लाये जाने वाले थैले

8232. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को विमान यात्रा के कारण हुई अस्वस्थता के समय प्रयोग में लाए जाने वाले वे ही थैले वर्ष दर वर्ष दिये जाते रहे हैं, परन्तु हर बार उन थैलों के लिये 1,60,000 रुपये का नया बिल वसूल किया जाता रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति, जिसमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल हों, नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) आई० एस० सी० की दिन के प्रारम्भ में जारी किये गये 'एयर सिकनैस बैगों' की विमान के दिन भर परिचालन के अन्त में जांच करने की एक प्रणाली है। जो बैग खराब नहीं होते उन्हें अगले दिन फिर जारी कर दिया जाता है। इस पद्धति को दृष्टि में रखते हुए उपयोग किये जा रहे 'एयर सिकनैस बैगों' को कारपोरेशन को फिर से नहीं बेचा जा सकता। बहरहाल, 1964 से लेकर इन चार सालों में जिनमें वर्तमान वर्ष भी सम्मिलित है, किसी भी साल आई० एस० सी० ने 'एयर सिकनैस बैगों' पर 1,60,000/- रुपये नहीं खर्च किये। इस मद पर अधिकतम राशि 1964 में खर्च की गयी जो 70,875/- रुपये थी, तथा न्यूनतम राशि वर्तमान वर्ष में खर्च की जा रही है जबकि 46,770/- रुपये के आर्डर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Cooperative Farming Societies

8233. **Shri Molahu Prasad :** **Shri J. H. Patel :**
Shri Maharaj Singh Bharti : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a survey conducted recently 40 per cent of the total 6,000 Cooperative Farming Societies functioning in the country have been found to be bogus and they exist on paper only;

(b) if so, the amount of loan advanced to these societies so far; and

(c) the manner in which the loan will be recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agrtculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उत्तरी अन्दमान के वनों में आरा-मिल मालिकों से ली जाने वाली रायल्टी

8234. श्री अ० सिं० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी अन्दमान के जंगलों के आरा–मिल मालिकों से बहुत अधिक रायल्टी ली जाती है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बहुत से आरा मिल बन्द हो गये हैं;

(ग) क्या अन्दमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज पोर्ट ब्लेयर और कमल कम्पनी, नेल द्वीप से कम दर पर रायल्टी ली जा रही है;

(घ) क्या आरा मिल मालिकों ने रायल्टी की ऊंची दरों के लिये विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) सिवाय एक आरा मिल के जिसके स्वामी क्षेत्र के पट्टेदार मैसर्ज पी० सी० रे एण्ड कम्पनी हैं, उत्तरी अन्डमान में और कोई आरा मिल नहीं है। उनके मामले में रायल्टी के दर नार्थ अन्डमान स्प्रीमैन्ट आफ लायसैन्स की शर्तों के अनुसार नियत किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

Sardhana (Meerut) as a Tourist Resort

8235. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a church of tourist interest in Sardhana, District Meerut, Uttar Pradesh having artistically carved statues, the best amongst those kept in the churches in India; and

(b) if so, the action taken by Government to make Sardhana a tourist resort ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karen Singh) : (a) There is a cathedral in Sardhana, District Meerut, built in the 18th century by Begum Samru, and it has a number of statues.

(b) There is no proposal at present to develop Sardhana as a tourist resort.

पोर्ट ब्लेयर में वन क्षेत्रों का पट्टे पर दिया जाना

8236. श्री अ० सिंह सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर के बड़े वन क्षेत्रों को रायल्टी पर अन्दमान इमारती लकड़ी उद्योग को पट्टे पर देने की अन्दमान के मुख्य आयुक्त ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को पट्टे पर देने से पहले अखिल भारतीय आधार पर टेन्डर न मांगने के क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

अन्दमान में चिरी हुई इमारती लकड़ी के दाम

8237. श्र० सि० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद भी, अन्दमान प्रशासन ने चिरी हुई इमारती लकड़ी के दाम लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा दिये हैं;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार था किन्तु इसके गठन के पहले ही दाम बढ़ा दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

ताईचुंग नेटिव 1 तथा 65 धान

8238. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था के निदेशक ने यह बयान दिया है कि ताईचुंग नेटिव 1 और ताईचुंग 65 धान से उपज तो बहुत अच्छी होती है परन्तु इसमें कुछ विषैले तत्व होते हैं; और

(ख) क्या वैज्ञानिक परीक्षण से यह पता लगा लिया गया है कि उपर्युक्त बयान सही है या नहीं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान के वर्तमान निदेशक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। परन्तु उड़ीसा के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार संस्थान के भूतपूर्व निदेशक डा० रिचार्या ने मत प्रकट किया था कि धान की इन किस्मों में कुछ जहरीले तत्व हैं। डा० रिचार्या ने इसका खण्डन किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। परन्तु डा० एस० वाई० पद्मानाभान (केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान के मौजूदा निदेशक) तथा डा० के० रमैया (उड़ीसा कृषि तथा तकनौलौजी विश्वविद्यालय के उप कुलपति, जो विश्व के एक चावल विशेषज्ञ हैं) दो प्रमुख वैज्ञानिकों क एक वक्तव्य के अनुसार ऐसी हानि की कोई आशका नहीं है।

दिल्ली बीकानेर सड़क

8239. डा० कर्णी सिंह : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली-बीकानेर सड़क के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) तथा (ग) बीकानेर-हिसार-दिल्ली सड़क के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री प्रयुक्त होने की शिकायत मिलने पर, राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग ने जाँच की और पाया कि वह शिकायत निराधार है।

नौवहन भाड़ा और निर्यात संवर्धन

8240. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 20 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा नौवहन भाड़े और निर्यात संवर्धन के बारे में किये गये अध्ययन के निष्कर्षो पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

(ग) निर्यात संवर्धन के लिये भाड़े की दरों में कमी करने अथवा राजसहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) नौवहन भाड़ा तथा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी अखिल भारत निर्माता संघ द्वारा किये गये अध्ययन का अभी परीक्षण हो रहा है।

बिहार के संथाल परगना जिले में खण्ड विकास समिति

8241. **श्री मरण्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के संथाल परगना जिले में खण्ड विकास समिति की शक्तियां तथा कार्य क्या क्या हैं ;

(ख) खण्ड विकास समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह समिति खण्ड विकास अधिकारी से स्वतन्त्र रह कर कार्य नहीं करतीं और केवल उसके निर्माण की ही पुष्टि करती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संथाल परगना में जहां इससे आदिम जातियों के लोगों की कोई भलाई नहीं हो सकी है खण्ड विकास समिति के समूचे कार्य-संचालन की जांच कराने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के सन्थाल परगना जिले में आदिमजातीय खण्ड को दी गई जीपें

8242. **श्री मरण्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के संथाल परगना जिले में प्रत्येक आदिमजातीय खण्ड को कितनी कितनी जीपें दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि सम्बन्धित अधिकारी इन जीपों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिम जातियों के लोगों के लाभ के लिये इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इनका उचित प्रयोग करवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) बिहार के संथाल परगना जिले के 14 आदिमजातीय विकास खण्डों को 23 जीपें दी गई हैं; इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1367/67]**

(ख) व (ग) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है; जीपों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है; जीपों के उचित प्रयोग के बारे में सभी स्थानीय अफसरों को समय-समय पर आवश्यक अनुदेश किये गये हैं।

औषध बनाने वाले कारखानों को चीनी की सप्लाई

8243. **श्री रा० की० अमीन० :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध बनाने वाले कारखानों को पर्याप्त मात्रा में चीनी दी गई है;

(ख) क्या बम्बई की मेसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड नामक औषध बनाने वाली कम्पनी ने औषधों के निर्माण हेतु चीनी दिये जाने के लिये आवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) अन्य बड़े बड़े उपभोक्ताओं की तरह औषध बनाने वाले कारखानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीनी साधारणतः राज्य सरकारों के जरिये ही मिलती है। परन्तु पेनीसिलीन जैसे औषध बनाने वाले कुल एककों को चीनी केन्द्र से अलाट की जा रही है। मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड ने औषध बनाने के लिए काम में आने वाली 3,000 किलोग्राम चीनी प्रतिमास सीधे अलाट करने के लिए आवेदन किया था परन्तु उन्हें मैसर्स दौराला शूगर वर्क्स, दौराला, से बात करनी चाहिए जो इस प्रकार की चीनी बनाते हैं।

सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

8244. **श्री विश्वनाथन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के एजेन्टों को जहाजरानी निगम की एजेंसी न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को मद्रास में लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या एजेंसी व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार भारत के नौवहन निगम के एजेंट नियुक्त नहीं करती है, वह अपने एजेंट नियुक्त करने में सक्षम है।

(ख) मद्रास में भारत की नौवहन निगम की एजेंसी मैसर्स सिन्दिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के पास ही है।

(ग) तथा (घ) भारत का नौवहन निगम समय समय पर अपने एजेंटों की कार्य को देखता है और यदि एजेन्सी व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो निगम उपयुक्त उपाय करेगा।

Returns of Expenditure Incurred in the Last General Elections

8245. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakhsh Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of persons who submitted their returns of expenditure in connection with the last General Elections in Hindi; and

(b) the number of such persons amongst them as were declared disqualified merely on account of their ignorance about the rules for submitting accounts of their expenditure ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) The information is not available with the Election Commission.

Under section 78 of the Representation of the Act, 1951, every candidate has to lodge his account of election expenses with the District Election Officer in a State and with the Returning Officer in a Union Territory. Under rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the District Election Officer/Returning Officer only sends a report to the Commission indicating—

(a) the name of each contesting candidate;

(b) whether such candidate has lodged his account of election expenses and if so, the date on which such account has been lodged; and

(c) whether in his opinion such account has been lodged within the time and in the manner required by the Act and the rules. It is only if in his opinion, the account of any candidate has not been lodged in the manner required that he has to send along with his report the account of election expenses of the candidate concerned. All the other accounts remain with the District Election Officer. Accordingly, the information required in part (a) will have to be obtained from all the District Election Officers and the Returning Officers and collated by the Commission. This will obviously involve a very considerable amount of time and energy.

Further more, the scrutiny of the accounts of election expenses of contesting candidates is still in progress and is likely to take a few more months to complete the examination. Thus the information asked for in part (b) can be compiled only after all the accounts have been examined, and even then it will not be possible for the Commission to keep a record of those persons (a) who have submitted their account of ignorance of the rules.

Use of Hindi in Correspondence by the Election Commission

8246. **Shri Raghuvir Sigh Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of such letters as were received in Hindi by the Election Commission during the year ended the 30th June, 1967;

(b) the number of those letters out of them which were replied to;

(c) the number of letters replied to in Hindi; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) 1962

(b) 140

(c) Nil

(d) Most of the communications in Hindi were representations pertaining to delimitation of constituencies and did not call for a reply.

Brochure on Elections

8247. **Y. S. Kushwah :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is proposed to bring out any brochure for the guidance of candidates contesting the bye-elections; and

(b) if so, whether its Hindi version is also proposed to be brought out ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) Yes, Sir. The Election Commission proposes to bring out a Hand book for Candidates at Parliamentary and Assembly Election by the end of this year in English and in Hindi.

Chief and Deputy Election Commissioners

8248. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Law be pleased to state the date on which the present Chief and Deputy Election Commissioners would retire from service ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : The Chief Election Commissioner is due to retire on 1st October, 1967. The Deputy Election Commissioner is on leave preparatory to retirement with effect from the 1st August, 1967.

Election Commissioner

8249. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether any rules have been framed by the President in regard to the terms and conditions of service of the Election Commissioner under Article 324 (5) of the Constitution; and

(b) whether the Election Commissioner can be appointed to any other post by the Government of India or any State Government after the expiry of his term ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Rules have been framed under Article 324 (5) of the Constitution regulating the conditions of service and tenure of office of the present Chief Election Commission vide Government of India, Ministry of Law, Notification No. F. 4(22) (i)/63-Elec., dated the 18th April; 1964. The

question of making general rules in this behalf if under the consideration of the Government.

(b) There is no constitutional bar to the Chief Election Commissioner being appointed after the expiry of his term to another post by the Government of India or by a State Government.

Election Commission's Control Oover Officials on Election Duty

8250. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das:
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Law be pleased to state .

(a) whether the Chief Election Commissioner exercises control of any nature over the officials employed on election work in the various States;

(b) whether the Chief Election Commissioner can inspect the work of the Chief Election Officers and Returning Officers in different States and can record his opinion in their character rolls occassionally; and

(c) if not, how he can exercise his control in order to conduct impartial elections In different States under these circumstances ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (D. R. Chavan) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Publications By Election Commission

8251. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avatar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of publications brought out by the Election Commission during the last five years and during the last General Election in particular;

(b) the number of publications out of them which were brought out in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Duputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Eight.

(b) None of the publications were translated into Hindi.

(c) Out of eight publications four contained statistical data regarding general elections and bye-elections. These were not books of general interest to the public and it was not considered necessary to publish them in Hindi also.

Work of Election Commission in Hindi

8252. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Law be pleased to state ;

(a) whether proper arrangements have been made to conduct the work of Election Commission in Hindi; and

(b) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir; the Election Commission is at present having on its establishment one Hindi Translator and two Hindi Assistants to attend to Hindi work.

(b) Does not arise.

Report of Last General Election

8253. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah:
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) when the Election Commission is likely to submit its report on the last General Elections;

(b) whether Hindi version of this report is also proposed to be brought simultaneously; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The Report of the Election Commission on the Fourth General Elections is expected to be ready by the end of October, 1967.

(b) and (c) No, Sir. It is not practicable to get the voluminous report consisting of two volumes (General and Statistical) translated into Hindi in a short period so that both versions could be brough out simultaneously.

'जल जवाहर' जहाज के नाविकों को प्रतिकर

8254. श्री राम सेवक :
श्री बालगोविंद वर्मा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 15 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जल जवाहर" जहाज के चालकों के निकटतम सम्बन्धियों को इस बीच कोई मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि, हां तो प्रत्येक मामले में कितना-कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा अन्तिम भुगतान कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) यह मामला कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर, के न्यायालय में लम्बित है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के जरिये आयुक्त को अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले सम्बन्धी कार्यवाही को शीघ्र निबटाये।

उठाऊ सिंचाई योजनाएं

8255. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री बृज राज सिंह कोटा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कुछ उठाऊ सिंचाई योजनाएं चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) लिफ्ट इरीगेशन कार्य जिनमें पम्पसैट, फ्लोटिंग पम्पिंग स्टेशन, फ्लोटिंक बारजिज आदि। इन योजनाओं की क्रियान्विति के तरीके निम्नलिखित हैं :–

(1) **निजी पार्टीज :** कुओं में या छोटी नदियों और झरनों के किनारों पर लगाने के लिए बिजली के पम्पसैट खरीदने के लिये किसानों को ऋण तथा सहायता दी जाती है। ये पम्पसैट आमतौर पर 2 से 10 अश्व शक्ति तक होते हैं।

(2) **सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं :** ये योजनायें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं। नदियों और झरनों से लिफ्ट इरीगेशन के लिए सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को ऋण सहायता दी जाती है। उपयुक्त स्थानों के चुनाव में सहकारी समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(3) **स्टेट लिफ्ट इरीगेशन स्कीमज :** ये योजानाएं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आसाम, बिहार, यू, पी., आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल आदि में सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिये नदियों, झरनों नहरों आदि के किनारों पर अनेक पम्पसैट लगाये गये हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों ने भी अनेक फ्लोटिंग पम्पिग स्टेशन लगाए हैं। इन स्रोत्तों से सिंचाई जल की सप्लाई के लिये किसानों से जल की दरें वसूल की जाती हैं। आसाम, उड़ीसा आदि कुछ राज्यों में ये योजनायें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और क्रियान्विति के बाद उन्हें सहकारी समितियों या पंचायतों को सौंप दिया जाता है। इन योजनाओं में प्रत्येक से सिंचित क्षेत्र पहले वर्णित दोनों योजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्र से बड़ा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के टैंकर

8256. श्री रामचरण :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री लषण लाल कपूर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के लिये हाल ही में खरीदे गये टैंकर चूने लगे हैं;

(क) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन खराब टैंकरों को खरीदने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने हाल ही में 10 रोड मिल्क टैंकर खरीदे थे जिनमें से एक टैंकर में आउट लेट पाइप के वैल्ड हुए जोड़ में दरार हो गई है ।

(ख) वैल्ड हुए जोड़ में दरार का कारण आउट लेट पाइप की फिटिंग के ढांचे के डिजाइन की मामूली त्रुटि है । फर्म ने समस्त 10 टैंकरों की त्रुटि को दूर करने के बारे में कार्यवाही की है । संशोधित डिजाइन के बारे में परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं ।

(ग) खरीद करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया । त्रुटि दूर होने तक फर्म की आंशिक अदायगी रोक ली गई है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में समयोपरि भत्ता

8457. **श्री राम चरण :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री लषण लाल कपूर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ अधिकारियों को नियमित रूप में उनके मूल वेतन से अधिक समयोपरि भत्ता मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना के कितने ऐसे अधिकारियों को उपर्युक्त भाग(क) में उल्लिखित भत्ता मिल रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां । पाने वाले हैं:—

मिल्क ड्राइवर	15
स्टाफ कार ड्राइवर	1
एसिस्टेन्ट प्राजेक्ट आफीसर	1
एसिस्टेन्ट चार्जमैन	1
स्टोर क्लर्क	1
स्टोर एटेण्डेन्ट	1
मेट	1
फिटर	1
	22

(ख) इस समय लगभग 1750 के स्टाफ में से 22 कर्मचारी नियमित रूप से अपने मूल वेतन से अधिक समयोपरि भत्ता पा रहे हैं।

Bridge over Ganga near Jhusi on Delhi-Calcutta National Highway

8258. Shri Nageshwar : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the progress so far made in regard to the construction of the bridge over the Ganges on the Delhi-Calcutta National Highway near Jhusi: and

(b) when it is likely to be completed ?

Deputy Minister in The Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The work of the constructtion of the birdge has been let out on contract- Its design submitted by the contractors is under examination. Investigations are also a foot for determining the bearing capacity of the subsoil in the foundations of the bridge. According to the schedule, the bridge is expected to be completed by March, 1971.

Buses for D. T. U.

8259. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount made available by Government to the Municipal Corporation, Delhi during this year for purchasing buses; and

(b) the nuber of buses purchased by the Municipal Corporation ?

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) An amount of Rs. 140 lakhs has been provided in the current financial year's budget of the Ministry for loan assistance to the Municipal Corporation of Delhi for the Delhi Transport Undertaking to enable it to purchase about 160 buses. Out of this amount, a loan of Rs. 40 lakhs already been given.

(b) 93 chassis have so far been received by the Undertaking during the current financial year. Out of these, 14 have been delivered to the Undertaking with bodies built on them and the remaining 79 are with the body builders,

Import of Agricultural Equipment From U. S. S. R.

8260. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of tractors, bulldozers, and other equipments for the construction of Canals, crop sowing and harvesting machines received sor far by India from the U.S,S.R. under the agreement signed with that Government in November, 1966 for setting up Speed Farms ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : No equipment has been received yet from the Government of the Soviet Union under the agreement entered into in November, 1966.

गोआ में मंडावी पुल

8261. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडोवी पुल का निर्माण कार्य मूल कार्य-क्रम के अनुसार कब तक पूरा हो जाना चाहिये था और अब इसके कब तक पूर्णतः तैयार हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस पुल तक जाने वाली सड़कों के प्लान की मजूरी दी जा चुकी है; और क्या गोआ के लोक निर्माण विभाग को सब आवश्यक विवरण दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) आरम्भ में गोआ पश्चिम तट सड़क पर मंडावी पुल 31 मई, 1967 तक पूरा करने का कार्यक्रम था। अब आशा है कि यह 30 जून, 1968 तक तैयार हो जायेगा।

(ख) यह काम पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण ये है :—

(एक) स्थल सपुर्द करने में विलम्ब।

(दो) विदेशी मुद्रा मंजूर करने में विलम्ब। और

(तीन) नियंत्रित सामग्री प्राप्त करने में विलम्ब।

(ग) जी हां। योजनाओं के प्राक्कलन जुलाई, 1966 में मंजूर किये गये थे।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में भूमिगत जल का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वेक्षण

8262. **कुमारी रजनी गंधा :**
श्री श्री धीरन :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार बिहार में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना के लिए सरकार कितनी सहायता देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) खाद्य, कृषि, सायुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

आटा मिलों के लिये अनाज का नियतन

8263. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज की भयानक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में आटा मिलों के लिये नियत किये गये अनाज की मात्रा में हाल ही में भारी कटौती करदी है।

(ख) क्या कुछ आटा मिल बन्द हो गये हैं या बन्द होने की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें मिलने वाला अनाज का कोटा उनके चलने के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उन मिलों को कम से कम उतनी मात्रा में अनाज देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, ताकि आटा मिल चलते रहें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) यह निर्णय राज्य सरकार करती हैं कि राज्य सरकार को नियत की गई अनाज की मात्रा में से फिर बेलन आटा मिलों को कितना गेहूँ दिया जाये। केन्द्र के पास सीमित अनाज होने के कारण राज्य सरकारों को सीमित मात्रा में ही अनाज दिया जाता है। अतः राज्य सरकारें बेलन आटा मिलों को पूर्ण रूप से चालू करने के लिये पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं दे सकी हैं। फिर भी केरल में आटा मिलों को पूर्ण रूप से चालू रखने के लिये गेहूं दिया जा रहा है।

राजस्थान में सीमा सड़क

8264. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 तथा 1967 में राजस्थान में सीमा सड़कों के सम्बन्ध में निर्धारित मूल लक्ष्य क्या थे,

(ख) इन लक्ष्यों में कितनी बार परिवर्तन किये गये, और

(ग) समय-समय पर इन लक्ष्यों में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण थे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग) राजस्थान में सामरिक महत्व की सड़कों का कार्यक्रम सितम्बर, 1965 में लिया गया था और वह तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाने के लिए अनुसूचित अर्थात् सितम्बर, 1968 के अन्त तक। सड़क की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण, समय समय पर प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय साधनों की उपलब्धता के प्रकाश में किया जाता है। उसने पिछला पुनरीक्षण जून, 1967 में किया था और सब कार्यों को तुरन्त प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता में विभाजित किया गया था। इस बाद के पुनरीक्षण के बाद तुरन्त प्राथमिकता वाले कार्यों को 31 मार्च, 1969 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

राजस्थान में सीमा सड़कें

8265. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, क्षेत्रवार, अर्थात् बाड़मेर, गंगानगर क्षेत्रों में सीमा सड़कें बनाने के लिये कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है; और

(ख) अब तक उन पर कुल कितनी धन आशि खर्च की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) वर्तमान समय की सम्पूर्ण लागत 22.69 करोड़ रुपये आती है अर्थात् उच्च प्राथमिकता के कार्यों के लिये 17.06 करोड़ रुपये और निम्न प्राथमिकता के कार्यों के लिये 5.63 करोड़ रुपये। इन स्वीकृत मदों में से उच्च प्राथमिकता कार्यों के लिये 5.29 करोड़ रुपये और निम्न प्राथमिकता कार्यों के लिये 1.58 करोड़ रुपये मिल कर 6.87 करोड़ रुपये होते हैं जो 31 मार्च, 1967 तक व्यय की जा चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों के ब्यौरे का जहां तक संबंध है उसके बारे में आवश्यक सूचना राजस्थान की राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

हुगली नदी की देख-भाल

8266. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में यातायात पर पत्तन शुल्क कम करने के लिये कलकत्ता क्लीयरिंग एजेंट एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि हुगली नदी की देख भाल का खर्च वहन करने का उत्तरदायित्व ले ले, और

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन आयोग द्वारा हाल में बढ़ाये गए शुल्कों की इस एशोसिए-शन ने निन्दा की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) और (ख) कलकत्ता क्लियरिंग एजेंट् एसोसिएशन से सरकार को इस विषय पर कोई प्रार्थना या प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटक होटल

8267, **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आगामी पांच वर्षों में बनाये जाने वाले पर्यटक होटलों पर कितना धन खर्च किया जायेगा;

(ख) क्या इन होटलों को गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग से बनाने का सरकार का विचार है अथवा विदेशी होटल मालिकों के सहयोग से; और

(ग) यदि हां, तो उस सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अगले पांच सालों में सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने वाले प्रस्तावित होटलों का अनुमानित निर्माण-व्यय 10,76 99,000/- रुपये है, इसके अतिरिक्त, निजी उद्योगपतियों द्वारा कलकत्ता, विशाखापटनम मदुराई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, मद्रास इत्यादि में कई होटलों के प्रोजेक्टों की योजनाएं तैयार की गई हैं। निजी क्षेत्र में बनाये जाने वाले इन होटलों का अनुमानित निर्माण-व्यय उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) फिलहाल सरकार द्वारा निजी क्षेत्र अथवा विदेशी पार्टियों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता है तो उसकी उपयोगिता-अनुसार उस पर विचार किया जायेगा।

विशाखापत्तनम में सूखी गोदी

8268. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 में विशाखापत्तनम में सूखी गोदी के निर्माण के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या इस आय-व्यय में निर्धारित प्रस्तावित धन राशि का कुछ अंश बाद में नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि उस समय भी बड़ी गोदी के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था। अतः सूखी गोदी के निर्माण के लिये 1966-67 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था को घटा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया था। 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था इस धारणा पर की गई थी कि परियोजना की स्वीकृति वर्ष में हो जायेगी। किन्तु परीक्षा में कुछ समय लग गया और परीयोजना उक्त वर्ष में स्वीकृत नहीं हुई।

किन्तु अब सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

Delimitation Commission

8269. **Shri Dhuleshwar Meena :**
Shri Heerji Bhai :
Shri Bhaljibhai Parmar :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delimitation Commission has made a provision for a general seat for non-tribals in Scheduled Tribe are as of Rajasthan despite the majority of Tribals there; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) The Members are presumably referring to the Scheduled Areas of Rajasthan. One of the four constituencies in Dungarpur district and one of the four constituencies in Banswara district are general while the other three are reserved for the Scheduled Tribes. Pratapgarh tehsil of Chittotgarh district exculding 4 Patwar circles is a constituency reserved for the Scheduled Tribes. Thus practically all the Scheduled areas fall in reserved constituencies.

Famine Conditions in Dungarpur and Banswara District of Rajasthan

8270. **Shri Dhuleshwar Meena :**
Shri Heerji Bhai :
Shri Bhalji Bhai Parmar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Dungarpur and Banswara Districts of Rajasthan have been in the grip of famine for the last 3 years; and

(b) if so, the nature of assistance provided by the Central Government for relief works in these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Scarcity conditions have prevailed for the last three years in the Dungarpur and Banswara districts of Rajasthan.

(b) The Central Government generally gives assistance to a State Government for Scarcity or famine relief for the State as a whole and leaves it to the State Government to utilise it in the various areas as its own discretion. The Government of India have allotted to the State Government during 1966 and 1967 the following quantities of foodstuffs for free distribution amongst the affected population :-

Wheat	8500	tonnes
Wheat Flour	1014	,,
Milk Powder	864	,,
Biscuits	69	,,

Five vahicles have also been allotted for relief work.

The following loans and grants have been sanctioned to the State Government for expenditure on relief operations, purchase of agricultural inputs, provision of drinking water, minor irrigation and rural electrification :-

1965-66..... Rs. 4.15 crores
1966-67..... Rs. 17.24 ,,
1967-68..... Rs. 6.3 ,,

The State Government have adopted the following measures for relief of distrees in the Dungarpur and Banswara districts :-

(a) Provision of relief works.

(b) Grant of gratuitous relief to the old and the infirm;

(c) Grant of loans for tbe purchase of bullocks, fodder and deepening of irrigation wells.

(d) Supply of drinking water to areas experiencing drinking water difficulties.

The State Government have incurred the following expenditure on various relief operations in the two districts :—

	1964-65 Rs.	1965-66 Rs.	1967-68 Rs.
Dungarpur	20,000	9,30,000	1,02,64,000
Banswara	36,000	2,47,000	1,87,82,000

Production of Crops

8271. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the production of sugarcane, Jute, cotton, rice, wheat, gram and maize in vrious States of the country at the end of First, Second and Third Five year Plans and the quantity produced this year;

(b) the acreage of land brought under cultivation of the crops mentioned in part (a) above in various States at the end of the First, Second and Third Five year Plans and also this year; and

(c) the reasons for the decrease in production and acreage of land which has taken place ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Statements giving area and production of sugarcane, jute, cotton, rice, wheat, gram and maize in India-State-wise at the end of First, Second and Third Plans are attached (**Statements I to VII**). (**Statement Nos I-VII placed in the Liberary see LT-1368-67**) Similar information for 1966-67 in respect of jute is also given in Statement II. Final Estimates of area and production for other crops for 1966-67 are not yet available.

(c) There has been no significant decline in the overall area under all crops. The area and production of some crops during 1965-66 were less than those in 1960-61 mainly because of drought conditions experienced over large parts of the country during the year.

Minor Irrigation Schemes in Himachal Pradesh

8273. **Shri Prem Chand Verma :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the nature and extent of assistance Government proposed to provide to Himachal Pradesh for minor irrigation schemes during the Fourth Five Year Plan ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): The Fourth Five Year Plan has not yet been finalized. As such, the question of Central assistance to Himachal Pradesh for minor irrigation schemes during the Plan period does not arise at this stage. However, a total outlay of Rs. 240 lakhs has been proposed for the minor irrigation schemes in Himachal Pradesh during the Fourth Five Year Plan.

जापान से शक्ति चालित हलों का आयात

8274. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जापान से बहुत कीमती शक्तिशाली हलों का आयात करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये हल भारत में नहीं बनाये जा सकते है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकार ने इन हलों के आयात पर कितनी धन राशि व्यय की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) गत समय में तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम येन क्रैडिट के अन्तर्गत कुछ पावर टिलर्स के आयात का प्रबन्ध किया गया था। छटी येन क्रैडिट के अन्तर्गत आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है। अवमूल्यन के कारण पावर टिलर्स की लागत बढ़ गई है। अतः कुछ कटौती के साथ केवल सीकेडी पैकों के आयात के लिए प्रस्ताव किये जा रहे हैं। जहां तक राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का प्रश्न है, पूर्ण पावर टिलरों के आयात करने का प्रस्ताव है क्योंकि उनके लिए सीकेडी पैकों को एसेम्बल करना तथा कटौती की सप्लाई करना कठिन होगा।

(ख) देश में पावर टिलरो के निर्माण के विषय में अनेक प्रस्ताव हैं और उनका निर्माण करने के लिए एक फर्म तैयार है।

(ग) मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपए (लाखों में) अनुमानतः
1964	25.5
1965	30.00
1966	45.00

कच्चे कूओं के लिए वित्तीय सहायता

8275. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि-उपज बढ़ाने के लिए कच्चे कूओं के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1963 से लेकर 1966 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल को कितनी राशि की सहायता दी गई थी और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) देश में कृषि उपज बढ़ाने हेतु कच्चे कूओं के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई विशेष योजना नहीं है। फिर भी सूखा तथा अन्य प्राकृतिक संकटों से प्रभावित लोगों को नौकरी देने के लिए सहायता कार्यों के रूप में कच्चे कूएं बनाए जाते हैं तो निर्धारित आदर्श तथा पद्धति के अनुसार भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। इस नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली कोई भी सहायता कुल सहायता खर्च के आधार पर दी जाती है किन्तु चौथे वित्त आयोग द्वारा अनुमति दिए गए "मार्जन" को निकाल दिया जाता है; अतः यह बताना सम्भव नहीं कि कच्चे कूओं के लिए कितनी सहायता दी गई।

चावल और धान की वसूली

8276. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चावल और धान की वसूली का अभियान कब से आरम्भ किया गया है;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर अब तक चावल और धान की कितनी वसूली की जा चुकी है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चावल और धान की वसूली बहुत पहले से की जा रही है; यद्यपि इसको वास्तविक प्रोत्साहन 1964-65 के बिक्री के मौसम के दौरान ही मिला।

(ख) चालू बिक्री के मौसम (1966-67) के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के खातों में जुलाई, 1967 के अन्त तक 21.98 लाख टन चावल (धान के बदले प्राप्त हुये चावल सहित) वसूल किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Intensive Cultivation Scheme in Etah and Banaras Districts

8277. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of Food & Agriculture be pleased to state :

(a) whether negotiations are being held regarding an intensive cultivation scheme at a cost of Rs. 60 crores for Etah and Banaras Districts of U. P. with the assistance of the World Bank;

(b) the outline of the scheme and the total estimated expenditure thereon; and

(c) the nature of the assistance to be given to those doing cultivation on co-operative basis, jointly and individually, under the said scheme ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) A proposal for intensive agriculture centred ground tubewells and other groundwater facilities in two districts of U. P. has been submitted to World Bank for consideration.

(b) & (c) The proposal envisages a comprehensive programme of agricultural production in the districts of Varanasi and Etah with a view to achieve substantial increase in yields. The programme contemplates maximum exploitation of groundwater resources through deep State tubewells, shallow private tubewells, wells, and dug-cum-bore wells to the extent found feasible from hydrogeological surveys and study of the groundwater reservoir resources. In addition, a support programme of inputs and essential services for proper utilisation of the new irrigation facilities is also envisaged.

As the matter is still in a proposal stage and under consideration of the World Bank, it is not possible to furnish details regarding the estimated expenditure, nature of assistance to be given to the cultivators, etc.

छोटी सिंचाई का नया तरीका

8278. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटी सिंचाई के नये तरीके निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे तरीके क्या हैं तथा उनके राज्यवार कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 15 लाख रुपये से कम लागत वाली और जल का स्वतन्त्र साधन रखने वाली सिंचाइ योजनाएं लघु सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत आती है । खुले कुएं, जिनमें बोरिंग तथा डीपनिंग शामिल हैं, पम्प सेटों का लगाना, निजी नलकूप, फिल्टर पाइन्ट/स्टेट ट्यूबवैल आदि भूगत विकास योजनाएं लघु सिंचाई के अन्तर्गत आती है । इसके अतिरिक्त निजी लघु सिंचाई कार्य, लघु सिंचाई कार्यक्रम में राज्य तथा सामुदायिक कार्य भी शामिल हैं । पुराने मालगुजारी कार्यों और विशेषकर तालाबों का नवीकरण भी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है । लघु सिंचाई छोटी नहरों का निर्माण तथा मरम्मत भी शामिल है । नाले बनाने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए वित्तीय सीमा 50,000 रुपये प्रति योजना है । जहां तक लघु सिंचाई कार्यक्रम का सम्बन्ध है :–

(क) आधिपत्य क्षेत्रों की परिसीमन ताकि उपलब्ध पानी वर्धन फसलों तथा सघन कृषि के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके ।

(ख) नलकूप, बोर-कम-डगवैल्ज जैसी योजनाओं पर अधिक बल ।

(ग) कूआ, नलकूप, पम्पसैट आदि जैसे लघु कार्यों के निर्माण को प्रोत्साहन ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में 12 मिलियन एकड़ भूमि को लघु सिंचाई द्वारा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है । राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण साथ नत्थी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1361/67**]

Bridges over Ganges in Uttar Pradesh

8279. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the names of places in Uttar Pradesh where bridges would be constructed over the Ganges and for which Government have decided to provide grants or loans;

(b) whether it is a fact that no scheme for constructing a bridge over the Ganges in Ghazipur is under consideration; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) Suggestions have been received so far from the Uttar Pradesh Government for bridging the Ganga at Hardwar, Raoli, Farrukhabad, Mirzapur and Ghazipur. The Uttar Pradesh Government are, however, primarily concerned with the construction of all these bridges, as they fall on State roads. No grants have been promised to be given for any of these bridges by the Government of India. There is, however, a provision for a loan upto to Rs. 4½ crores in the Fourth Plan period to meet 50% of the expenditure on such of these bridges as might be considered to be comparatively of higher priority. Against this, the Uttar Pradesh Government have submitted so far a scheme for financial assistance for the construction of bridges over the Ganga and Ramganga at Farrukhabad, which is being examined. No scheme for financial assistance for the Ghazipur and other bridge sites has been received so far from the State Government in the Fourth Plan period.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

8280. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विकास कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखी तथा जल गोदी परियोजनाओं के लिये क्रमशः कितना कितना धन नियत किया गया है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में उपर्युक्त तीन परियोजनाओं पर पृथक पृथक कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) 1967-68 में इन तीनों में से प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में, शिपयार्ड के विस्तार के लिये 8.65 करोड़ रुपये की

व्यवस्था की गई है । इसमें पोतनिर्माण के लिये शिपयार्ड को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है ।

(ख)	1)	सूखी गोदी परियोजना	5.00 करोड़ रुपये
	2)	वेट बेसिन परियोजना	2.20 करोड़ रुपये
(ग)	(क)	विकास कार्यक्रम	शून्य
	(ख)	शिपयार्ड को सहायता	1.70 करोड़ रुपये
2.		सूखी गोदी परियोजना	0.10 करोड़ रुपये
3.		वेट बेसिन परियोजना	शून्य
(घ) 1.		विकास कार्यक्रम	0.75 करोड़ रुपये
2.		सूखी गोदी परियोजना	0.10 करोड़ रुपये
3.		वेट बेसिन परियोजना	शून्य

विशाखापत्तनम में सूखी गोदी परियोजना

8281. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विसाखापत्तनम में सूखी गोदी परियोजना के बारे में जापानी परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जापानी सलाहकारों ने एक वृहतर सूखी गोदी के निर्माण की सिफारिश की थी जिसका परिमाण $800' \times 125' \times 38.70'$ हो और जिसमें 57,000 डीडब्लूटी के पोत आ सकें । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार करली है और परियोजना की स्वीकृति की आज्ञा अभी हाल ही में जारी कर दी गई है ।

दिल्ली में राशन व्यापारियों की गिरफ्तारी

8282. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन वाली वस्तुओं का दुरुपयोग करने के आरोप में पिछले महीनों में राशन के कितने व्यापारी गिरफ्तार किये गये; और

(ख) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पांच ।

(ख) राशन के व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और अपराधियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

कोचिन नगर निगम में वेलिंगडन द्वीप-समूह को शामिल करने का प्रस्ताव

8283. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचिन पत्तन अधिकारियों ने केरल सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसके अन्तर्गत वह वेलिंगडन द्वीप समूहों को कोचीन नगर निगम में शामिल करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस आपति के क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) विलिंगडन द्वीप जिस पर कोचीन का अधिकांश भाग स्थित है एक नकली द्वीप है । वह एक गठित क्षेत्र है और उसका अधिकांश भाग नौसेना के पास है । विलिंडन द्वीप में अधिकांश रहने वाले पत्तन और रेल के कर्मचारी है और शेष चुंगी, पत्तन स्वास्थ्य विभाग इत्यादि के कर्मचारी है जो पत्तन के काम काज से घनिष्ट तौर पर संबंधित है और जिन्हें रहने के मकान बनाने के लिये पत्तन ने जमीन पट्टे पर दी हैं । गैर सरकारी दलों जिन्होंने पत्तन से जमीन पट्टे पर ली है और कार्यालय गोदाम बनाये हैं वे भी पत्तन परिचालन से संबंधित है ।

सड़कों, बिजली, सफाई, जल सप्लाई इत्यादि की देखरेख और व्यवस्था से संबंधित नगर पालिका कार्य पत्तन द्वारा सन्तोषजनक तौर पर किये जाते है और चूंकि द्वीप आत्म-निर्भर इकाई है उसे प्रस्तावित कोचिन नगर पालिका निगम का भाग बनाये जाने की जरूरत नहीं है ।

(ग) भारत सरकार पोर्ट ट्रस्ट के विचारों से सहमत है और उसने केरल सरकार से प्रार्थना की है कि प्रस्तावित नगरपालिका निगम में वेलिंग्डन द्वीप के शामिल किये जाने के प्रस्ताव को समाप्त कर दे ।

वनस्पति तेल का मूल्य

8284. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री सु० कु० तापडिया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों के मूल्यों के अनुसार वनस्पति तेल का मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई सन्तोष जनक फार्मूला निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फार्मूले में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस दिशा में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । वनस्पति का मूल्य वनस्पति तेलों से सम्बद्ध होता है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Production of Sugar, Gur and Khandsari

8285. Shri Nageshwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted by the Agricultural Research Department regarding (i) the total number of labourers engaged in the production of sugar, (ii) the number of persons earning their livelihood from gur and khandsari, (iii) the quantity of sugar produced from one quintal of sugarcane, (iv) the quantity of gur and khandsari produced from one quintal of sugarcane; and (v) the cost of production of gur, khandsari and sugar; and

(d) if so, the details thereof respeetively ?

The Minister of State in the Ministry of F. A. C. D. and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. Sir, no such survey has been conducted.

(b) Does not arise.

केरल खाद्य मिसन

8286. श्री मरण्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि केरल के सभी राजनैतिक दलों के एक खाद्य मिशन ने उनसे तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन ने क्या मुख्य शिकायतें की थीं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मिशन को कोई आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) केरल के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केरल के मुख्य मंत्री खाद्य मंत्री की उपस्थिति में प्रधान मंत्री से मिले । मुख्य शिकायत जुलाई के महिने में केरल को कम चावल सप्लाई करने के बारे में थी । वे अगस्त के लिये चावल का पूरा कोटा सप्लाई किये जाने के बारे में आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे । उन्हें जुलाई से सितम्बर के दौरान चावल सप्लाई करने की कठिन स्थिति के बारे में बताया गया । उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया

कि भारत सरकार अगस्त में केरल को 33,000 टन चावल भेजेगी, सप्लाई आगे भी जारी रखने के लिये प्रयत्न करती रहेगी तथा चावल की कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त गेहूं की व्यवस्था की जायेगी। इससे चावल की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Price of Indigenous Wheat at Delhi Ration Shops

8287. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the price of indigenous wheat being distributed in Ration in Delhi from the 26th July, 1967 has been fixed at Rs. 1.03 per kilogram;

(b) whether it is a fact that Government had purchased the said wheat at the rate of 75 paise per kilogram only; and

(c) if so, the reasons for wnich this rate has been fixed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Sinde) : (a) Yes, Sir. This issue price relates to the Punjab superior wheat distributed in Delhi from the 26th July, 1967.

(b) No, Sir. The average purchase price of superior farm wheat in Punjab is Rs. 81.00 per quintal.

(c) The issue prices of superior wheat as also of Dara wheat for issue from ration shops in Delhi have been fixed after taking into account the purchase prices of wheat and various other incidentals payable to Punjab Marketing Federation, Punjab Government, Food Corporation of India, rationing cost and retailer's margin.

उत्तर प्रदेश के लिए कृषि विश्वविद्यालय

8288. **श्री विद्याधर वाजपेयी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में एक और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर तथा कब तक खोला जायेगा; और

(ग) सरकार ने योजना कब मंजूर की थी तथा इस कार्य के लिए कितनी धन राशि मंजूर की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में एक और कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार

8289. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय भाण्डागारों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनका उपयोग किस हद तक किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) खरीफ और रबी की फसलों के बाद लगभग छः महीने तक इन भाण्डागारों का पूरा उपयोग होता है ।

(ख) पिछले बारह महीनों के दौरान औसतन 77% का उपयोग हुआ है ।

किसानों को दीर्घावधि ऋण

8290. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से चालू वर्ष में दीर्घावधि कृषि ऋण दिये जाने के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : वर्ष 1967-68 में उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भूमि:बन्धक बैंक का 6.60 करोड़ रुपया का एक साह।य्यित साधारण ऋण-पत्र कार्यक्रम और 50 लाख रुपए का एक ग्रामीण ऋण-पत्र कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के लिए अबतक 1.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है, जो राज्य सरकार को साधारण ऋण-पत्र खरीदने के लिए ऋण के रूप में दी जानी हैं ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्र

8291. **श्री काशी नाथ पाण्डे :**
श्री विद्याधर बाजपेयी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) उन पर्यटन केन्द्रों विशेषकर कुमाऊं पहाड़ियों और गढ़वाल के पर्यटन केन्द्रों में पर्यटनों के लिए किन किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है अथवा किन किन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार हैं; और

(ग) यदि विदेशी पर्यटकों के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जिन पर्यटन केन्द्रों पर दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधि में सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तथा

जिन की व्यवस्था चौथी योजना की अवधि में प्रस्तावित है, उन केन्द्रों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1368/67]**

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए ऋण

8292. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में राज्य नलकूप लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) 1967–68 में उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय से ऋण नहीं मांगा है। फिर भी 1958-59 से राज्यों को केन्द्रीय सहायता कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा 'भूमि विकास' आदि के शीर्षकों के अन्तर्गत की जाती है। योजना वार स्वीकृति समाप्त कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है प्लान स्कीमों के लिए वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती है। अतः लघु सिंचाई योजनाओं तथा नलकूपों के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में आवश्यक केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को 1967–68 के अन्त में की जाएगी। तब तक प्लान स्कीमों पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को अग्रिम धन देती है।

फिर भी चालू वित्तीय वर्ष 1967–68 के दौरान यू० पी० में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए योजना आयोग ने 28.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की है। 1967-68 के दौरान राज्य सरकार ने भी लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 4.00 करोड़ रुपये की राशि नियतन के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की है। मामले पर सरकार विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां

8293. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने अड्डे या हवाई पट्टियां है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में नये हवाई अड्डे या नई हवाई पट्टियां बनाने का और वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) क्या लखनऊ हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में नागर विमानन विभाग में छः सिविल हवाई अड्डे हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश में नये हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । लखनऊ में धावन-पथ को बढ़ाने और मजबूत बनाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा वाराणसी के धावन-पथ को मजबूत बनाने के प्राक्कलन मंजूर हो चुके हैं । कानपुर और पन्तनगर में हवाई अड्डों के विकास के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

उत्तर प्रदेश को पम्पसेट दिया जाना

8294. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को वर्ष 1967-68 में पम्पसैट दिये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी सहकारी मिलें

8295. श्री काशी नाथ पाण्डे : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय चीनी की कितनी सहकारी मिलें हैं; और

(ख) वर्ष 1967-68 में राज्य में ऐसी और कितनी चीनी की मिलें खोलने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में चीनी 4 सहकारी मिलें चल रही है ।

(ख) 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई सहकारी मिल नहीं स्थापित की जाने की संभावना है । फिर भी, अगस्त 1965 औराई, जिला वाराणसी (उ०प्र०) 1250 टन की क्षमता की सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा गया था । इस मिल की स्थापना में कुछ समय लग सकता है ।

सीमावर्ती राज्यों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये विशेष ऋण

8296. श्री राम किशन : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कुछ सीमावर्ती राज्यों की सरकारों ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेष ऋण मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Price of Imported Foodgrains

8297. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri T. P. Shah :
Shri S. N. Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a loss of Rs. 35 lakhs has been incurred on account of rice in the prices of foodgrains imported by India because of the Israel-U. A. R. conflict; and

(b) if so, the steps taken by Government to ensure that this price rice does not affect the common man ?

The Minister of State in the Ministry of F. A. C D. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Consequent on the closure of the Suez canal, following the Arab-Israel conflict, vessel carrying foodgrains to India, which would normally have come via the Suez Canal, are now being routed via the Cape of Good Hope. This has resulted in the ocean freight rates going up for the foodgrains coming from the U. S. A. via this route. The extra expenditure likely to be involved is not possible to assess at present in view of the uncertainty about the reopening of the Suez Canal and the quantities of foodgrains which would have to be brought to India via the longer shipping route. There has been no increases as such in the price of import d foodgrains as a result of the Israel-U.A.R.conflict.

(b) The Government have no proposal at present to increase the issue prices of imported foodgrains supplied from the Central Stocks on account of the increased freight rates likely to be paid.

Supply of Foodgrains to Delhi

8298. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri T. P. Shah :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains supplied to Delhi for distribution during the last six months;

(b) the quantity of foodgrains allotted to Delhi during the last month;

(c) the reasons for not supplying the full quota; and

(d) the quantity of foodgrains demanded by the Delhi Administration for Delhi for the last six months ?

The Minister of State in the Ministry of F. A. C. D. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) About 194.6 thousand tonnes.

(b) About 32.5 thousand tonnes of wheat.

(c) The quotas allotted to Delhi are notional and actual supplies were made according to the demands from the ARDS. The question of supplying the full quota therefore does not arise.

(d) A quantity of 192 thousand tonnes of imported wheat was the demand under the distribution system during the last aix months.

एच० एस० 748 विमान की परिक्षण उड़ान

8299. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एस० 748 भारतीय यात्री विमान की परीक्षण उड़ान की गई है और सरकार का विचार इसको चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विमान के किन-किन मार्गों पर चलाये जाने की संभावना है; और

(ग) एक सप्ताह में इस विमान की कितनी उड़ाने होंगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, हां ।

(ख) और (ग)

मार्ग	विमान-सेवा की आवृत्ति
(i) हैदराबाद-विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम ।	सप्ताह में 5 दिन
(ii) हैदराबाद–मद्रास–मदुराई–त्रिवेन्द्रम–कोलम्बो ।	सप्ताह में एक बार

दिल्ली में बीज वर्धन फार्म

8300. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सहायता से दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में एक बीज वर्धन फार्म स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) इस समय दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सहायता से कोई बीज वर्धन फार्म स्थापित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

मूंगफली के न्यूनतम मूल्य

8301. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल में मूंगफली के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि इस अत्यावश्यक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय व्यापारी जहाज बेड़े के चालक गण

8302. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े के विभिन्न जहाजों के 'मास्टर' अपने जहाजों के चालकों को अपनी शक्ति दिखाने और अनुचित अधिकार जताने के लिये अधिकृत रोजनामचे (लांगबुक) में झूंठी प्रविष्टियां कर देते हैं और उनका प्रस्थान वाली बन्दरगाह पर पहुंचने से पहले ही उन प्रवृष्टियों को समाप्त कर दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसे अनेक मामलों की सूचना मिली है या पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हुए ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में जहाजों के 'मास्टरों' द्वारा अनुचित अधिकार जताये जाने की प्रवृति को रोकने के लिये क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rice Supply to Kerala

8303. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Kerala met him in Delhi recently in connection with the supply of rice to Kerala;

(b) if so, the outcome thereof;

(c) whether the United Front of Kerala has threatened to take direct action in the matter; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) The Chief Minister of Kerala along with a delegation from Kerala met the Prime Minister when the Food Minister was also present. The main complaint was about the shortfall in the supply of rice to Kerala in the month of July. They wanted assurance for supply of full quota of rice in Augu t. The difficult rice supply position during the months of July to September was explained to them. They were also informed that the Government of India would supply to Kerala at last 33,000 tonnes of rice in August and was continuing its efforts to locate further supplies and that adequate wheat to make up the shortfall in rice would be provided. This would help to make up the shortfall in rice.

मत्स्य नौकाएं

8304. **श्री विश्वभरन :**
श्री मंगलथुमाडीम :
श्री अदिचन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्याप्त संख्या में मत्स्य नौकाएं बनती हैं;

(ख) क्या मत्स्य नौकाओं के आयात के लिये यूगोस्लाविया के साथ करार है; और

(ग) भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) लकड़ी की मत्स्य नौकाएं जो 7 मील क्षेत्र में मछली फंसाने के लिए उपयुक्त हैं भारत में मत्स्य उद्योग की मांग के अनुसार बनाई जाती हैं । इन नौकाओं की लम्बाई 25 से 48 फुट होती है । 50 फुट से 90 फुट के बीच इस्पात की छोटी तथा मध्यम साइज की मत्स्य नौकाएं भारत में बन सकती हैं और मैसर्स मैजागौन डाक्स लिमि० ने भारत सरकार की डीप सी फीशिंग आर्गेनाइजेशन के लिए एक नौका बनाई है जो संतोषजनक काम कर रहा है ।

(ख) मत्स्य नौकाओं के आयात के लिए यूगोस्लाविया के साथ कोई करार नहीं हुआ है ।

(ग) भारत में डीप सी फिशिंग के विकास के लिए आवश्यकतायें ये हैं :–

(1) एक उपयुक्त इन्फरा-स्ट्रक्चर जिसके लिए बन्दरगाह, बर्फ के कारखाने मण्डार हों और विपणन प्रबन्ध हों ।

(2) डीप सी फिशिंग ग्राउन्डस का सर्वेक्षण और भारतीय परिस्थितियों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नौकाओं की किस्म का निश्चित करना ।

(3) मछली पकड़ने की नौकाओं के विस्तृत बनावट को तैयार करना और उनके निर्माण के लिए प्रबन्ध ।

(4) गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली नौकाओं को चलाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

सरकार ने चौथी योजना में उपरोक्त बातों को रखा है । बड़े बन्दरगाहों में इन्फरा-स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए-निधान अध्ययन शुरू कर दिये गए है । कुछ छोटे बन्दरगाहों में फिशिंग हारबर प्रदान किए गए हैं और अन्य बन्दरगाहों में निर्माण कार्य चालू है । कुछ बर्फ तथा शीत भण्डारन प्लान्ट लगा दिए गए हैं । भारत सरकार ने आज-शोर वाटर्स में सर्वेक्षण किया है । नौकाओं के उपयुक्त डिजाइन प्राप्त करने और नमूने के रूप में कुछ नौकाएं आयात करने के लिए कदम उठाये गए हैं । कर्मचारियों के लिए कोचीन में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है और दूसरा शीघ्र ही खुलने वाला है ।

Supply of Pesticides to Bihar

8305. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply larger quantity of pesticides to Bihar as compared to last year; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) The procurement of pesticides is the direct responsibility of the Government of Bihar and the State Government procured pesticides worth Rs. 2,2o crores during 1966-67. The Government of India assisted the State in the procurement of various pesticides through the State Trading Corporation and the trade channels

According to the estimates made by the State Government, larger quantities of pesticides are likely to be consumed in 1967-68 as compared to the last year.

Construction of Bridges in Assam

8306. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri S. S. Kothari :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri J. B. Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work on 300 bridges in Assam is still incomplete;

(b) whether it is also a fact that the completion of these bridges has become very essential in view of the impending danger from Pakistan and China;

(c) if so, the action taken by Government in that regard; and

(d) the reasons for the delay in taking up the works ?

Deputy Minister in the Ministry of Transport & Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) Soon after the Chines aggression in the year 1962, the programme of developing

Nat onal Highways, including the work of the construction of missing bridges and strengthening and reconstruction of the existing bridges on National Highways, which connect the Eastern borders on the rest of India, was taken up in consultation with the Ministry Defence.

The investigations revealed that 331 bridges were required to be constructed. Out of these, the work on 152 bridges has since been completed; while the work on 44 bridges is in progress and is expected to be completed shortly.

The work on remaining 2 major and 133 minor bridges is yet to be sanctioned and will be taken up as soon as the necessary funds become available.

बंगलौर में होटल

8307. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में बंगलौर में फाइव स्टार होटल का शिलान्यास किया है;

(ख) यह होटल कितना बड़ा होगा, उसमें कितने कमरे होंगे, भूमि, इमारत साज-सामान पर विदेशी मुद्रा सहित पृथक पृथक कितना धन व्यय होगा; और

(ग) क्या इसके निर्माण के लिये निर्धारित 50 लाख रुपये की राशि इस कार्य के लिये पर्याप्त है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। यह शिलान्यास भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाये जाने वाले होटल के लिए था।

(ख) इस होटल की इमारत का बना हुआ क्षेत्र (कवर्ड एरिया) लगभग 60,000 वर्ग फुट होगा। इसमें दो शयनाओं वाले 100 कमरे होंगे। भूमि, इमारत और साज-सामान की कीमत विदेशी मुद्रा सहित अनुमानतः 57.50 लाख रुपये होगी। विदेशी मुद्रा के अंश अभी अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) 50.00 लाख रुपये की निर्धारित राशि जिसमें जमीन की कीमत सम्मिलित नहीं है, पर्याप्त समझी गयी है।

रोगों तथा कीड़ों से फसलों को क्षति

8308. **श्री राने :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोई अनुमान लगाया गया था कि देश में फसलों के रोगों तथा कीड़ों के कारण फसलों की जो हानि हुई है वह रुपयों में कितनी है;

(ख) यदि हां, तो 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में कितने मूल्य की फसलों की हानि हुई;

(ग) इन रोगों के उन्मूलन के लिये प्रति वर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों ने वास्तव में कितनी राशि खर्च की है; और

(घ) भविष्य में इस हानि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) तथा (ख) पौधों के कीड़ों तथा रोगों द्वारा हुई हानि के सम्बन्ध में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी अनुमान है कि कुल कृषि उपज का लगभग 20 प्रतिशत हर वर्ष इन कीड़ों तथा रोगों द्वारा नष्ट हो जाता है।

(ग) राज्यों तथा केन्द्र द्वारा पौद रक्षा पर जो वास्तव में खर्च होता है उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	खर्च (रुपये लाखों में)
1961–62	164.619
1962–63	178.782
1963–64	265.157
1964–65	424.200 (अनुमानतः)
1965–66	424.208 (अनुमानतः)

(घ) कीड़ों और रोगों से कृषि फसलों तथा जिन्सों को हानि से बचाने के लिये कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित है :–

(1) किसानों को काफी मात्रा में कीटनाशक औषधियां तथा उपकरण उपलब्ध करना।

(2) स्टेट प्लान्ट प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन को दृढ़ करना।

(3) पौध रक्षा तकनीकियों तथा पद्धतियों में विस्तार स्टाफ तथा किसानों का प्रशिक्षण।

(4) प्रान्तिक क्षेत्रों को नक्शा बनाना ताकि सामयिक नियंत्रण उपाय किये जा सकें।

(5) किसानों के खेतों में प्रदर्शन करके फसलों को प्रोफीलैक्टिक ट्रीटमेन्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देना।

(6) पौद रक्षा कार्य को तीव्र करने, चौथी योजना में 210 मिलियन एकड़ भूमि को लक्ष्य बनाया गया है जबकि तीसरी योजना में 41 मिलियन एकड़ भूमि का लक्ष्य निधारित किया गया था। उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पौद रक्षा उपायों के लिए धन जुटाना। चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए 326.52 करोड़ रुपये और पब्लिक सैक्टर के लिए 33.57 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

(7) केन्द्रीय तथा स्टेट वेयर हाऊसिंग आरगेनाइजेशन का विस्तार करना ताकि जमा पदार्थों को हानि न पहुंचने पाये।

(8) हवाई छिड़काव की सुविधाओं को अधिकतम क्षेत्रों में विस्तृत किया जाना ।

(9) गैर–सरकारी कार्यकर्त्ताओं द्वारा छिड़काव कार्यों में वृद्धि करना ।

New Super Bazar in Madhya Pradesh

8309. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central for a grant to open a new Super Bazar in that State; and

(b) if so, the reaction of Goverrment thereto ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) During 1966-67, a proposal was received from the Government of Madhya Pradesh for setting up department stores at Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Raipur. The proposal was examined and four department stores at Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior were sanctioned. Of these, the first 3 department stores have started functioning and the fourth department stores is expected to be opended shortly. During 1967-68, no proposal has been receired from the Government of Madhya Pradesh for opening a new Super Bazar in that state.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार

8310. **श्री झा सुन्दरलाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में भाण्डागारों पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : वर्ष 1966–67 के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागारों को संचालित करने के लिये लगभग 2.43 लाख रु० की धनराशि खर्च की गई है।

दक्षिण भारत के राज्यों में वन महोत्सव

8312. **श्री अगाड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्य मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष वन महोत्सव समारोह मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा क्या इस कार्यक्रम में इमली के पेड़ लगाना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य में वर्षवार इमली के कितने पेड़ लगाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सम्बन्धित सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इमली के दाम

8313. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के दक्षिणी राज्यों में इमली के दाम बहुत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1945-46 की कीमतों की तुलना में वर्तमान मूल्य कितने प्रतिशत बढ़े हैं;

(ग) क्या दक्षिण राज्यों में इमली के वृक्ष लगाने का कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मैसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में हाल के वर्षों में अब तक इमली के कितने पेड़ लगाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1945-46 में हुए मूल्यों से वर्तमान मूल्यों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थान

8314. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान सभा के लिए हजारीबाग जिले में 1957 और 1962 के आम चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए एक स्थान और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए दो स्थान आरक्षित थे किन्तु 1967 के आम चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए दो स्थान आरक्षित थे और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) हजारीबाग जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या की कुल जनसंख्या के साथ प्रतिशतता बढ़ गई थी जबकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता घट गई थी । अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों का जिलों में वितरण अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर किया गया था और हजारीबाग जिला ऐसे दो स्थानों का हकदार हो गया । किन्तु, चूंकि परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9 (1) (घ) के अधीन, अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित स्थानों को उन क्षेत्रों में अवस्थित किया जाना था जहां कि उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम हो, इसलिए इस जिले को कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिया जा सका ।

सामुदायिक विकास में अनुसन्धान

8315. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामुदायिक विकास तथा उससे सम्बद्ध विषयों में अध्ययन तथा अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिये दस लाख रुपये की एक विशेष निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के कितने विश्वविद्यालयों ने इस निधि में से धन मांगा है;

(ग) पश्चिम बंगाल के कितने विश्वविद्यालयों के लिये धन मंजूर किया गया है; और

(घ) पश्चिम बंगाल के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुदान नहीं मांगा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) विश्यविद्यालयों के माध्यम से सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा पंचायतीराज के विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान, गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों और पुस्तकालयों तथा प्रकाशनों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन, आयोग तथा भूतपूर्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ में बराबर-बराबर दी गई धनराशि से 10 लाख रुपये की एक विशेष निधि स्थापित की गई है।

(ख) व (ग) कल्याणी, कलकत्ता तथा नार्थ बंगाल के विश्वविद्यालयों ने क्रमशः अनुसंधान अध्ययन, पुस्तकालय विस्तार तथा अनुसंधान शिक्षा वृत्ति देने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(घ) बर्दवान, जादवपुर, विश्व-भारती तथा रविन्द्र-भारती ने अभी तक इस योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं मांगी है।

जोधपुर–उदयपुर–बम्बई विमान सेवाएं

8316. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर–उदयपुर–बम्बई विमान सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Aid for Minor Irrigation Programme in Rajasthan

8317. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent of financial aid being given by the Central Government to Rajasthan for small irrigation schemes during the current year; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to increase the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) An outlay of Rs. 287.00 lakhs has been approved for the Rajasthan State for minor irrigation schemes during 1967–68. The question of allotment of further funds to the States including Rajasthan is under consideration of Government of India.

लोगों की दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तुओं की पूर्ति

8318. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री गणेश घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तुओं के अभाव और उनके दाम ऊंचे होने के कारण लोगों में निराशा फैली हुई है और उसके परिणामस्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में ऐसे पदार्थों के लूट किये जाने की घटनायें हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री **(श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) कुछ राज्यों से खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के लूट लिये जाने के कुछ समाचार मिले हैं । हरेक मामले की सावधानीपूर्वक जांच किये बिना यह कहना कठिन है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कौन से कारण हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम की चीनी की आवश्यकता

8319. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में डेरगांव स्थित चीनी मिल से आसाम की चीनी की आवश्यकता पूरी हो जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो खपत के लिये आसाम को प्रतिमास कितनी मात्रा में अतिरिक्त चीनी दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान दूसरे राज्यों की मिलों से आसाम को दी गई चीनी की मात्रा इस प्रकार है :

मई, 1967	3886 टन
जून, 1967	3785 टन
जुलाई, 1967	3566 टन

आसाम का शेष मासिक कोटा डेरागांव मिल से भेजा गया था ।

भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा

8320. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े की इस समय कुल टन भार क्षमता कितनी है;

(ख) भारत के व्यापार के लिये कुल कितने टन भार क्षमता की आवश्यकता है; और

(ग) भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े की टन भार क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, ताकि वह भारत के सारे व्यापार को सम्भाल सके ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1-7-1967 को 1.88 मीलियन जी. आर. टी. ।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण भारतीय व्यापार अर्थात निर्यात और आयात व्यापार के भारतीय जहाजों द्वारा किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है । हमारा अधिकारपूर्ण भाग केवल 50 प्रतिशत हो सकता है जिसके लिए 4.5 मीलियन जी. आर. टी. कुल अनुमानित जहाजी टन भार की आवश्यकता है ।

1965-66 में भारतीय जहाजों ने हमारे समुद्रपार के सम्पूर्ण व्यापार का 13 प्रतिशत ढोया । कच्ची धातु खाद्यान्न और पैट्रोल के पदार्थों जैसे खुले माल को ले जाने के लिए बड़े खुले माल वाहकों तथा तेल वाहकों के प्राप्त हो जाने पर इस प्रतिशतता में सुधार हो जाएगा । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप में इस योजना-काल के अंत तक के लिए मोटे तौर पर चालन में 3 मीलियन जी. आर. टी. और आदेश पर

या निर्माण में 0.5 मीलियन जी. आर. टी. का लक्ष्य है । अनुमान है कि यदि इस लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तो समुद्रपार के व्यापार में हमारा भाग 30 प्रतिशत से आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक हम 50 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं ।

जहां तक भारत में बने जहाजों की प्राप्ति का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० की क्षमता चतुर्थ योजनाकाल के अन्त तक के लिए पूरी तरह से बुक है । साथ ही इस शिपयार्ड के उत्पादन को बढ़ाने का पूरा यत्न किया जा रहा है । जहां तक विदेशों से जहाज प्राप्त करने का सम्बन्ध है इसमें मुख्य कठिनाई विदेशी मुद्रा की है जिसके लिए उधार के उचित स्रोतों की खोज की जा रही है । जहाजों को विदेशों से प्राप्त करने के लिये समय-समय पर आज्ञा दी जाती है बशर्ते विदेशी साधनों की उपलब्धि हो तथा परियोजना जीवनक्षम हो । उदाहरण के लिए हाल ही में सरकार ने यूगोस्लोविया से 2 टैंकरों और 5 खुले माल वाहकों को प्राप्त करने की स्वीकृति दी है ।

बीज फार्म

8321. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां सरकारी अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत बीज फार्म हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन बीज फार्मों ने किसानों को सीधे अथवा राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से कितनी मात्रा में बीज दिये;

(ग) क्या यह सच है कि सब राज्यों में बीज फार्म स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त बीज फार्मों तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा देश की बीज सम्बन्धी कुछ आवश्यकता पूरी की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26

8323. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर और नरसिंहपुर के बीच जहां कोई पुल नहीं है, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर पड़ने वाली नदियों, उपनदियों तथा नालों के नाम क्या है; और

(ख) इन नदियों, उपनदियों तथा नालों पर पक्की पुलियों का निर्माण कब हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 26 के सागर--नरसिंहपुर अनुभाग में तीन बगैर पुल की चौराहे हैं अर्थात् मील संख्या 29/5 पर करंजुआ नाले पर, मील संख्या 30/5 पर सोनार नदी पर और मील संख्या 40/4 पर झुंकू नाले पर ।

(ख) करंजुआ नाले और सोनार नदी के ऊपर पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और उसके 1968 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । झुंकू नाला और सुख चैन नाला के संगम की धारा के थोड़े नीचे पुल के निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है और उसके 1968 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

ट्रैक्टरों तथा शक्ति-चालित हलों का किसानों में वितरण

8324. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषकों को ट्रैक्टर तथा शक्ति-चालित हल वितरण करने का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) ट्रैक्टरों तथा पावर टिलरों का आयात पहले ही गैर-सरकारी निकायों के माध्यम से हो रहा है । इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि ऐसी मशीनों के वितरण का काम सरकारी क्षेत्र को किस सीमा तक सौंपा जा सकता है ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं की सप्लाई

8325. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग का सचिव हाल ही में आस्ट्रेलिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या भारत को खाद्यान्न देने के लिये आस्ट्रेलिया सरकार ने कोई आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) उस देश से गेहूँ की खरीद तय करने के लिए तथा सामान्य रूप से आस्ट्रेलिया सरकार के अधिकारियों के साथ भारत की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए ।

(ग) और (घ) 14–7–1967 को 75,000 लाख टन आस्ट्रेलिया गेहूँ खरीदी गई थी । दिनांक 25–7–1967 को आस्ट्रेलिया सरकार ने 1,50,000 टन गेहूँ का उपहार दिया है । पोत-लदान शुरु हो गई है और इस पूरी मात्रा की शीघ्र ही लदान हो जायेगी और आशा है कि अगस्त और सितम्बर, 1967 के दौरान भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच जायेगी ।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा डकोटा विमानों का उपयोग

8326. श्री समर गुह : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी विमान कम्पनियां यात्रियों को तथा माल को ले जाने के लिये अभी तक डकोटा किस्म के विमानों का उपयोग करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच करने के लिये, कि क्या ये डकोटा विमान उड़ने योग्य हैं, कोई कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में पिछली जांच कब की गई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । वास्तव में इण्डियन एयरलाइन्स भी इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए डकोटा विमानों का उपयोग कर रहा है ।

(ख) अनुसूचित तथा अन-अनुसूचित परिचालकों की विमान सेवाओं पर चल रहे सभी विमानों की निर्बाध उड़न योग्यता की सुनिश्चित रूप से जांच कर लेने की नागर विमानन विभाग की एक प्रणाली है । उड़न योग्यता का प्रमाण-पत्र देने से पहले प्रत्येक विमान का वैमानिक निरीक्षण निदेशालय के एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है । डकोटों के मामले में उड़न-योग्यता का प्रमाण-पत्र 12 महीने के लिए बैध होता है । बारह महीनों की प्रत्येक अवधि के बाद एक पुनर्निरीक्षण कराकर उड़न योग्यता का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होता है । विमान का आखिरी निरीक्षण किस तारीख को हुआ उसके अनुसार प्रत्येक विमान की अन्तिम जांच की तारीख बदलती रहती है, लेकिन प्रत्येक डकोटा विमान की उड़न योग्यता की दृष्टि से बारह महीने में एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाता है ।

सामुदायिक विकास योजनाओं का ग्रामीण जनता पर प्रभाव

8327. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति सुधारने में सामुदायिक परियोजनाओं और खण्ड विकास योजनाओं के प्रभाव का वास्तविक अध्ययन करने के हेतु इन कार्यों के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसा अध्ययन करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) व (ख) जब से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरु हुआ है तब से ही इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रक्रम जारी है। इस तरह 1954 से 1960 तक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने गहराई से अध्ययन करने के लिए चुने हुए खण्डों में 'बेंच मार्क' तथा आवृत्ति सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में वार्षिक संवर्ती मूल्यांकन किए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सारा ग्रामीण क्षेत्र आ जाने से, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ने हाल ही के वर्षों में, सामुदायिक विकास खण्डों में चलाए जा रहे ग्रामीण जन-शक्ति तथा व्यावहारिक पोषाहार जैसे ग्राम विकास के चुने हुए कार्यक्रमों की समस्याओं के गहन अध्ययनों पर अधिक ध्यान दिया है। इसके अलावा सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों ने सामुदायिक विकास तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में अनेक प्रकार के अध्ययन किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता

8328. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति पर विचार करते समय यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि राज्य की खाद्य आवश्यकता को अन्य खाद्य पदार्थों, जैसे मछली और मांस से कहां तक पूरा किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मछली और मांस का उत्पादन बढ़ाने में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सहायता देने का है; और

(ग) अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल को मछली और मांस की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य के लोगों की खाद्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में मछली की मांग के बारे में भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में नहीं केवल कलकत्ता में मछली की मांग के बारे में एक साधारण सर्वेक्षण किया गया है। मांस की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु मत्स्य विकास कार्यक्रमों के लिये चौथी योजना में 450 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। एक करोड़ रुपये से वैस्ट बंगाल स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन की भी स्थापना की गई है। केन्द्रीय मत्स्य निगम का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है और उसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में मत्स्य सप्लाई को बढ़ाना है। इसने अन्य राज्यों से लेकर पश्चिम बंगाल में मछली की सप्लाई बढ़ाने का प्रयत्न किया है। 127.75 लाख रुपये, 143.16 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के खर्च पर भेड़ एवं बकरी, मुर्गी-पालन और सूअर-पालन के विकास के लिए योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई है।

पश्चिम बंगाल में "औस" धान का उत्पादन

8329. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस वर्ष "औस" धान के कुल उत्पादन की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष "औस" धान का कुल उत्पादन कितना हुआ है;

(ग) कितने फालतू धान के बाजार में आने की सम्भावना है; और

(घ) बाजार में आने वाली धान की फालतू मात्रा की वसूली करने में पश्चिम बंगाल सरकार के कहां तक सफल होने की सम्भावना है और इस वसूली का पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) और (घ) अभी निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम

8330. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने हिस्से की धनराशि दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन-राशि दी है;

(ग) क्या इस निगम ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) सम्बद्ध राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5

8331. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 में सुधार करने के लिये तैयार किये गये प्राक्कलनों को केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये तैयार किये गये प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंजूरी दी जाने में देरी होने का क्या कारण है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1947 से, जिस दिन केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ के विकास के लिए वित्तीय उत्तर-दायित्व संभाला था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 1440 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था। इस राष्ट्रीय राजपथ के सुधार के लिए अतिरिक्त प्राक्कलन स्वीकार करने की संभाव्यता पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध निधियों पर निर्भर करती है, जबकि यह अन्तिम रूप से तैयार हो जाती है।

पारादीप पत्तन

8332. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पारादीप पत्तन के लहरतोड़ बांध में ज्वार भाटा की तेज लहरों के कारण बहुत जल्दी और अत्यधिक गम्भीर कटाव हो जाने के कारण अधिकारी लोग बहुत चिन्तित हैं;

(ख) यदि हां, तो बांध के इस कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को पारादीप पत्तन में इस समय जहाजों से गेहूँ को उतारने में हो रही कठिनाइयों की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) पारादीप पत्तन में अन्य माल को उतारने-चढ़ाने की स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या चतुर्थ योजना के दौरान टाउनशिप का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) पारादीप पत्तन में पनकट दीवार के निर्माण के कारण पत्तन के निकट तट के किनारे तीरस्थ बहाव की उतरी गति को अवरोधित कर लिया गया है। अतः पत्तन की उतरी तट रेखा अपने स्वाभाविक पोषण से वंचित हो गई है। वर्षा काल में ज्वार तरंगों द्वारा कटाव का विशेष अनुभव किया जाता है। ज्वार तरंगों से पनकट दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) तुरन्त उपायों के रूप में प्रभाव पड़ने वाले तट में रोड़ी का पलस्तर लगाने का प्रस्ताव है। अस्थायी उपायी जैसे बालू के बोरे लगाना और लारियों द्वारा पोषण करने पर भी विचार किया जा रहा है।

स्थायी उपाय के रूप में दक्षिणी पनकट दीवार के दक्षिणी ओर पर लगाने के लिए एक सैंड पंप कम शोर बेस्ट ड्रेजर का आदेश दिया गया है। यह बालू के जमाव को नियमित रूप से खींच कर पाइप लाइन द्वारा उत्तरी पनकट दीवार के उत्तर में तट के पोषण के लिए भेजता रहेगा।

(ग) (घ) और (ङ) चूंकि प्रथम अवस्था में पारादीप पत्तन का केवल माल पत्तन के रूप हीमें विचार किया गया था अतः उसमें केवल एक लौह धातुक गोदी है। कच्ची धातु के पोतों के अलावा अन्य पोत भी इस गोदी पर धरा उठाई करते हैं। अतः इन पोतों से माल लदाने उतारने में समुचित पत्तन सुविधाओं के न होने से कठिनाई अनुभव होती है। सहायक सुविधाओं सहित एक सामान्य माल गोदी का निर्माण, जो खाद्यान्न सहित सामान्य माल की मांग की पूर्ति कर सके, विचाराधीन है। इस बीच कच्ची धातु के अलावा माल की तुरत की आवश्यकताओं की पूर्ति बोया गोदी द्वारा की जा सकेगी जिसका निर्माण पूरा होने को है।

(च) धन की कमी के कारण, पारादीप पत्तन में न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त इमारतें बनाने का ही प्रस्ताव है। नगर का और आगे का विकास प्रतिवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Piough Manufactured by Escorts Ltd.

8333. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minster of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Escorts Ltd. has manufactured new plough which is very useful to the Indian farmers ;

(b) the main features thereof ;

(c) whether Government have tested its utility ;

(d) if so whether Government would encourage its production on a large scale ; and

(e) the steps being taken by Government to manufacture cheap ploughs suited to the Indian conditions ?

Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) M/s. Escorts Limited, Agriculture Division Faridabad has prepared a frame for attaching various agricultural implements such as plough, ridger leveller, discharrow etc.to this frame known as tool bar. This frame is claimed to be an improvement over similar tool bars or frames popularly known as "Otto Frame marketed by M/s. Voltas Limited and the "Nair Frame" which was being manufactured near Nainital. M/s. Escorts have given the name to this frame as "Balwan Plough".

(b) The important features of all these types of frames including "Balwan" plough are that various agricultural implements can be attached to it for performing different agricultural operations. In addition to these implements, a trailor can also be attached behind it.

(c) M/s. Escorts Limited have been requested to send a few of their Balwan ploughs for testing at Research-cum-Testing Centres. As soon as these are received at the Research Centres they will be tested.

(d) The question of enocauraging its large scale production will arise only after the test reports are received from the Research-cum-Testing Centres.

(e) The price of the Balwan plough including one or two other attachments has been reported to be Rs. 2,100. The light mouldboard ploughs which are suitable for average Indian farmers is now manufactured on a mass scale in India and is available for a price ranging from Rs. 25 to 35. These light mouldborad ploughs are manufactured by a number of firms in different States.

राजभाषा (विधायी) आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति

8334. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री ब्रजभूषण लाल :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विधि सचिव ने नौसेना में जज एडवोकेट जनरल के पद पर एक वरिष्ठ विधि सलाहकार की नियुक्ति की सिफारिश की थी परन्तु इस सिफारिश के बावजूद इस पद पर राज भाषा आयोग का एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया, जिसको विधिक सलाह देने का कोई अनुभव नहीं था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि असिस्टेंट लैजिस्लेटिव काउसेल के पद पर नियुक्त करने के लिये मन्त्रालय ने पदोन्नति के रूप में जिसकी कार्यालय को आवश्यकता है, एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश की थी परन्तु इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था और राजभाषा (विधायी) आयोग का एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जिसको केवल अनुवाद का ही अनुभव था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई में सुपरिन्टेंडेंट (लीगल) के मसले में भी जो कि एक पदोन्तति का पद था यह आदेश दिये गये कि इस पद के लिये अमुक राज्य से एक व्यक्ति चुना जाना चाहिये ; और

(घ) यदि भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी नहीं। रक्षा मन्त्रालय ने, जिसका कि प्रस्तुत नियुक्त से सम्बन्ध है, इस मन्त्रालय के एक उपयुक्त आफिसर की सेवाएं मांगी थी। इस मन्त्रालय के दोनों विभागों के अर्हित और उपयुक्त आफिसरों के दावों पर विचार करने के पश्चात और इन विभागों में आफिसरों की अत्यधिक कमी का सम्यक ध्यान रखने के पश्चात, इस मन्त्रालय ने एक उप प्रारुकार के नाम की सिफ रिश की, जो उस पद के लिये पूर्णतः अर्हित था और जिसको विधिक मामलों का यथायोग्य अनुभव था। इस नाम को रक्षा मन्त्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी नहीं इस रिक्ति के सम्बन्ध में यह प्रस्थापना है कि इसे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, सीधी भर्ती द्वारा, लम्बी अवधि के लिए भरा जाए।

(ग) जी नहीं। बम्बई में अधीक्षक (विधिक) की रिक्ति, नियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भरी जाने के लिए आरक्षित है। ऐसे कोई अनुदेश नहीं दिए गए हैं जैसे कि प्रश्न में वर्णित है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजर

8335. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कुल कितने अशंकालिक डिपो मैनेजर और सहायक हैं ;

(ख) पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र क्या है ;

(ग) डिपो मैनेजर तथा सहायक की निर्धारित अर्हताएं क्या है ;

(घ) उनकी भर्ती का तरीका क्या है और उनको कितना वेतन दिया जाता है ;

(ङ) यदि उन्हें साप्ताहिक अथवा कोई अन्य छुट्टी मिलती है तो कितनी ; और

(च) रविवार तथा/अथवा छुट्टियों को काम करने के लिए उन्हें यदि कोई प्रतिकर दिया जाता है तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 31 जुलाई, 1967 को।

डिपो मैनेजर	डिपो एसिसटेन्ट	कुल
857	1017	1874

(ख)

डिपो मैनेजर		डिपो एसिसटेन्ट	
पुरुष	स्त्रियों	पुरुष	स्त्रियां
223	634	256	761

दुग्ध केन्द्रों का क्षेत्र निश्चित नहीं किया गया है। टोकन होल्डरों को अपने निवास के निकटतम केन्द्र से दूध मिल सकता है।

(ग) (क) डिपो मैनेजनर :

(1) ग्यारहवीं या उससे बड़ी कक्षा का छात्र अवश्य होना चाहिये और आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

(2) डिपो एसिसटेन्ट के काम का कुछ अनुभव होना चाहिये ।

(ख) डिपो एसिसटेन्ट :

10वीं या उससे बड़ी कक्षा में पढ़ता हो और आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।

(घ) डिपो असिसटेन्ट :

दिल्ली दुग्ध योजना की चुनाव समिति द्वारा डिपो एसिसटेन्ट की नियुक्ति की जाती है । यह समिति एम्पलायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से आने वाले उम्मीदवारों में से चुनाव करती हैं ।

डिपो मैनेजर :

दिल्ली दुग्ध योजना की चुनाव समिति द्वारा सुयोग्य एसिसटेन्टस का इन्टरव्यू किया जाता है और चुनाव के पश्चात उन्हें डिपो मैनेजर के पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

डिपो मैनेजर को प्रतिमास 50 रुपए तथा एसिसटेन्ट डिपो को 25 रुपये मिलते हैं ।

(ङ) और (च) :

डिपो कर्मचारियों को सप्ताह में एक छुट्टी दी जाती है । यदि ऐसी छुट्टी के दिन भी ड्यूटी देनी पड़े तो उन्हें उसी अनुपात से बढ़ा वेतन दिया जाता है ।

कालीकट हवाई अड्डा

8336. श्री श्री धरन :
श्री मंगलायुमाडोम :
श्री विश्वम्भरन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा लेकिन जल्दी ही अन्तिम परिणाम पर पहुँचने का हर प्रयत्न किया जायेगा ।

केरल में खाद्य निगम के विरुद्ध शिकायतें

8337. **श्री श्रीधरन :**
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में भारतीय खाद्य निगम के कार्य के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) किसी गम्भीर मामले या किसी महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है। गौण मामलों के सम्बन्ध में तीन शिकायतें मिली थी।

(ख) से (घ) पहली शिकायत खाद्य निगम द्वारा किये गये कोचीन बन्दरगाह पर उतारने-चढ़ाने के ठेके से सम्बन्धित थी। इस की जांच की गई और पता चला कि मामला प्रतिकूल है। दूसरी शिकायत एक रिपोर्ट के सम्बन्ध में थी कि केरल में कुछ सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। पता चला कि यह सच नहीं है। तीसरी शिकायत आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त चावल के बोरों के सम्बन्ध में भी जो वर्षा से खराब हो गये। हमें मालुम हुआ है कि इस मामले में शीघ्र ही कार्यवाही की गई थी। बोरे खोले गये अनाज को सुखाया गया, फिर ठीक किया गया और वितरित किये गये।

सक्किम को खाद्य सहायता

8338. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री आतम दास :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम ने हाल में भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उसकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए खाद्य सहायता भेजे ; और

(ख) यदि हां, तो सिक्किम को अक्षित सहायता भेजने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सिक्किम को खाद्यान्न विशेष रूप से चावल शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था।

(ख) खाद्यान्न शीघ्र भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।

Cooprative Departmental Stores

8339. **Shri Vidya Dhar Bajpai :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of Cooperative Departmental stores sanctioned under the Central assistance in various States last year ;

(b) the number of stores out of these which have already started functioning ; and

(c) the number of stores which are running at a loss and of those running at profit ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The Government of India sanctioned financial assistance to 51 cooperative department stores through State Governments during 1966-67.

(b) 40 Department Stores have already stared functioning. The remaining 11 department stores are expected to start functioning soon.

(c) Most of the Department Stores have not even completed one year of their existence. The profit and loss position will be known only after their accounts have been audited. From reports otherwise available with regard to 21 stores it has been found that 8 have incurred losses.

हिमाचल प्रदेश में भूसंरक्षण

8340. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में भू-संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी धन राशि के ऋण तथा अनुदान देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : 1967-68 में भू-संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदान निम्नलिखित हैं :–

अनुदान :	81.964 लाख रुपये
ऋण	6.250 लाख रुपये
	88.214 लाख रुपये

काश्मीर में पर्यटक

8341. **श्री बलराज मधोक :** **श्रीमती शकुन्तला नायर :**
श्री शारदा नन्द : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में काश्मीर में नाविकों, फेरीवालों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा पर्यटकों के साथ हाथापाई तथा दुर्व्यवहार के बहुत से मामलों का समाचार मिला है ; और

(ख) यदि हां तो काश्मीर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाय क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को नाविकों अथवा फेरीवालों द्वारा पर्यटकों के साथ हाथापाई या किस प्रकार के दुर्व्यवहार की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन, अरब-इजरायली संघर्ष को लेकर 7 जून को श्रीनगर में में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ विदेशियों और पर्यटकों के साथ हाथापाई हुई। एक विदेशी को, जिसने क्षति-पूर्ति का दावा किया, राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। राज्य सरकार इस ओर बड़ी व्यग्रतापूर्वक ध्यान दे रही है कि पर्यटकों को सुरक्षा, सहायता व प्रोत्साहन प्राप्त हो, और भारत सरकार इस विषय में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

उड़ीसा में छोटी सिंचाई परियोजना

8342. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा को कोई अतिरिक्त राशि नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ; और

(ख) इस कार्य के लिए प्रारम्भ में कितनी राशि नियत की गई थी ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 267.00 लाख रुपये।

संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

8343. श्री हेमराज : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-क्षेत्रवार पर्यटन के विकास की विभिन्न योजनाओं के हेतु वर्ष 1967-68 के लिये विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को कितना कितना ऋण और अनुदान देने का विचार है ;

(ख) क्या भुंतर की हवाई पट्टी को चौड़ी तथा मजबूत करने का विचार है ताकि इसको इस योग्य बनाया जा सके कि यहां से कुल्लू घाटी के लिये सारे वर्ष विमान सेवा चालु रह सके ; और

(ग) यदि हां, इस पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादिव मिनिकोय और अमिनदिव द्वीपसमूह, चण्डीगढ़ दादरा तथा नगर हवेली और नेफा को अनुदान या ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन संघ राज्य क्षेत्रों के बजट केन्द्रीय बजट का ही अंग हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोआ, दमन और दीव तथा पाण्डिचेरी, जिनमें विधान मण्डल हैं पर्यटन जैसी अलग अलग स्कीमों या विकास के क्षेत्रों के लिए कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया जाता। उन्हें, उनके राजस्व प्राक्कलनों के कुल घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान, तथा उनके शुद्ध पूंजी व्यय (वसूली को छोड़कर व्यय) के वहन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

(ख) मुन्तर (कुल्लू) में 12.5 लाख रुपये की लागत से हाल ही में एक सर्व-मौसम धावन-पथ का निर्माण किया गया है। हवाई पट्टी की स्थिति ऐसी है कि इसका आगे विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए हवाई पट्टी को और चौड़ा करने तथा मजबूत बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-श्रीनगर राजपथ

8344. श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्रीमती शकुन्तला नायर :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में जम्मू श्रीनगर राजपथ को सुधारने के लिये कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ख) क्या जम्मू-श्रीनगर राजपथ पर भीड़ भाड़ कम करने के लिये किस्तवार और सिन्थान दर्रे के रास्ते श्रीनगर जाने के लिये, एक वैकल्पिक राजपथ बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और समय पर सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) और (ग) जी हां। चूंकि भदेरवा किश्तवार सिंथन दर्रे और अनन्तनाग होता हुआ चंबा से श्रीनगर तक का प्रस्तावित मार्ग अधिक ऊंचाई पर पड़ता जो वर्ष में लगभग पांच से छै महीनों तक बर्फ से ढ़का रहता इसलिये इस मार्ग पर सड़क का निर्माण उपयोगी नहीं समझा गया।

संघ राज्य क्षेत्रों में सड़कें और पुल

8345. श्री हेमराज : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष, 1967-68 में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को सड़कों और पुलों के निर्माण के

लिये राज्य क्षेत्रवार, कितनी धनराशि के ऋण तथा अनुदान दिया जाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : बिना विधान सभाओं वाले संघ क्षेत्रों (अर्थात दिल्ली, अण्डमन और निकोबार द्वीप, लक्कादिव, मिनिकोय और अमिनदिवि द्वीप, चण्डीगढ़ और दादरा और नगर हवेली) को अनुदान देने का प्रश्न प्रत्यक्षतः नहीं उठता है क्योंकि उनके बजट केन्द्रीय बजट के अंग हैं। जहां तक विधान सभाओं वाले संघ क्षेत्रों (अर्थात मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोआ, दामन और ड्यू और पांडिचेरी) का सम्बन्ध है उन्हें सड़क और पुल जैसी अलग अलग मदों के लिए कोई अनुदान या ऋण नहीं दिये जाते हैं। उन्हें अपने राजस्व अनुमानों के सम्पूर्ण घाटे के लिए सहायता अनुदान और पूंजीगत व्यय (अर्थात व्यय घटाइए वसूलिया) को पूरा करने के लिये ऋण दिये जाते हैं। 1967-68 में ऐसे ऋणों और सहायता अनुदानों के लिए जो सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्रीय बजट में है वह संलग्न विवरण में दी गयी है।

8-8-67 को लोक सभा में श्री हेमराज द्वारा संघ क्षेत्रों के पुलों और सड़कों के बाबत पूछे गए लिखित प्रश्न संख्या 8345 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

संघ क्षेत्र का नाम	1967-68 के बजट अनुदान (रु० लाखों में)	
हिमाचल प्रदेश	2092.00	944.02
मणिपुर	788.49	256.70
त्रिपुरा	1009.06	338.92
पांडिचेरी	200.96	147.53
गोआ, डामन और ड्यू	554.62	553.98

इसके अलावा 1967-68 के केन्द्रीय बजट में कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा बनाई गई कुछ योजना और गैर योजना स्कीमों के लिए अनुदान और ऋण के लिए निम्न व्यवस्था की गई थी :-

अनुदान	65.49 लाख रुपये
ऋण	92.17 लाख रुपये

इस व्यवस्था में से जो कोई राशियां इन संघ क्षेत्रों को दी जायेगी वह अभी तक ज्ञात नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड

8346. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल कितने सामुदायिक विकास खंड (ब्लाक) खोले जा चुके हैं और क्या वे आकार और जन संख्या की दृष्टि से समान है।

(ख) परियोजना सहायता के रूप में वर्ष 1966-67 में कितनी राशि की विशेष सहायता दी गई थी और वर्ष 1967-68 के दौरान कितनी विशेष सहायता दी जाने का विचार है, और यदि हां, तो जिलावार कितने खंडों को यह सहायता दी गयी है अथवा देने का विचार है ; और

(ग) इन खण्डों को जन संख्या की दृष्टि से समान बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) व (ग) हिमाचल प्रदेश में 69 सामुदायिक विकास खण्ड हैं ; साधारणतया खण्ड के आकार अथवा जनसंख्या में, जैसा कि अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में भी है, समानता नहीं हो सकती है ; विशेष स्थानीय परिस्थितियां भौगोलिक, परिस्थितिक तथा अन्य, आवश्यक रूप से कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न करती है ।

(ख) 1967-68 में, सभी खण्डों को इस वर्ष के सामुदायिक विकास आयोजन परिव्यय का अपना-अपना यथानुपात भाग मिलेगा ; किसी विशेष सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है ।

हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई कार्य

8347. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967–68 के लिए हिमाचल प्रदेश को लघु सिंचाई कार्यों के लिए कितनी राशि के ऋण और अनुदान दिये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : योजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश की लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 1967-68 की वार्षिक योजना में 65.00 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया है । प्लान स्कीमों के के लिए हिमाचल प्रदेश को अनुदान के रूप में 100 प्रतिशत तथा नान-प्लान स्कीमों के लिए कुल घाटे के बराबर अनुदान दिया जाता है । पूंजीगत व्यय हेतु 100 प्रतिशत ऋण दिया जाता है । संघ क्षेत्र बजट में लघु सिंचाई (प्लान तथा नान-प्लान) कार्यों के लिए धन की मात्रा 15.24 लाख रुपये है । संघ क्षेत्र प्रशासन को कुल व्यय के लिए अनुदान मिलेगा । इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनाओं के पूंजीगत धन की मात्रा 10 लाख रुपए हैं तथा संघ क्षेत्र प्रशासन को ऐसी योजनाओं के लिए सहायता के रूप में 1000 प्रतिशत ऋण की सहायता मिल सकती है ।

दिल्ली में बस सेवा

8348. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री धोरेन्द्र नाथ देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में परिवहन सेवा का पुनर्विलोकन करने तथा बस सेवा को सुव्यवस्थित करने के बारे में सुझाव देने के लिये दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि बम्बई अथवा मद्रास से अस्थायी रूप से विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराई जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अभी तक दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई औपचारिक सुझाव नहीं मिला है ।

Irrigatian F cilities to Offset Lack of Rains

8349 Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the parts of the countary where there have not been sufficient rains so far from the point of view of agriculture ; and

(b) the special arrangements being made for providing irrigation facilities in the said areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahaib Shinde) : (a) According to information received from the Office of the Director General of Observatories, the rainfall received during the period 1st June 1967 to the 2nd August, 1967 falls short of the normal rainfull during the same period by more than 20% in the following rainfall sub-divisions : North and South Assam, Gangetic West Bengal, orissa, Bihar (Plateau and Plains), Estern Uttar Pradesh, Punjab (including Haryana & Delhi), Jammu & Kashmir, and Western Madhya Pradesh. However, in spite of this, the rainfall in these areas has by and large been adequate for agricultural operations.

(b) Special emph sis continues to be laid on groundwater schemes like wells, boring and deepening of wells, pumpsets, filter point tubewells, etc., which provide quick and assured irrigation. Considering the importance of these schemes, the States have been persuaded to increase the provision for minor irrigation schemes within the State Plan ceilings from about Rs. 90 crores to about Rs. 103 crores during the current financial year. The question of further allotment of funds is under consideration of the Government of India. Concerted efforts are also being made to provide funds for minor irrigation schemes from the co-operative Sector.

चीनी के विशेष कोटे

8351. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के पूर्वार्ध में गुजरात राज्य में चीनी के बड़े उपभोक्ताओं, तथा बिस्कुट और मिठाई उत्पादकों तथा शिशुआहार उत्पादकों को जिनके उत्पाद सारे देश में प्रयोग किये जाते हैं, केन्द्रीय सरकार ने चीनी का कुल कितना कोटा नियत किया था ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य ने अपने स्टाक में से उन्हें कितना कोटा दिया ;

(ग) उक्त अवधि में उनकी चीनी की कुल मांग कितनी थी ,

(घ) उनकी कितनी मांग पूरी नहीं की गई ; और

(ङ) 1967 के पूर्वार्ध देश के अन्य भागों में ऐसे कारखानों की चीनी की मांग (1) केन्द्र और (2) राज्य सरकार द्वारा पूरी की गई और (3) कितनी मांग पूरी नहीं हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1967 के पूर्वाध में गुजरात में बिस्कुट और मिठाई उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल 66 टन चीनी आवंटित की गई थी। शिशु आहार उत्पदकों को कोई चीनी आवंटित नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) 1967 के पूर्वाध में अन्य राज्यों के बिस्कुट और मिठाई उत्पादकों तथा शिशु-आहार और संघनित दूध उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल 16,588.1 टन चीनी दी गई थी।

Construction of Roads in the Jute Growing Areas in Bihar

8352. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Food and Ariculture** be pleased to state :

(a) whether certain amount is realised from the jute growers for the development of their respective areas, particularly for the construction of roads ;

(b) if so, the amount so realised annually ;

(c) the nature of development work undertaken in the said areas, place-wise, with the amount collected so far :

(d) whether it is a fact that the road construction work could not be executed with the amount to the desirable extent in Sharsa and Purnea are[illegible] Bihar in which maximum jute is grown ; and

(e) if so, whether Government propose to take immediate steps for the development of the said backward border area, and if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agri., Community Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) **:** The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha as soon as possible.

दिल्ली के रेस्तरा में खाद्य पदार्थों के मूल्य

8354. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के रेस्तरां खाद्य पदार्थों, पेयों और भोजन की दरें बहुत अधिक हैं ;

(ख) क्या रेस्तरां में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण रखा जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो नई दिल्ली के रेस्तरां में मूल्यों को बढ़ने न देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) नई दिल्ली के रेस्तरां में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है। रेस्तरां के दर भिन्न भिन्न है जो उपलब्ध सुविधाओं, स्थिति और खाद्य की किस्म तथा सेवा पर निर्भर करते हैं।

(ग) इस मामले पर विवेचन करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न रेस्तरां की एक सभा बुलाई जा रही है।

आसाम को पाइपों की सप्लाई

8355. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1952 में केन्द्रीय सरकार ने आसाम राज्य की सरकार को कई लाख फुट कृषि पाइप दिये थे ;

(ख) क्या ये पाइप आसाम राज्य सरकार को उपहार स्वरूप दिये गये थे अथवा उसे बेचे गये थे और यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पाइपों के इस गोलमाल की जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काजू का उत्पादन

8356. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काजू का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में मार्गों पाय का सुझाव देने के लिये एक तदर्थ समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या काजू के उत्पादन के लिये भूमि और जलवायु की उपयुक्तता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(घ) कुल कितने एकड़ भूमि में काजू की खेती की जाती है ; और

(ड़) काजू के उत्पदन के लिए कितने एकड़ भूमि बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फरवरी, 1964 में बोर्ड आफ ट्रेड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार डा० पी० एस० लोकानाथन की अध्यक्षता में काजू निर्यात तथा काजू उत्पादन के प्रश्न पर विचार करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा एक स्टडी ग्रुप आन कैश्यू स्थापित किया गया ।

(ख) ग्रुप की सिफारशें निम्नलिखित हैं :-

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत को 3,28,000 टोन्स कच्चे नट्स का उत्पादन करना चाहिए ताकि प्रक्रिया तथा निर्यात के लिए 1,78,000 टोन्स देशी कच्चे नट्स उपलब्ध हो सके ।

(2) अधिक महाराष्ट्र, मैसूर तथा उड़ीसा के कार्यों पर निर्भर करता है जिन्होंने चौथी योजना के दौरान काजू की खेती के कार्यक्रम बनाए हुए है । यह सुझाव दिया गया था कि खाद्य तथा कृषि और वाणिज्य मन्त्रालयों की ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमिटी इन राज्यों में काजू की खेती की प्रगति को देखे और समय समय पर कार्यक्रमों पर विचार करे ।

(3) कम से कम शुरु की अवस्था में सरकार को किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे अधिक से अधिक भूमि में काजू पैदा कर सकें ।

(4) चूंकि वर्तमान वित्तीय सहायता जो काजू उत्पादकों को दी जा रही है कम है, यह सुझाव दिया गया कि ऐसे किसानों को 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अग्रिम धन दिया जाना चाहिए जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान और शेष 75 प्रतिशत ऋण के रूप में समझा जाए । ऐसे ऋणों पर 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लिया जाए । ऋणों की अदायगी 8 वार्षिक किश्तों से होना चाहिए ।

(5) काजू उत्पादकों को सहायता के रूप में देने के लिए मुफ्त वितरण के लिए एक विशेष मिश्रण तैयार किया जाना चाहिए । इस मिश्रण के तैयार करने में जो लागत लगती है उसको केन्द्र तथा राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती है ।

(6) चौथी योजना के दौरान 9,38,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में काजू की खेती की जानी है अतः 19.38 करोड़ रुपये की चौथी योजना में व्यवस्था करनी होगी ताकि काजू के अनुसन्धान तथा विकास पर खर्च किया जा सके और काजू उत्पादकों को अनुदान तथा ऋण भी दिये जा सके ।

(ग) चौथी योजनावधि में इस समय कितनी भूमि पर काजू की खेती हो रही है और कितनी भूमि पर खेती की जाएगी इस विषय में स्टडी ग्रुप ने विभिन्न राज्य सरकारों ने जान-

कारी इकट्ठी की थी। यद्यपि स्टडी ग्रुप के सदस्यों ने सम्बन्धित राज्यों का दौरा किया तथापि उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा दिये गए आंकड़ों पर मुख्यतया निर्भर किया।

(घ) 1963-64 में 191,645 हैक्टेयर्स (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)

(ङ) स्टडी ग्रुप ने सिफारिश की कि चौथी योजनावधि में 9,38,000 एकड़ क्षेत्र में नई खेती की जानी चाहिए। इस पर काजू विकास परिषद ने विचार किया और सिफारिश की कि वन में और गैर वन में 6,00,000 एकड़ क्षेत्र में खेती होनी चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का यात्रियों के जल-पान पर व्यय

8357. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली गौहाटीमार्ग पर यात्रियों के जल-पान पर कितना व्यय करती है ; और

(ख) इस मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय की तुलना में यह व्यय कितने प्रतिशत है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कारपोरेशन खानों के व्यय का उड़ान वार लेखा नहीं रखता। खानों का प्रति यात्री औसत व्यय 3.66 रुपये है तथा यह व्यय यात्रियों को दी जाने वाले कुल व्यय का 46.5% है।

आसाम को खाद्यान्न की सप्लाई

8358. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आसाम के लिये नियत गेहूं का कोटा निश्चित समय पर नहीं भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आसाम को शीघ्र खाद्यान्न भेजने के मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जून, 1967 से पहले कलकत्ता और अन्य बन्दरगाहों पर आयातित गेहूं की अनुपयुक्त उपलब्धि के कारण आसाम के लिए नियत गेहूँ का कोटा निश्चित समय पर नहीं भेजा गया। मगर जून और जुलाई के महीनों के दौरान आसाम को अनाज भेजने में तेजी की गई और आसाम के निर्धारित समय में गेहूँ भेजी गई। अनाज भेजने की यह गति वर्तमान महीने में भी जारी रहेगी।

रेस्तरां और होटलों का वर्गीकरण

8359. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री एस्थोस :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होटलों और रेस्तरां का कोई वर्गीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस वर्गीकरण के आधार पर कोई मूल्य सूचियां निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये मूल्य-सूचियां निर्धारित करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विदेशी पर्यटकों की खान-पान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उपयुक्त समझे गये रेस्टोरेन्ट और भोजन-गृह सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। ऐसी संस्थापनों के वर्गीकरण की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान की मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ डा० धर्म तेजा के व्यापारिक सम्बन्ध

8360. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री एस्थोस :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की एक जहाज बनाने वाली फर्म मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ने डा० धर्म तेजा को जाली और बिना तिथि वाले वाउचर दिये थे जिनसे उसे भारत सरकार को धोखा देने में सहायता मिली ;

(ख) क्या ऐसे दस्तावेज या उनके फोटो कापियां सरकार के पास हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस जापानी फर्म के बारे में सब मन्त्रालयों और विभागों को सचेत कर दिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है और न्यूयर्क के न्यायालय में डा० तेजा के विरुद्ध चल रही

दीवानी कार्यवाही पर इसके कुछ पहलूओं का प्रभाव पड़ सकता हैं। दीवानी मुकदमा पूरा हो जाने के बाद ही उपर्युक्त मामले के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा और जयन्ती शिपिंग कम्पनी के लेखे की जब से यह कम्पनी बनी थी, जो विस्तृत पड़ताल की जा रही थी वह पूरी हो चुकी है। इसके पश्चात्, इन परिस्थितियों में जो अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक होगी उस पर विचार किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में चावल का समाहार

8361. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने चावल का समाहार किया किया गया और राज्य वित्त निगम के धान उत्पादकों को प्रति क्विंटल किस दर पर भुगतान किया है ; और

(ख) समाहार किये गये चावल को किस किस राज्य को भेजा गया है और राज्य की आयात स्थिति का सामना करने के लिए चावल की कितनी मात्रा सुरक्षित रखी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 1966-67 में चावल और धान का समाहार भारत का खाद्य निगम कर रहा है। 3 अगस्त तक उन्होंने 5,33,886 मीटरी टन चावल और धान का समाहार किया था इसके अतिरिक्त 31,609 मीटरी टन धान बीज का भी समाहार किया गया था। धान और चावल के लिए कानूनी तौर पर तय की गई कीमतों के आधार पर अदायगी की जाती है।

(ख) 3,36,361 मीटरी टन चावल और धान केरल, मैसूर, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और मद्रास को तथा प्रतिरक्षा के लिए दिया गया हैं। समस्त धान बीज बिहार को भेज दिया गया है। 1,97,525 मीटरी टन राज्य के रिज़र्व में रख लिया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन

8362. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों पर पर्यटन की अधिक सुविधायें बनाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है; और

(ख) राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मद्रास में ऐसी सुविधाओं का व्यवस्था करने के लिये कितना धन व्यय किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) देश में पर्यटन सुविधाओं के लिए चौथी योजना में 25 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है ।

(ख) राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मद्रास में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए चौथी योजना में क्रमशः 58 लाख रुपये, 49.50 लाख रुपये और 73.50 लाख रुपये की राशियां नियत की गयी है ।

1966–67 में आंध्र प्रदेश और मद्रास का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक

8363. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1966–67 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के पर्यटन-स्थलों में गए; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या के आंकड़ें संकलित करता है । प्रत्येक राज्य को आने वाले पर्यटकों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते । इसलिए 1966–67 में आंध्र प्रदेश और मद्रास में दर्शनीय स्थानों को देखने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु 1962 में, उत्तरी अमरीका, पश्चिमी यूरोप, आस्ट्रेलिया और जापान से आने वाले विदेशी पर्यटकों का राज्य वार प्रतीक सर्वेक्षण (सैम्पल सर्वे) किया गया था और यह पता चला था कि उस वर्ष के दौरान इन देशों से भारत आने वाले कुल यात्रियों में से 2.3% आन्ध्र प्रदेश गये तथा 20% मद्रास गये ।

Development of Rajasthan Desert

8364. **Shri Onkar lal Bohara** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government contemplate to draw a plan to develop the vast desert area Rajasthan contiguous to the South-West Pakistan border and convert it into granary; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Yes. The Rajasthan Canal Project which is being implemented to develop the desert area in Rajasthan and convert it into a granary is estimated to cost Rs. 184 crores and will have a gross-command area of 50 lakh acres. The stage I of the Project to be completed by 1970-71 envisages completion of Rajasthan Feeder Canal, main canal upto 122 miles and the distribution system under it. A sum of Rs. 10 crores has been provided in the IV Plan for integrated development of the area. The second stage to be completed by 1977 envisages construction beyond 122 miles to its completion stage and the distribution system under it.

Maharashtra's Demand For Imported Foodgrains

8365. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the monthly demand of the Maharashtra State for imported foodgrains;

(b) whether the Maharashtra Govrenment have requested that the present quota of imported foodgrains be raised; and

(c) if so, the action taken to meet their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No. regular monthly demands specifically for imported grains have been received from Maharashtra Govt. For the calendar year 1967, 17 to 18 lakhs tonnes foodgrains were asked for. Again, for the period May to September, 1967, 1.45 to 1.50 lakh tonnes per month have been asked for.

(b) Yes, Sir.

(c) Supplies of foodgrains are being made to Maharashtra to the maximum extent possible within the limited availability keeping in view the relative needs of other States.

राजस्थान में विदेशी पर्यटक

8366. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष कितने विदेशी पर्यटक राजस्थान में पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों का दौरा करते हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में राजस्थान का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1962 में प्रत्येक राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या का एक प्रतीक-सर्वेक्षण (सेम्पल सर्वे) किया गया था। यह सर्वेक्षण केवल उत्तरी अमरीका, पश्चिमी यूरोप, आस्ट्रेलिया और जापान से आने वाले पर्यटकों तक सीमित रखा गया था। तब यह अन्दाजा लगाया गया था कि इन देशों से आने वाले पर्यटकों में से 16.2% राजस्थान गये। इनमें से भी 93% ने जयपुर का भ्रमण किया तथा 5% ने उदयपुर का। इसके बाद के वर्षों में इस प्रकार का कोई आंकने का कार्य नहीं किया गया।

(ख) सिवाय भारत-पाक संघर्ष की अवधि के दौरान यह मानने का कोई कारण नहीं है कि स्थिति में कोई इस प्रकार का ह्रास हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जापान से यूरिया उर्वरक का आयात

8367. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जापान से भारत को यूरिया उर्वरक खरीदने के लिए 70 लाख येन का ऋण देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी, हां। जापान ने 7 मिलियन डालर का येन का ऋण देने की पेशकश की है।

(ख) ऋण 15 वर्षों की अवधि में अदा किया जाना है जिनमें 5 वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है और इस पर 5.75 प्रतिशत वार्षिक सूद है। ऋण की अन्तिम तारीख 31–3–1969 होगी। यह ऋण खाद्य सहायता का एक भाग है और जापान के बने यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए है।

आटोमोबाइल एसोसियेशन आफ अपर इंडिया

8368. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार आटोमोबाइल ऐसोसियेशन आफ अपर इंडिया को क्या संरक्षण प्रदान करती है; और

(ख) क्या सरकार इसके कार्यों वित्त आदि पर किसी रूप से कोई नियंत्रण रखती है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस देने, दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कर उठाहने तथा अपने सदस्यों को टैक्स टोकन देने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा संस्था को मान्यता दी गई है;

(ख) ड्राइविंग परीक्षा लेने तथा ड्राइविंग लाइसेंसों के देने के लिए मोटर कर तथा शुल्क उगाहने के बारे में इस संस्था के लेखे की दिल्ली प्रशासन द्वारा परीक्षा की जाती है।

Construction of Roads in Jute Growing Areas of Bihar

8368.A **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the grant given by Government annually to the jute-growing areas in Bihar for the construction of roads;

(b) the mileage of roads constructed so far with the said grant in the jute-growing areas of Purnea and Saharsa districts of Bihar;

(c) whether it is a fact that the said grant was misused on a large scale; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha as soon as possible.

आसाम में फल परिरक्षण कारखाने

8368.ख. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में फलपरिरक्षण कारखानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की कितनी क्षमता है;

(ख) क्या उनमें से किसी कारखाने को सरकारी सहायता मिली है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए आसाम में इस उद्योग का विकास करने की क्या सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1371/67]

(ख) जी हां, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता मिल रही है।

(ग) शिल्चर में अनन्नास तथा संतरे से बनी चीजों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए मैसर्स आसाम फ्रूट प्रोडक्ट्स लि० को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। स्थापित करने पर यह कारखाना विदेशों को इन चीजों का निर्यात कर सकेगा।

Payment of Commission by Ships belonging to Socialist Countries

8368.C Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ships belonging to the Socialist Countries do not observe fully the practice regarding the payment of commission to the agents for the goods loaded on the ships;

(b) if so, whether Indian trade with the said countries is affected as a result thereof;

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Transport & Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No such instance has come to notice so far.

(b) and (c) Do not arise.

World Bank Assistance for Madhya Pradesh

8368.D **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have urged upon the Central Government to obtain some financial asistance from the World Bank for the State for afforestation, expansion and conservation of forests; and

(b) if so, the progress made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. There is no proposal from the Government of Madhya Pradesh for obtaining financial assistance from World Bank for Forestry development. A considerable portion of Madhya Pradesh forests is however covered by a UN Special Fund project of Pre-investment Survey which is currently in operation.

(b) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"सिंगापुर से भारतीय राष्ट्रजनों के देश निकाले का समाचार"

Shri Yashpal Singh : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent public importance and request that they make a statement thereon:

"Reported deportation of Indian national from Singapore."

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : ब्रिटेन द्वारा सिंगापुर के अड्डे से अपने सैनिक हटा लेने का फैसला कर लेने पर इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि इसके परिणामस्वरूप जो छटनी होगी उसका सिंगापुर में रहने वाले बहुत से भारतीयों पर बुरा असर पड़ेगा । अखबारों में कुछ ऐसी भी खबरें छपी हैं जिनसे आमतौर से यह भावना पैदा हुई है कि सिंगापुर में भारतीयों को भेदभावपूर्ण बर्ताव के लिए अलग कर दिया गया है ।

मैं इस बारे में सदन को सही स्थिति से अवगत करना चाहूंगा । इस समय कोई 29,000 व्यक्ति सिंगापुर के इस अड्डे में काम कर रहे हैं जिनमें कोई 6,000 भारतीय राष्ट्रिक हैं, सिंगापुर अधिकारियों के अनुसार अगले वर्ष की छटनी का 2,500 लोगों पर असर होगा और 1970 तक हो सकता है कोई 15,000 बेरोजगार हो जाएं ।

सिंगापुर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके अपने नागरिकों के प्रति होगी जिनमें उनके भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल हैं । लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनके पास वैकल्पिक रोजगार संभव हुआ तो गैर-सिंगापुरी नागरिकों को भी काम के परमिट दे देंगे । उन्होंने यह भी कहा है कि ये गैर-सिंगापुरी नागरिक अगर चाहें तो सिंगापुर में रह भी सकते हैं । सिंगापुर गैर-नागरिकों को अथवा इस सम्बन्ध में खासकर भारतीयों को जबरदस्ती वापस नहीं भेजना चाहता ।

अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपी हैं जिनसे पता चलता है कि हो सकता है सिंगापुर की सरकार भारतीय मूल के ऐसे सिंगापुरी राष्ट्रिकों के परिवारों को सिंगापुर में वापस न आने देकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दें जो कि काफी समय से सिंगापुर से बाहर रहे हों। सच्चाई यह है कि 1966 के आप्रवास आदेश (प्रवेश निषेध) से सिंगापुर सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर सिंगापुर के किसी नागरिक की पत्नी बराबर पांच साल तक अपने पति से अलग रही हो, तो वह (सिंगापुर सरकार) उसे सिंगापुर में न आने दे। यह अध्यादेश सिंगापुर के नागरिकों के परिवारों पर लागू होता है चाहे वे किसी भी मूल के क्यों न हों। इसलिए इस मामले पर हाल ही में जो घोषणा की गई है वह किसी नई नीति का निर्णय प्रतीत नहीं होती, और न ही इसे सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति भेद समझा जा सकता है, क्योंकि यह तो सिंगापुर के सभी नागरिकों पर लागू होता है।

अखबारों में ऐसी खबरें भी छपी है जिनका अभिप्राय यह लगता है कि सिंगापुर के भारतीय मूल के नागरिकों को लालच दिया जा रहा है कि वे अपनी नागरिकता छोड़ दें और भारत वापस लौट जाएं। 23 जुलाई को सिंगापुर के एक नेता ने अपने भाषण में सिंगापुर के उन नागरिकों को जो आजकल बेरोजगार हैं, यह सलाह दी है कि वे इस मोके का लाभ उठाएं और अपने परिवारों में फिर से जा मिलें। उन्होंने यह भी कहा है कि सिंगापुर सरकार अपनी ग्रेचुइटी और प्रोविडेन्ट फण्ड दिलाने में भी सहायता करेगी, चाहे वे अभी 55 वर्ष के न भी हुए हों तो भी, बशर्ते कि वे "देश छोड़कर चले जाएं और कभी वापस आने की न सोचें"। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति सिंगापुर में ही रहना चाहता हो तो, सरकार "बिना किसी भेदभाव के उसकी देखभाल करेगी"। सिंगापुर सरकार ने हमें यह आश्वासन भी दिलाया है कि इस बात में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि ये सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू किए जाने के लिए ही हैं।

सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों के भविष्य के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है उसे देखते हुए, इस मामले को सिंगापुर सरकार के साथ और दिल्ली में सिंगापुर के हाई कमीशन के साथ उठाया गया था। सिंगापुर की सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि भारतीय मूल के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव बरतने की उनकी हरीगज कोई मंशा नहीं है। सिंगापुर के प्रधान मंत्री, श्री ली कुआन यी ने स्वयं भी इस बारे में आश्वासन दिलाया है। हमने सिंगापुर सरकार के आश्वासनों को स्वीकार किया है और हम समझते हैं कि इन आश्वासनों के भाव और भाषा पर अमल किया जाएगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम इस बात का सुनिश्चय करने में उनके साथ सहयोग करते रहेंगे कि सिंगापुर के भारतीय अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग रहें।

हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय मूल का कोई भी सिंगापुर नागरिक सिंगापुर की नागरिकता छोड़ने मात्र से ही भारतीय राष्ट्रिकता का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसे लोग राष्ट्रिकताहीन हो जायेंगे और भारतीय नागरिकता पाने से पहले उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

हमारी तरह सिंगापुर भी बहु-जातीय, बहु-भाषीय और मजहब-निरपेक्ष समाज के सिद्धांत में आस्था रखता है, और भारत में रहते हुए हमने यह देखा है कि वर्तमान नेतृत्व में सिंगापुर की सरकार किस सक्रियता और दूरदर्शिता से देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती रही है। हमें पूरा विश्वास है कि वे इन नीतियों पर बराबर चलते रहेंगे जो कि हमारे दोनों देशों की मित्रता गाढ़ी करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। साथ ही मैं सभा से यह अपील करूंगा कि क्योंकि इस समय हम सिंगापुर सरकार के साथ इस समस्या पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी माननीय सदस्य ऐसी बात न कहें जिससे यह भावना बरतती हो कि हम सिंगापुर के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : The Labour Minister of Singapura has clearly stated that no Indian can bring in his family into Singapore even throgh he were a citizen of Singapur. We on the other hand are talking of friendship and all that.

श्री मु० क० चागला : मेरी अपील के बावजूद मेरे माननीय मित्र वही बातें कह रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : This should be expunged.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस सभा की कार्यवाही से निकाला जाय।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अध्यक्ष को किसी भी नियम के अन्तर्गत कोई बात सभा की कार्यवाही से निकालने का अधिकार नहीं है। सदस्यों को ही सावधानी बर्तनी होगी।

Shri Rabi Ray : Indians, wherever, they were living, be it in Aden, Indonesia, Nairobi etc., are being expelled from those countries after the Chinese aggression of 1962. May I know where any study has been made as to the causes of such developments in this regard and if so, the results thereof and if not, when such a study is proposed to be undertaken ?

श्री मु० क० चागला : मैं स्वयं सिंगापुर गया था और मैं वहां कुछ लोगों से भी मिला था। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि वे वहां खुश हैं और फल फूल रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi : I want to know as to what assistance Government would render in cases where Indians domiciled in those countries e.g. Singapur, want to bring their families in those countries ?

श्री मु० क० चागला : आमतौर पर ऐसे लोग सेवा निवृत्त होने तक वहीं रहते हैं और बाद में भारत लौटकर अपने परिवारों से आ मिलते हैं। परन्तु यदि वे अपने परिवारों को वहां से ले जाना चाहे तो यह सिंगापुर या उस देश के कानून के मुताबिक ही हो सकता है। हमें विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ अन्य एशियायी मूलक लोगों की अपेक्षा भेदभाव नही बर्ता जायेगा।

Shri O. P. Tyagi : Sir, this is another way of out-standing them..

सदस्यों की सूचनाएं निपटाने के बारे में
RE : DISPOSAL OF NOTICES FOR MEMBERS

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Dr. Ram Mahohar Lohia (Kannauj) : Sir, I beg to raise a point of order under Direction 115.

श्री नाथ पाई : नियम 225 के अनुसार कार्य-सूची में दर्ज किसी कार्य को निपटाने से पूर्व आपको हमारे द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं पर निर्णय देना होगा ।

अध्यक्ष महोदय क्या सभा में ही ऐसा करना अनिवार्य है ।

श्री नाथपाई : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रतिदिन 30 से चालीस सूचनायें प्राप्त होती हैं उन पर निर्णय लेने में विलम्ब हो सकता है और जब तक उस पर कोई निर्णय न लिया जाये और उसकी सूचना उन्हें न मिल जाये उन्हें वह मामला सभा में नहीं उठाना चाहिये । उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि उनकी सूचना का क्या हुआ परन्तु सीधे उसे सभा में उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई : कल मैंने अपने विशेषाधिकार के बारे में पूछा था और बताया गया कि वह आपके पास पड़ा है । आज 11–30 बजे मुझे बताया गया कि श्री चागला के विरुद्ध अवमान का मेरा प्रस्ताव आपके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है । मैं अपनी अन्य सूचनाओं के बारे में पता लगा रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे प्रस्ताव को अनुमति दी गई है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी सूचनाओं पर निर्णय के बारे में सूचना चाहते हैं तो मुझे आपका सुझाव मंजूर है । सचिवालय द्वारा सूचना भिजवाने में विलम्ब हो सकता है । फिर भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि सदस्यों को सूचित किया जाये ।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौवहन विकास विधि समिति का प्रतिवेदन और डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के संबंध में 25 जुलाई, 1967 को दी गई जानकारी में शुद्धि करने वाला विवरण

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी के० आर वी ० राव) :श्रीमान् , मैं निम्न लिखीत पत्रों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 16 की उप धारा (5) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1965–66 में प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यार्वतन सम्बन्धी वक्तव्य पर चर्चा के दौरान परिवहन तथा नौवहन मंत्री द्वारा 25 जुलाई, 1967 को सभा में दी गई कुछ जानकारी में शुद्धि करने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1347/67**]

वर्ष 1966 के लिए भारत की प्रेस परिषद का प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती नंदिनी सतपति) : श्रीमन्, मैं श्री के० के० शाह की ओर से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत वर्ष 1966 (नवम्बर-दिसम्बर) के लिए भारत की प्रेस परिषद के प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल ० टी० 1348/67**]

1965-66 के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त का प्रतिवेदन, विमान निगम नियम के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत पत्र इत्यादि

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : मैं श्रीमन्, डा० कर्ण सिंह की ओर से निम्न पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

रेलवे निरीक्षणालय के कार्य-चालन के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के वर्ष

(1) रेलवे निरीक्षणालय के कार्य चालन के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन की प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1349/67**]

(2) विमान निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक :—

(एक) एयर इंडिया की पून्जी अन्तर्गत वर्ष 1967–68 की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(दो) एयर इन्डिया के वर्ष 1965–66 के वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष 1966-67 के बजट अनुमान तथा सशोधित अनुमान तथा पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1967–68 के बजट का अनुमान। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1350/67**]

(तीन) वर्ष 1967–68 के लिये इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की आय तथा व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(चार) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष 1965–66 के वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष 1966-67 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान तथा पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 के बजट का अनुमान। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या 1350/67**]

इडिक्की पन बिजली परियोजना के बारे में विवरण

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : श्रीमन् मैं केरल में इडिक्की पन बिजली परियोजना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गई। देखिये संख्या एल० टी 1351/67]**

वर्ष 1965-66 के लिए भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : श्रीमान् मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1352/67]**

(2) भारतीय लाख उपकर-समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1353/67]**

(3) 1 अप्रैल, से 1965 से 30 सितम्बर, 1965 की अवधि तक के लिए भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० 1354/67]**

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 25 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० नं० 1166 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1167 जो दिनांक 26 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1353/67]**।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमान् मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 1 जून, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 3 (39)/66-67 ट्रान्सपोर्ट में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 जून, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 3 (10)/65-66 ट्रान्सपोर्ट में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विववरण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1356/67]**

कार्य-मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अवैधानिक गति विधियां (रोकना) विधेयक हटाया नहीं गया इसका खेद है । अब जबकि सत्रावसान होने जा रहा है इस विवाद पूर्ण कानून का लाया जाना उचित नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समय इसे वापिस ले लिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इसका समर्थन करता हूं

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I also Support Shri Masani. This Bill Should not be brought during the current Session.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम सब इस मांग का समर्थन करते हैं ।

श्री डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : हम भी इसका समर्थन करते हैं ।

डा० राम सुभगसिंह : इस समय यह बात मानना संभव नहीं है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : श्रीमन्, मैं खराब टायरों की खरीद के बारे में लोक लेखा समिति के 64 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had raised the question of Officer Commanding, Malad and I was assured that it would be loked into.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस बारे में लिख कर दे ।

पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ द्वारा बड़े पत्तनों पर हड़ताल की धमकी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: THREATENED STRIKE BY ALL INDIA PORT AND DOCK WORKERS FEDERATION AT MAJOR PORTS.

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा वी० के० आर० वी० राव) : यह एक लम्बा विवरण है, इसलिये मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 1357/67]**

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैंने परिवहन तथा जहाजरानी मन्त्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य को पढ़ा । कृपया आप वक्तव्य का दूसरा पेरा पढ़ें । मैं इसे ध्यान पूर्वक पढ़ चुका हूं । सरकार द्वारा अपनी असफलता की स्वीकृति के कारण ही मेरे स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न उठता है । प्रत्यक्ष स्थगन प्रस्ताव ले लिया जाना चाहिये । यह उस पत्र के बारे में है जो अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने 5 जून को सरकार के पास भेजा था । अब यह सात हफ्ते से भी अधिक समय से भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है । अब यदि सरकार पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ की उचित मांगों को नहीं मानेगी और उनके साथ बातचीत नहीं करेगी तो वे हड़ताल करने को बाध्य होंगे । सरकार ने स्थिति को इतना क्यों बिगड़ने दिया ? अतः कृपया मुझे स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस वक्तव्य के बाद भी 10 ता० को हड़ताल आरम्भ हो रही है । अब अधिक समय नहीं रहा । सरकार की असफलता स्पष्ट है । अतः स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी जाये ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय आश्वासनों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें ।

विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) विधेयक के बारे में

RE : UNLAWFUL ACTIVITIES (PRVENTION) BILL

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस विधेयक के लिये केवल 5 घण्टे का ही समय नियत किया गये जब कि विभन्न सदस्यों द्वारा 235 संशोधनों का सुझाव दिया गया है । अतः इसके लिये और अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. MOTION FOR ADJORNMENT

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) श्री नाथपाई तथा अन्य सदस्यों की बातें सुनने के बाद मेरी समझ में आपके लिये सबसे अच्छा मार्ग यही है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह आप मुझ पर छोड़ दें।

1965-66 के लिये भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में
RE. ANNUAL REPORT OF THE INDIAN CENTRAL OILSEEDS COMMITTEE, FOR 1965-66

श्री रंगा : (श्री काकुलम) सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में कार्य सूची की मद 8 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ये प्रतिवेदन बहुत पहले रख लिये जाने चाहिये थे :-

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

सार्वजनिक वक्फ सीमा का विस्तारण संशोधन विधेयक
PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) AMENDMENT BILL

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सार्वजनिक वक्फ सीमा का विस्तारण अधिनियम 1959 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि सार्वजनिक सीमा का विस्तारण अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव-जारी

MOTION RE. FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The scheduled caste people continue to remain exploited and uncared for even after 20 years of independence. Sub-human treatment is meted out to them. There status in society is still very low. They have no lands, no shops and no vocations, Untouchability is practised as before, socialism will have no meaning if the lot of 15 crores of Harijans continue to remain so much deplorable.

A Parliamentary Committee should be appointed to report to the Government no how to improve the condition of scheduled castes and Tribes.

The scholarships provided for Harijan students should be given in time. A separate Ministry should be set up at the Centre for the scheduled castes and Tribes. Only then, their conditions would improve.

There was discrimination against the Harijans in recruitment. That is the reason why even the reserved posts are not filled up. There should be scheduled caste Members in the Union and State Public Service Commissions, who alone can do Justice to them.

The allocation of funds in the Five Year Plans for the welfare of schedaled castes and Tribes should be in accordance with their population.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteenth of the clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

संसद-कार्य तथा संचार विभाग (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि सदस्यों को 3 बजे अपराह्न तक बोलने दिया जाये । उसके बाद योजना मन्त्री उत्तर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सुझाव आया है कि वाद-विवाद 3 बजे तक जारी रहे और मैं माननीय मन्त्री से 3 बजे उत्तर देने का अनुरोध करता हूं । समय और ज्यादा बढ़ाने के लिये न कहा जाये ।

श्री एस० कंडप्पन : बढ़ाये गये समय में विपक्षी सदस्यों को भी मौका दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मौका देने की कोशिश करेंगे ।

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : यह बड़े हर्ष की बात है कि इस विभाग का कार्य-भार श्री अशोक मेहता के पास है जो समाज कल्याण में रुचि रखते हैं और पिछड़े वर्गों की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं से जनजाति के लोगों के विकास में सहायता मिली है लेकिन योजनाओं में एकीकरण और प्रभावशाली क्रियान्विति के अभाव के कारण जन-जाति की आर्थिक अवस्था खर्च की गई धन-राशि के अनुरूप नहीं है । पंचायती राज शुरू होने के बाद आदिम जाति कार्यक्रमों सहित सभी विकास योजनाओं की क्रियान्विति जिलों में पंचायती राज निकायों के माध्यम से की जाती है । इससे भी सरकारी और गैर-सरकारी सम्बन्ध, योजना के स्थल, धनराशि का नियतन, क्रियान्विति समस्यायें खड़ी हो गई हैं ।

संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लिखित है कि राज्य की गरीब जनता के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा । लेकिन बहुप्रयोजनी जनजाति विकास खण्डों के रूप में सरकार ने चहुंमुखी विकास कार्यक्रम बनाये थे । 480 जनजाति विकास खण्ड बनाने की कल्पना पहले सरकार ने की थी । लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 417 को पूरा किया गया । 25,000 की जनसंख्या के लिये 150 से 200 वर्ग मील क्षेत्र निर्धारित किया गया है । दूसरे शब्दों में केवल 66 प्रतिशत जनजाति के लोगों के लिये विकास खण्ड बनाये गये हैं । जो लोग इन विकास-खण्डों के अन्तर्गत नहीं, वे अब भी अविकसित अवस्था में हैं ।

चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय योजना के लिये सोचा है जिससे जनजाति विकास खन्डों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना होगा । लेकिन जो धनराशि आदिमजाति विकास खण्डों पर खर्च की जाती है वह वस्तुतः आदिम जाति के लोगों के सुधार के लिये खर्च नहीं की जाती है । तीसरी योजना में कुल 1761 लाख रुपये आदिमजाति खण्डों के लिए नियत किये गये लेकिन पहले चार वर्षों में केवल 743 लाख रुपये खर्च किये गये और पांचवें वर्ष के अन्त में 1017 लाख रुपये खर्च किये गये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि योजनाओं के लिये निर्धारित विधियां कार्यक्रम के अनुसार खर्च नहीं की गई जिसका परिणाम यह हुआ कि जन-जाति क्षेत्रों को जितना लाभ होना चाहिये था उससे बहुत कम हुआ है ।

मेरी धारणा यह है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं की देखभाल करने के लिए गैर-सरकारी अभिकरण नहीं होगा तो केवल सरकारी अभिकरण से काम नहीं चलेगा क्योंकि 17 वर्षों में हमने देखा हैं कि योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया । इसलिए सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये केन्द्र राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं की जांच के लिये और सरकार को सुझाव और सलाह देने और उसका पथ प्रदर्शन करने के लिये एक संसदीय समिति की स्थापना की जानी चाहिये ।

संविधान के अनुच्छेद 344 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष अधिकार दिये गये हैं। इन आरक्षणों को 1970 के अन्त तक बढ़ाया जाये।

पिछड़े वर्गों की स्थिति के सुधार तथा कल्याण के लिये और धनराशि दी जानी चाहिये। समाज कल्याण विभाग को जन-जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये अधिक धन की मांग करनी चाहिये। राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं।

जन-जाति के लोगों की आर्थिक व्यवस्था कृषि और वन पर आधारित है। प्राचीन वन नीति के अन्तर्गत परमिट, लाइसेन्स और अनुमति देने के सम्बन्ध में जनजाति के लोगों के कुछ विशेषाधिकार होते थे। नई नीति के अन्तर्गत वे अधिकार वापिस ले लिये गये और केवल कुछ रियायतें रहने दी गई। इसलिए जनजाति के लोगों के लिये जो रियायतें थीं और उनके जो अधिकार थे, वे उन्हें वापिस दिये जाने चाहिये उनके मकानों के लिये बिना मूल्य के लकड़ी उठाने के अधिकार जो वापस ले लिये गये थे, वे उन लोगों को वापिस दिये जाने चाहियें।

राष्ट्रीय परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये भूमि अर्जित कर लेने के कारण जनजाति के लोगों के हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं और उनमें से बहुत से लोग अभी तक पुनः नहीं बसाये गये हैं। केन्द्रीय सरकार को इन लोगों के पुनर्वास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। पुनर्वास योजनाओं को परियोजना का अंग बनाया जाये और इसके लिए उचित वित्तीय व्यवस्था की जाये।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : The Government should take action on the suggestions made by the various sides of the House for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Their problem should not be under estimated. Caste Hindus had committed atrocities on them and kept them socially and economically backward. That was the reason why they embraced Islam or Christianity. Had they been treated well, perhaps Pakistan would not have been created.

The only thing that those people have got is representation in the Parliament and State Assemblies. But the voice of those representatives was not heard and consequently they are a neglected class even now. Their problem should be solved in a socialist way.

Harijan students are discriminated against in schools so that they may not come up to the load of others. Scholarships meant for them are also not given to them in time with the result that they cannot make use of them.

Radical steps will have to be taken to bring about a social, economic and religious revolution in society and bring the scheduled castes and Scheduled Tribes to the general level.

Shri Atam Das (Morena) : The Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been able to enjoy the fruits of Independence. The real benefits have gone to others. Even after 20 years of independence, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes continue to suffer humanities.

In the matter of promotions in the services, the reports of Harijans are deliberately spoiled. In villages, they are still untouchables as in the past. They are not even allowed to fetch water from wells. Many times they are implicated in false cases.

The Constitution provides for equal opportunities for all. But in the kind of society in which we are living, it is impossible for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to come up through open competitions. Therefore, special treatment will have to be given to them.

Small scale industries should be set up for their employment. This will solve many social problems of India particularly the problems faced by my Constituency. Education is the foremost requisite for ameliorating their lot. They should also be imparted training and prepared for new and respectable posts, only then their condition will be improved.

The recommendations made in the report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be implemented effectively.

In the application forms prescribed by Government offices, the column relating to Caste should be done away with as has been done in the case of caste Hindus.

श्री बी० ना० कश्यप (जलपाईगुड़ी) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की समस्या देश में सब जगह एक सी है । उनके पास आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधन नहीं है । उनमें से अधिकांश लोग देहाती क्षेत्रों या जंगलों में रहते हैं । इसलिए जब तक खेतिहरों के समस्त समुदाय का उत्थान नहीं होता तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । सभी मानते हैं कि उन्हें कृषि के लिए सरकार से कृषि ऋण सम्बन्धी सुविधाएं नहीं मिलती हैं । उनमें से बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि वे खेती के लिए ऋण लेने के लिए आवश्यक प्रतिभूति या बंधक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकते । इसके परिणामस्वरूप उनमें 90 प्रतिशत लोग सरकार से ऋण नहीं लेते हैं । प्रतिभूतियों की कमी के कारण वे लघु उद्योगों, मछली पालन जैसी अन्य योजनाओं की सभी ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते ।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार आन्तरिक आदिमजाति देहातों तक नहीं हुआ है । उनकी साक्षरता कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार यह अनुभव करती है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त का कार्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है । अतः उनका विचार इन जातियों के विकास कार्यक्रमों को आरम्भ तथा क्रियान्वित करने के लिए महानिदेशक नियुक्त करने का है । मैं सरकार के इन सभी उपायों का स्वागत करता हूँ ।

इस समय सभी विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा स्वेच्छा से बनाये जाते हैं । ऐसे कार्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा बनाये तथा क्रियान्वित किये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित होते हैं तथा जिनको केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है । इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि विकास कार्यक्रमों में केन्द्र का कोई हाथ नहीं होता, हालांकि यह सरकार संसद के सामने प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेय है । आशा है अब यह असंगति दूर हो जायेगी और महानिदेशक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार के सामने उत्तरदायी होगा ।

आयुक्त को नियुक्त हुए 15 वर्ष हो चुके हैं लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। पीने के पानी की सप्लाई, प्राथमिक शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, देहाती सड़कों जैसी उनकी मूल आवश्यकताओं की भी व्यवस्था नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जन-जाति के लगभग 20 लाख लोग है। परन्तु उनके कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है। अधिक जन-जाति विकास खण्डों की आवश्यकता है। जन-जाति के बड़े-बड़े क्षेत्रों में जैसे मोर्चा, रावास, गारी, उराओ, मुण्डास, साओटलस में अभी ऐसे खण्ड बनाये जाते हैं। जन-जाति लोगों के आर्थिक विकास के लिए जलपाइगुडी जिले में जन-जाति विकास खण्ड की स्थापना की शीघ्र ही आवश्यकता है।

कुमारग्राम थाना क्षेत्र में आदिम जाति लोगों का काफी जमाव है। जलपाईगुदी जिला के पूर्वी भाग के जन-जाति क्षेत्रों में कामकशागुरी बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में सरकार ने अभी तक जन-जाति विकास खण्ड आरम्भ क्यों नहीं किया है ? कूच बिहार में तूफानगंज क्षेत्र में आदिम जाति लोगों का जमाव है। यह भी एक खण्ड शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : सभा की यह एक परम्परा है कि किसी वर्ष विशेष के प्रतिवेदन पर चर्चा करने से पूर्व उससे पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। परन्तु इस बार उस परम्परा का परित्याग कर दिया गया है। पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के विवरण के बिना हम इन प्रतिवेदनों पर उपयुक्त रूप से चर्चा नहीं कर सकते। मैंने मंत्री महोदय के प्रस्ताव का एक संशोधन रखा है जिसमें सुझाव दिया है कि आयुक्त द्वारा समय समय पर की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने पर ध्यान रखने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

आयुक्त ने यह शिकायत की है कि राज्य समय पर प्रतिवेदन नहीं भेजते और यदि प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं तो उनके उत्तर अधूरे होते हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद सभी तीन आयुक्तों ने, जो इस पद पर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने अपना निष्पक्ष स्तर बनाये रखा है और बहुत ही मूल्यवान प्रतिवेदन दिये हैं।

जहां तक सिफारिशों की क्रियान्विति का प्रश्न है, यदि प्रतिवेदनों पर ली गई कार्यवाही के विवरण की जांच की जाये तो पता चलेगा कि कुछ राज्यों ने उत्तर ही नहीं दिया है, कुछ ने बेकार उत्तर दिया है, कुछ ने लिखा है कि नोट कर लिया है, विचाराधीन है, विचार किया जाये, ध्यान में है। सिद्धान्त रूप से स्वीकृत। राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अतः कुछ राज्य अच्छे तथा कुछ बुरे हैं। उदाहरणार्थ मैसूर ने 1962-63 के प्रतिवेदन की 231 सिफारिशों में से 8 का उत्तर दिया है। उन्हें क्रियान्वित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ 1961-62 के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि सभी सार्वजनिक कुओं पर शिलालेख अंकित किये जाने चाहिये। जिनके माध्यम से हरिजनों को कुओं का प्रयोग करने से रोकने वाले लोगों को चेतावनी दी जाये कि यदि किसी

ने ऐसा किया तो अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत सजा मिलेगी। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। फिर, वर्ष 1962–63 के प्रतिवेदन की सिफारिशों में से एक यह थी कि समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को अनुसचिवीय पदों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सचिवालय, प्रशिक्षण स्कूल, दिल्ली में व्यवस्था करनी चाहिये। चार वर्ष बीत चुके हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया है।

दूसरी ओर, जब केन्द्रीय सरकार ही आयुक्त की सिफारिशों पर कार्यान्वित नहीं कर रही है तो प्रदेश सरकारों से उन पर अमल करने को कहने का उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

सांविधिक संगठनों, अर्ध-सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों के लिए आरक्षित करने के बारे में की गई सिफारिश पर विधि मंत्रालय की राय लेकर केन्द्रीय सरकार ने सभी विभागों को अब हिदायतें भेज दी हैं परन्तु रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि केवल 63 सांविधिक संगठनों ने इस पर अमल करना स्वीकार कर लिया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए तो स्थान आरक्षित किये गये परन्तु प्रथम श्रेणी के पदों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में, जो न्याय का स्रोत कहे जाते हैं, अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए जजों के पद आरक्षित नहीं किये गये। हाल में ही गृह-मंत्री ने इन न्यायालयों को ऐसा करने के लिए कहा है।

1964 में योजना आयोग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बहुत उपयोगी सिफारिशें की गई थीं जिसमें एक सिफारिश थी कि आरक्षित रिक्त स्थानों पर नाम-निर्दिष्ट करने के लिये केन्द्रीय एग्जीक्यूटिव अधिकारी नियुक्त किया जाये। परन्तु यह कार्य नियोजन तथा प्रशिक्षण के महानिदेशक भी करते हैं अतः दूसरे अधिकारी को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1958 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि वर्तमान संस्थाओं के नामों से हरिजन शब्द हटा दिया जाना चाहिये। किन्तु आज भी हम देखते हैं कि बहुत से स्कूलों, छात्रावासों, आदि के नाम इस शब्द पर ही रखे गये हैं। इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार के अधीन एक केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड भी कार्य कर रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है।

1965–66 की रिपोर्ट में आयुक्त ने सिफारिश की है कि रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये और प्रादेशिक कार्यालयों के लिये कुछ अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी जानी चाहिये। किन्तु अपेक्षित पदों की मंजूरी देकर आयुक्त की सहायता करने के बजाय सरकार ने विभिन्न राज्यों के सभी 17 प्रादेशिक कार्यालयों को ही समाप्त कर दिया है। संविधान के अधीन आयुक्त की एक विशेष स्थिति है। यदि उसे पर्याप्त कर्मचारी नहीं दिये जाएंगे तो वह समुचित ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। अतः मन्त्री महोदय को सम्पूर्ण निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिये।

Shri Molhahu Prasad (Bansgaon) : Those who have contracted inter-caste marriages should be given priority in Government services. This will be an effective method of bringing about social integration.

The question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not merely a question of caste but it is a very much an economic question. If their economic condition improves, their social status will also improve.

There are several non-official agencies which are given funds for the welfare of the Scheduled Castes and Tribes. As a matter of fact, however, these organisation are meant to accommodate pro-Congress people and to spread the political influence of the Congress Party among the Harijans.

The only industries in which Harijans are encouraged are those in which the non-Harijans do not want to enter, eg. piggery. They must be given outlets in various kinds of small scale industries.

Shri T. Ram (Araria) : The Scheduled Castes and Tribes have suffered social, economic and political injustice for long. That is why special provisions have been made for them in the Constitution. But our leaders continued to think of them during these 2o year s merely as objects of pity, and therefore. did not correctly implement the safeguards provided for them in the Constitution. The spirit or our leaders for bringing about a social revolution in the country has died down and they have become much concerned with getting votes to keep themselves in power.

Our leaders and workers have forgotten that the main problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is social as well as economic. Their efforts in this direction have become relaxed and these peoples are continuing to live in object poverty and are suffering from social taboos.

Mere legislation cannot bring about an uplifitment of these classes. A radical change is required in the outlook of the society so that the Harijans are not looked upon as Harijans but as human beings like others.

There should not be separate hostels for Harijan students. Harijan and non-Harijan students should be accommodated in common hostels.

Lakhs of acres of follow lands lying unused should be distributed amongst the landless harijans.

***श्री चित्ति बाबू** (चिंगलपेट) : जो बातें हमें कहनी चाहिए थीं वे बातें सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा कही गई हैं। खेद की बात है कि स्वयं इन लोगों ने बताया है कि देश के पिछले लोगों की स्थिति आज भी पहली जैसी ही है। समझ में नहीं आता कि कई कई बार बनाई गई योजनाओं पर सरकार ने कहां तक अमल किया है। स्वयं कांग्रेस दल के सदस्यों ने इस मामले में कांग्रेस मन्त्रियों की विफलताओं का उल्लेख किया है। आग लगजाने से मद्रास में नष्ट हुई झोपड़ियों में रहने वालों की सहायता के लिये मद्रास के मुख्य मन्त्री श्री अन्नादुरे के अनुरोध पर प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने 50,000 रुपये सहायता के रूप में दिये थे परन्तु श्री मोरारजी देसाई ने मद्रास में हुई एक विशाल सार्वजनिक सभा में आग की घटना से पीडित पिछड़े लोगों की सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा।

---

* मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

*Enlish translation of the speech delivered in Tamil

मेरे विचार से सरकार को चाहिये कि कृषकों की सहायता के लिए कुछ करे। सरकार ने पिछड़े लोगों को ऊंचे स्थान देने तथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या कांग्रेस प्रधान मन्त्री के पद पर पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को बैठाने के लिए राजी है ? राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति का काम नहीं सुझाया गया। मेरा दृढ़ विचार है कि इस स्थिति को दूर करने के लिये सभी वर्गों के लोग कांग्रेस को गद्दी से हटायें तभी पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण हो सकता है।

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये शेष को भलिभांति समझ सकता हूं। पहले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने में विलम्ब होता रहा है। इस बार विलम्ब न होने देने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। आयुक्त का अगला प्रतिवेदन अगले बजट सत्र के दौरान ही सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

यह कहा गया है कि पहले ऐसी प्रथा रही है कि सभा पटल पर एक ऐसा नोट रखा जाता था या एक ऐसा नोट परिचालित किया जाता था जिसमें आयुक्त की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख होता था और इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। 1964-65 के प्रतिवेदन में एक ऐसा नोट दिया गया है जिसमें पहले के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। सरकार प्रस्तुत प्रतिवेदन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती है कि क्या वह कुछ कदम उठायेगी क्योंकि अन्तिम कार्यवाही तो दोनों सदनों में होने वाली चर्चा को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। सभा को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि इस वर्ष संसद के नवम्बर और दिसम्बर में होने वाले सत्र के समक्ष विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में एक प्रतिवेदन पेश किया जायेगा।

संसद के दोनों सदनों की एक ऐसी समिति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है जो आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करे तथा जो समाज कल्याण विभाग को इसके भारी उत्तरदायित्व को निभाने में सलाह दे तथा इसका मार्ग दर्शन भी करे। यह अच्छा सुझाव है। एक ऐसी समिति जिसमें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रतिनिधि तथा कुछ अन्य लोग भी होंगे, निकट भविष्य में ही नियुक्त की जायेगी। समिति के स्वरूप तथा गठन के बारे में अभी लोक सभा के अध्यक्ष और संभवतः राज्य सभा के सभापति के परामर्श से विस्तारपूर्वक विचार किया जाना है। आशा है यह समिति हमारे कार्यक्रम का समर्थन करेगी।

इस विषय पर एक संकल्प भी पारित किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस सभा के लिये ऐसा करना संभव नहीं है कि यह आयुक्त के प्रतिवेदन पर कोई संकल्प पारित करे। हमें

इस सम्बन्ध में सलाहकार समितियों तथा राज्यों से भी परामर्श करना होता है और अनेक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय करने होते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सभी समस्याओं और हितों की देखरेख के लिये एक अलग मन्त्रालय नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। यह कोई व्यवहारिक सुझाव नहीं है। शिक्षा तथा कृषि जैसे विभिन्न मामलों को एक ही मन्त्रालय के अधीन नहीं रखा जा सकता। इन मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से भी होता है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यहां पर जो कुछ चर्चा हुई है या सुझाव दिये गये हैं उनकी सूचना प्रधान मन्त्री, उप प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को भेज दी गई हैं और उन्होंने उन पर विचार किया है।

जहां तक लोगों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में एक छोटे से दल की स्थापना की गई है और इसमें गृह-कार्य मन्त्री और मैं दोनों ही दिलचस्पी ले रहे हैं। सरकारी सेवाओं में ही नहीं अपितु अन्य सेवाओं में भी सरकार एक व्यवस्थाबन्द ढंग से ही कार्य करेगी। हम मानते हैं कि भारतीयों को जो हमारी जनसंख्या का 21 प्रतिशत भाग हैं, महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट किया जाना चाहिये,

शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों के लिये उतना काम नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिये था किन्तु इन लोगों को शैक्षणिक सुविधायें देने के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनकी जांच करने पर मालूम होगा कि पहली योजना की अपेक्षा तीसरी योजना में शिक्षा के लिये चार गुणा धन राशि आवांटित की गई। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की रकम पहली और दूसरी योजनाओं में नौ गुणा बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में अब अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के ही 100,000 या 120,000 विद्यार्थी हैं जबकि पहले विश्वविद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी होती थी। किन्तु हम समझते हैं कि अभी काफी कुछ करना बाकी है और जो कुछ किया गया है उसे भी कम नहीं समझना चाहिये।

पिछले 15 वर्षों के दौरान लगभग 1 करोड़ एकड़ भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटी गई है। इसमें से लगभग 39 लाख 10 हजार एकड़ भूमि या 39 प्रतिशत इस भूमि का भाग अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को बांटा गया है। इस भूमि से फायदा उठाने वाले लोगों में से 45 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति वर्ग के लोगों में से थे।

छात्रवृत्तियां समय पर न मिलने की प्रायः शिकायत की जाती है। इस बात में कुछ सचाई हो सकती है किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पिछले 15 वर्षों में 60 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। हो सकता है इनमें से दो या तीन प्रतिशत छात्रवृत्तियां समय पर न दी गई हों। इस शिकायत को दूर करने के लिये अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

आदिम जातियों का जहां तक सम्बन्ध है, इन लोगों के लिये आदिम जाति खण्ड स्थापित किये गये हैं। इन खण्डों में 1 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। इन पर लगभग 16 या 18

करोड़ रुपया खर्च किया गया है। हम चालू योजना अवधि के दौरान या अगले 5 वर्षों में लगभग एकड़ करोड़ और अधिक लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। इसमें अधिकांश आदिम जाति के लोग आजायेंगे। इस सम्बन्ध में दो कठिनाइयां सामने आती हैं। पहली कठिनाई तो यह है कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों को विकास कार्यक्रमों के लिये जो धन दिया जाता है वह अनुपूरक व्यवस्था के रूप में दिया जाता है और उसको उस हिस्से का प्रतिपूरक नहीं समझा जाता जो अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिये मिलना चाहिये।

अतः मैं चाहता हूं कि प्रस्तावित समिति की स्थापना की जाये और वह समिति इस बात की जांच करने में समाज कल्याण विभाग की सहायता करे कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये जो विशेष व्यवस्था की जाती है उसे स्थाई व्यवस्था नहीं अपितु अनुपूरक व्यवस्था समझा जाये।

दूसरी बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था कठिन स्थिति से गुजर रही है। हमारे सीमित संसाधनों में प्राथमिकता कृषि या उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को ही दी जाती है और सामाजिक सेवाओं को धनाभाव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

कहा जाता है कि पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र के आदिवासियों की समस्या के बारे में सरकार अपने वायदों से विमुख हो गई है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। सरकार दो महीने का समय चाहती है ताकि वह सभी वर्गों की सद्भावना और सहमति प्राप्त कर सके। सरकार भी केवल सद्भावना की स्थिति में ही अपना वायदा पूरा कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1. was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2. was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 3. was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कंसारी हाल्दर का संशोधन सभा में मतदान लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 91;	**विपक्ष में 89**
Ayes 91;	**Noes 89**

श्री राम सुभग सिंह : मैं मतदान की प्रमाणिकता को चुनौती देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मतदान को चुनौती दी गई है । मुझे दूसरी बार मतदान कराना होगा । मैं घोषणा करता हूं कि संशोधन स्वीकृत हो चुका है ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The Amendment was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधित रूप में प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : दरवाजे खोल दिये जायें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभा में मतदान हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था दरवाजे नहीं खुलेंगे और अब दरवाजे खोलने के लिये कहा जा रहा है । यह ठीक नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह मत विभाजन बिल्कुल नये सिरे से हो रहा है और इसका पहले वाले मतदान से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Amendment has been carried and it cannot be challenged. It appears that some more persons are being brought in for noting.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : The process of voting that took place earlier cannot be challenged. It is unfair to bring in more Members for voting.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हम यह जानना चाहते है कि दरवाजे खोलने के लिए आदेश किस ने दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : पहला मतदान हो चुका है जो संशोधन पर था । यह दूसरा मतदान है ।

श्री खाडिलकर : श्री मधुलिमये के पूछने पर मैंने कहा था कि 'दरवाजे बन्द हैं ।' यह सही हैं । पहला मतदान हो जाने के पश्चात् मुझे प्रस्ताव, संशोधित रूप में, मतदान के लिए रखना था । मौखिक मतदान होने पर दूसरे पक्ष की ओर से उसे चुनौती दी गई । अब यह दूसरा मतदान है और दूसरे मतदान के समय सभा-कक्षों को दूसरी बार खाली करना पड़ता है । अत: मैंने सभा-कक्ष खाली करने के लिए आदेश दिया था । स्थिति इस प्रकार है । (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : अब इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मैं प्रस्ताव, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

"कि यह सभा वर्ष 1964–65 तथा 1965–66 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के 14वें और 15वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 30 मार्च, 1967 और 8 जून, 1967 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है और उसका यह विचार है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संविधान में जिन परित्राणों का उपबन्ध किया गया है उन्हें पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।"

जो सदस्य संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें—

अब जो सदस्य संशोधित प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें–

पक्ष में 107	**विपक्ष में 115**
Ayes 107	**Noes 115**

प्रस्ताव, संशोधित रूप में, अस्वीकृत हुआ।
The motion, as amended, was negatived.

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के और भी अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

1960 के पश्चात् देश में एकता का खण्डन करने वाले तत्वों ने जोर पकड़ा जिससे न केवल सरकार को बल्कि राजनीतिक दलों को बहुत चिन्ता हुई। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, ने 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया जिसमें देश के बड़े बड़े नेता और विचारक शामिल थे। उस सम्मेलन में इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। इससे पहले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर बहस हुई थी। उसके फलस्वरूप बहुत सी समितियां नियुक्त की गईं। एक समिति श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। श्री के० कामराज उसके सदस्य थे। उस समिति ने एक बड़ी सिफारिश यह की थी कि ऐसे विघटनकारी तत्वों का मुकाबला करने के लिए हमें अनुच्छेद 19 में संशोधन करना चाहिए और कुछ मूलभूत अधिकारों पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए। इस सभा ने उस सिफारिश को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 19 में संशोधन किया था। उस संशोधन के सिद्धान्त इस सभा ने स्वीकार किये थे और इस विधेयक के सिद्धान्त उन्हीं सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं।

आज भी मैं यह समझता हूं कि विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं और आगामी वर्षों में भी यह तत्व सक्रिय रहेंगे। ऐसे तत्वों का मुकाबला हमें प्रत्येक स्तर पर करना होगा। जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा था इस चुनौती का प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना होगा जहां कानून नहीं पहुंच सकता। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक कार्यवाही भी करनी होगी, यह मैं समझता हूं। परन्तु कानूनी उपाय करने की भी आवश्यकता होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोई उदाहरण दीजिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उदाहरणार्थ, मिजोलैंड में संगठित विद्रोह चल रहा है। भारत से अलग होने के संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। अतः कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है। यह कार्यवाही इस विधेयक द्वारा की जायेगी। मैं सरकार की ओर से दो संशोधन पेश करना चाहता हूं। एक संशोधन न्यायाधिकरण सभापति के बारे में है। मैं संशोधन पेश कर रहा हूं कि न्यायाधिकरण का सभापति एक ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायाधीश हो। एक अन्य शक्ति है जिसके द्वारा किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के पश्चात वर्षवार उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। मैं संशोधन पेश कर रहा हूं कि तीन वर्ष पश्चात यदि अवधि बढ़ानी हो तो उसे पुनः न्यायाधिकरण के पास ले जाना पड़ेगा। संशोधन के अनुसार तीन वर्ष के पश्चात् उसकी अवधि स्वतः बढ़ाई नहीं जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यष्टियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण के लिए तथा उससे संसक्त मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर अग्रेतर वाद-विवाद कल जारी रहेगा।

चीन, पाकिस्तान तथा अन्य देशों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्रों पर किये गये गैर-कानूनी कब्जे और शिक्षा मंत्री द्वारा भारत के क्षेत्रफल के बारे में वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION RE : ILLEGAL OCCUPATION OF INDIAN TERRITORY BY CHINA PAKISTAN AND OTHER COUNTRIES AND STATEMENT ON AREA OF INDIA BY MINISTER OF EDUCATION

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar Bazar) : First of all I want to raise the question of territory of India. What is the area of Indian Union. According to a U. N. Statistical office publication of 1957 the area of our country was 32 lakhs, 88 thousand and 876 sq. kilometres and in the same publication of 1964 our area was given as 30 lakh, 66

thousand 232 sq. kilometres. The decline in this figure is probably due to non-inclusion in it the area of Jammu and Kashmir. Government's figures regarding the area do not tally. The Government's argument that because of the linguistic division of the country and also because of new surveys conducted from time to time the figures vary, is not convincing. It should be clear to us as to what is the area of our country and we should be definite about our physical boundaries. At this time, there is a variation of 2½ lakh sq. kilometres in the figures which is not understandable.

Secondly, it is the moral and constitutional responsibility of a Government to defend the frontiers of the country. Our Government have failed to shoulder this responsibility. It has ever been stated that a single inch of our territory would not be allowed to be taken away by any other country, but to-day Pakistan and China are in occupation of 50 thousand sq. miles of our territory. The defence policy of our Government is imaginary, unrealistic and cowardly in character. This is a Government which believe in compromise and adjustment. It is unable to take a firm stand. India had never been an expansionist country, but when we are attacked we must pay in the same coin. Had such a policy been pursued the present situation would not have arisen.

Upto the 18th July, 1967 China violated our border 88 times and after the Tashkent Agreement Pakistan violated our borders in Jammu and Kashmir 2,082 times. At present 50,000 sq. miles of our territory has been occupied by our enemies. Our border violations are unparalleled in the world which is a clear proof of the fact that the policies of our Government are unsuccessful.

I want the Government to do away with the Tashkent Agreement and tell the world to give back to us our territories occupied by any country. We should know how are our friends and who are our enemies. Late Sardar Patel had extended our boundaries but after him there has been a constant trend to-wards decline.

I want to charge the Government with a breach of trust. Our territories were given over to Pakistan, but without apprising the Lok Sabha and the country of the fact. This is a violation of the constitution. Parts of our territory were occupied by Pakistan in 1947, 1956, 1962 and 1964. In February 1960 two military officers reached an agreement by which 748 Bighas of land was to be given over to Pakistan. I want to know the reasons why these matters were not brought before the House in time and its approval sought before hand, why the country was kept in the dark about all these developments. I also want to know the circumstances under which these areas were allowed to be occupied by Pakistan. My allegation is that the facts were wilfully kept from the people. This is no less than treason. I want a committee of Members of Parliament to be set up which may examine all such agreements by which chunks of our territory were given away to any country and also see whether Parliament's approval was sought in that regard.

According to the Agreement regarding Kutch, Pakistan was given the right of patrolling certain areas there, but the connected map has not so far been made available to us. This is also a breach of trust.

I want the Government to exercise political and diplomatic pressure on China and Pakistan. The Government should declare that Dalai Lama and not China has a right to govern Tibet. We should sever diplomatic relations with China. Let the world know that China is our enemy. We should also stop pleading China's case in the U.N.O. We should invite Khan Abdul Gaffar Khan here and declare that we will support the cause of Pakhtoonistan.

We should not depend on conventional arms. Atom bomb should be manufactured and sophisticated arms should be kept with us.

Burma, Nepal and Indonesia are not happy in their relations with China. We should therefore communicate with them and find ways to face the common danger.

Problems of Nagas and Mizos are our internal problems and there can be difference of opinion in such matters but these who are not loyal to the country should be handled strictly.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannuaj) : The discussion regarding the area of our country is in fact a discussion in respect of our Bhart Mata. This is in fact a national problem. Looking at the internal situation we can say that national spirit is on the decline and provincialism is on the increase. But in so far as our attitude to other countries, particularly towards China is concerned, nationalism is on the increase. The same thing happens in regard to Pakistan when we are attacked by her.

An interesting thing about the figures of U.N. is that the territory shown as our area in 1961 is less than that shown between the years 1950-52 and 1960. The hon. Minister say that the area of Jammu and Kashmir has been excluded from the later figures. But the fact is that the census figures submitted by our uncompetent Government in 1960 were incomplete. The census was not completed and the figures were sent to U.N.O. This is the exact cause of the decline in the latter figures of U.N.O. I want to know the reasons for supplying incomplete figures. An interesting thing was said about a year ago. It was stated that such errors are committed by other countries as well. But it is totally wrong. to say that in countries like America and Russia figures remain stable for pretty long periods. The hon. Ministers give such arguments just to justify their actions and statements.

Another very surprising thing is that the statement of the Minister, dated 31st July, does not contain any reference in respect of Azad Kashmir. Why should it be so I am unable to understand. About Longju it has been stated here a number of times that its area is one or two miles but on going there personally I was told by the officers there that its area is atleast two or three hundred sq. miles. Similarly there is no mention about Burma Pact, Barahoti area etc. I am in doubt whether the figures regarding Sikkim are included now. According to the survey of India our area is less by only two thousand miles, but I feel this figure is ten-fifteen thousand sq. miles. The hon. Minister would say that the area of Goa and Pondicherry was included before their control was passed on to India but how can that be ? Now aerial survey is conducted. I cannot understand how aerial survey can be exact. I had written a letter to the survey or General on the 2nd July, 1966 in which I wanted details in connection with area of our country, but no reply has been received by me. I want that letter to be sent to him through you. so that this House and the people could know how serious this matter is. There is a village named Mansar near Mansarovar, the inhabitants of which were counted as Indians. This was the case in 1931 and probably in 1941 also. The officers there told me that they are no more counted as Indians. Sikkim has also been removed from the list. This Government arbitrarily give over areas as they like and the matters are not subjected to examination.

It has been the tradition in our country that some foreign power attacks and occupies a part of our territory and we talk of negotiations, of colombo proposals and the like. We should talk of peace when we are not attacked, when our territory is not grabbed, but when we are attacked we should talk in the language of war and not of peace.

Now when Pakistan and China both attack our country, our Government would survive hardly a weak, because it packs determination and will. Attack on our borders is just like an attack on our body and when we are so attacked we cannot become Yogis and talk of peace. According to our survey we have lost 85 lakhs acres of our territory and according to U.N. figures we have lost 5 crore acres of our territory. At such a critical juncture I feel such a weak Government cannot survive. It will topple down and the hon. Members should be prepared to form a Government which could defend our borders, our territory and our motherland.

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar) : We are discussing about the area of India. In this context I would like to know as to what is the present area of the State of Jammu and Kashmir is, which was 84,600 square miles. In 1956 the State Government had apprised ten centre of the fact that most of the Aksaichin area was being gradually occupied by China and in this context the fact about Mansar village was also brought out. I must say that the whole of Aksaichin area, which is in occupation of China to-day, rightfully belongs to the State of Jammu and Kashmir. We have got hundred years old maps in support of our claim. Let us take it that Aksaichin area is 10.000 miles. But the question is how much of it we consider as ours and how much of it is in the hands of China.

I want to point out that another danger is emerging there now. China is now constructing a road from Gilgit to Skardu and from Skardu to Dusai Plaines and is establishing connection with the area of 3000 square miles which was given to her by Pakistan after 1962. Dusair Plain is very near to Kashmir Valley on one side of it there is Kargil, on another side there is Gilgit and on the third side there is Skardu. China is constructing a very big cantonment there. An aerodrome is also under construction there. I also want to know whether the Government have received any information about what is happening in Gurez. If Gurez is in danger, I think the whole country will be in danger. In the Azad Kashmir area as well as in the Dusai Plains, hectic preparations are going on. I think we should now at least be sure about the area which is ours and we should do everything to defend that area. I want to caution the Government against army fresh attack. I do not want ourselves to be taken unaware. Now the position is more delicate than it was in 1962. China is virtually there all round Kashmir. Mansar village belonged to us but now it is in the hands of China. Similar is the case of Daulat begauldy, and we should learn lessons from all this and be very cautious against the dangers.

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक ग्रुप और दल को समय दिया जाये तो कल की तरह हमें आठ बजे तक बैठना पड़ेगा और मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे पायेंगे । इस तरह इस चर्चा से क्या लाभ होगा और किसको लाभ होगा । इसलिए समय-सीमा निश्चित करनी पड़ेगी । यह चर्चा 5 से 6 तक होगी । आधे घण्टे की चर्चा होगी जिसमें श्री रंगा और एक या दो अन्य सदस्यों को समय दिया जायेगा । उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

Shri Rabi Ray : We are discussing such an important issue and the Prime Minister will remain absent to-day also ?

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Opposition parties have been given time upto 6 P.M. We should also be given time accordingly.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Speaker, I want to say....

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रंगा को बोलने के लिए कहा है जो अपेक्षतया अधिक जानकारी दे सकेंगे। यदि श्री शिव नारायण सीमा की स्थिति पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं तो मैं उन्हें अभी समय देने के लिए तैयार हूं।

Shri Sheo Narain (Basti) : I don't want time to speak. I only want that after Shri Ranga, the Minister may be called to reply.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है। यदि सभी इसे स्वीकार करते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं अपने अन्य सहयोगियों की तरह यह आरोप लगाना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश के राज्यक्षेत्र की रक्षा करने में असफल रही है। जब अक्साईचिन पर कब्जा हो रहा था तो देश के अन्धेरे में रखा गया। लाठीटीला–दुमाबाडी के बारे में अभी कुछ दिन पहले मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वह इलाका हमारा है फिर भी उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया है होना यह चाहिए कि जब कभी हमारे राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर कब्जा करने की कोशिश की जाये, उसी समय सभा को उस स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। हमने देखा कि किसी तरह पहले चियांग-काई-शेक ने हमारे एक बड़े इलाके पर अपना दावा किया और बाद में उनके उत्तराधिकारी, चीन के साम्यवादी, उसी दावे से लाभ उठाते रहे। इधर हम उस समय हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे।

{ श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair* }

मेरे मित्र श्री गुप्त ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। वह समिति स्थायी होनी चाहिए चाहे उसके सदस्य बदलते रहें और जब कभी सत्र न चल रहा हो तो सरकार ऐसी गतिविधियों से उस समिति को अवगत करायें।

चाहे उस समय हम चीन से अपना अक्साईचिन क्षेत्र अथवा कोई अन्य क्षेत्र वापस न ले सकें परन्तु हमारा दावा उसे वापस लेने का बना रहना चाहिए ताकि जब कभी अवसर मिले तो हम उस क्षेत्र को चीन से ले सकें।

तिब्बत पर चीन का दावा स्वीकार करना एक बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। हम तिब्बत को चीन के पंजे से छुड़ा बेशक न सकें परन्तु हमें दलाई लामा को राज्याधिपति के रूप में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। पहले किये गये समझौते को हमें रद्द कर देना चाहिए। वह अब पुरानी बात हो चुकी है।

जब तक यह सरकार मान-सरोवर पर चीनियों के कब्जे को मानती रहेगी उनके दावे को मानती रहेगी तब तक देश की जनता सरकार को माफ नहीं करेगी। मान-सरोवर हमारे देश का अंग है, वह हमारी परम्परा का हमारे इतिहास का और हमारे साहित्य का अंग रहा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय भावनाओं और जनता की मांग के प्रति सजग नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has not told in his statement the time when Pakistan and China occupied our territory. We also want to know when the House was apprised of the said occupation. I also want to know whether Government are prepared to set up a committee of the House.

Mr Chairman : I can give two three minutes to Shri Limaye.

Shri Madhu Limaye : Two-three minutes would not suffice for me. I want to make a statement under Direction 115 regarding the incorrect statement made by the hon. Minister in respect of Latitilla and Dumabari on the 17th July.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) भारत के क्षेत्रफल की परिभाषा संविधान में की गई है, उसमें एक-एक इन्च क्षेत्र सम्मिलित है । मैं अभी यह बताऊंगा कि आंकड़ों में अन्तर के क्या कारण हैं । अपने देश के एक-एक इन्च क्षेत्र को पुण्य समझते हैं । हम यह महसूस करते हैं । हमने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है और यह सही है कि प्रत्येक सरकार का पहला काम देश की रक्षा करना और उसकी अखण्डता को बनाये रखना है ।

सबके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार होता रहता है और हवाई सर्वेक्षण अधिक सन्तोषजनक होता है ।

Shri Madhu Limaye : This is why our area is decreasing.

Shri M. C. Chagla : It is due to better instruments at our disposal to-day that we can know the area of India.

Dr. Ram Manohar Lohia : Are you counting Sikkim area or not ? Has Burma been given any area or not ? Area of Longju is hundred miles or just one mile ? We want to know these things.

श्री मु० क० चागला : आंकड़ों में अन्तर भारत में ही नहीं होता है । भारत में अन्तर 561 मील का है जो 0.04 प्रतिशत बैठता है । आस्ट्रेलिया में 0.11 प्रतिशत है । अर्जेन्टीना में 1.5 प्रतिशत है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The area of American remained the same from 1950 to 1958. The same is the case with Russia.

श्री एस० कुन्डू : 1953 से 1954 तक हमारा 8,000 वर्ग मील क्षेत्र कम हो चुका है । क्या आने वाले वर्षों में भी वही हालत रहेगी ?

श्री मु० क० चागला : पहली बात यह है कि राज्य जो सर्वेक्षण करते हैं राजस्व के उद्देश्य से करते हैं । कई बार जब सर्वे आफ इण्डिया के आंकड़े तैयार नहीं थे तो संयुक्त राष्ट्र को राज्यों के आंकड़े दे दिये गये थे । इसके अतिरिक्त, आंकड़े जनगणना की दृष्टि से लिये जाते हैं । संयुक्त राष्ट्र जनांकिकीय वर्ष के लिए आंकड़े मांगता है तो जनगणना वाले आंकड़े दे दिये जाते हैं । 1961 में हमने संयुक्त राष्ट्र को लिखा था कि आंकड़े अस्थायी हैं । मुझे यकीन है और मैं इस सभा को यकीन दिलाऊंगा कि हमने न तो अपने देश का कोई भाग किसी को दिया है और न ही हमने कभी यह माना है कि हमारे देश का कोई भाग हमारा नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1960 तक जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्र को हमारा क्षेत्र माना और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका हमने कई बार विरोध किया है। चाहे उसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Area of Azad Kashmir has not been included in the statement given in reply to my question.

Shri M. C. Chagla : No, that is not correct. The whole of Kashmir is there in the statement.

दूसरी कठिनाई यह है कि कभी सिक्किम को शामिल किया गया है और कभी नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार सिक्किम हमारे देश का भाग नहीं है। इसी तरह गोआ और जम्मू तथा काश्मीर का मामला है। वे हमारे देश के अंग है। गोआ पहले शामिल नहीं किया गया और कभी किया भी गया था। परन्तु स्थिति अब स्पष्ट हुई है। गोआ और पांडिचेरी उस समय हमारे कब्जे में नहीं थे।

जम्मू तथा काश्मीर का ठीक क्षेत्रफल 86,023 वर्ग मील है जिसमें अनाधिकृत तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में जो क्षेत्र है वह भी शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे में लगभग 32,500 वर्ग मील क्षेत्र है जिसमें से उसने 2,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन को दे दिया था। इसी तरह हमारे लगभग 14,500 वर्ग मील क्षेत्र पर चीन ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ है।

कुछ हमारा क्षेत्र पाकिस्तान के पास है और उनका क्षेत्र हमारे कब्जे में है। ऐसे क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं है। अन्तिम रूप से सीमा निश्चित किये जाने पर ऐसे क्षेत्र एक या दूसरे देश को मिल जायेंगे।

कुछ ऐसे गांव हैं जो हमारे हैं परन्तु जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हमने उनके अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। जिन क्षेत्रों में विवाद है वहां सीमा निश्चित की जाती है।

Dr. Ram Manohar Lohia : How much land was given to Burma ?

श्री मु० क० चागला : बर्मा के साथ जब हमारा सीमा समझौता हुआ था तो मैंने कहा था कि न तो बर्मा ने हमारे किसी क्षेत्र के लिए दावा किया है और न ही बर्मा को कोई क्षेत्र दिया ही गया है।

डा० लोहिया ने कहा कि उन्होंने सर्वेयर-जनरल को पत्र लिखा था। वह सर्वेयर-जनरल पत्र मिलने के बाद कुछ ही समय में सेवानिवृत हो गये थे।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been answered. I want to know why our areas were allowed to be taken away by others and why the House was not apprised of such developments in time ?

श्री मु० क० चागला : श्री गुप्त ने बताया कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे से अपनी भूमि लेने के लिए हमें क्या-क्या राजनीतिक और राजनयिक उपाय करने चाहिए।

हमने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार किये परन्तु चीन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हमने इन्टर्नेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के पास मामला ले जाने का भी सुझाव दिया था। अब हमें यही उम्मीद है कि चीन कभी भी ठीक रास्ते पर आयेगा और उससे बातचीत होगी। यह बात तो श्री गुप्त भी समझते हैं कि हम चीन पर हमला करने की स्थिति में नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister wants to evade my question. He has committed a fraud against the country and deceived this House. It is not a question on which we should hold discussion on party lines.

श्री मु० क० चागला : इस समय नियम 193 के अन्तर्गत एक विशेष प्रस्ताव पर चर्चा उठाई गई थी और उसके उत्तर में मैंने बता दिया है कि हमारे कौन कौन से क्षेत्र पर चीन और पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, Sir, I want your protection.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने सब बातों का अच्छे से अच्छे ढंग से उत्तर देने का प्रयत्न किया है। अब कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

Shri Gulam Mohammed Bakshi : If I understand correctly, 14,000 square miles area of Jammu and Kashmir is in the hands of China. 32,000 square miles area is in Azad Kashmir and we are left with only 40,000 square miles area ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। गणना से तो यही है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 1967/18 श्रावण, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till the 11 Clock on Wednesday the August 9, 1967/ Sravan 18, 1889 (Saka)